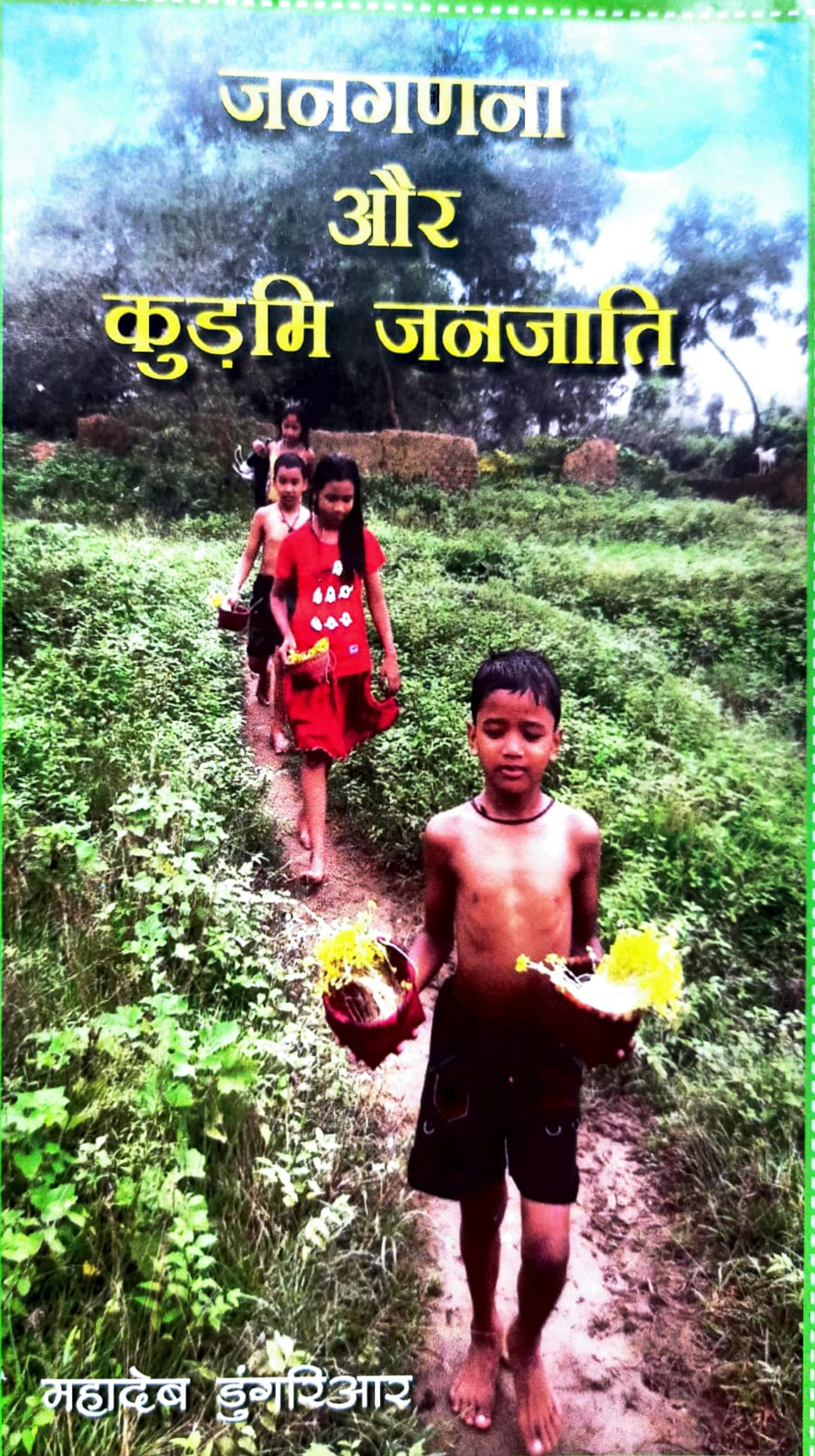
जनगणना और कुड़मि जनजाति



महादेब डुंगरिआर

जनगणना और कुड़मि जनजाति

(CENSUS and KUDMI Tribe)

(जनजाति कुड़मि पर हुए जनगणना एवं उसके प्रभाव संबंधी दस्तावेजों एवं दास्तानों का संग्रह)

लेखक– महादेव डुंगरिआर

प्रकाशक : कुड़मालि भाखि चारि आखड़ा

मानबछर– 2770 बिहामास

प्रथम संस्करण – वर्ष– 2020.

CENSUS and KUDMI Tribe

by Mahadeb Dungriar

Publisher:

Kudmali Bhakhi Chari Akhda
C/o-JKBVP, Karmanagar
Bisthapit Chowk, Chas, Bokaro 827013

Cover Illustration:
Meghnath Shankhuar, Kadma, Jamshedpur

Printed at:

Mitra Press, Pataldanga, Kolkata-09

Price- 60.00

उछुक-गुन :

माता-पिता

समस्त गुरुजन

एवं बंधुगण

अपनी बात

कौन है हम? क्या है हमारी पहचान? क्या है हमारा परिचय? हमें कभी प्रिमिटिव, कभी एबोरिजिन्स, कभी एबोरिजिनल तो कभी हमें एनीमिस्ट कहा गया। कभी हमारी धार्मिक मान्यता को ट्राइबल, कभी ट्राइबल हिन्दू और अंततः हिन्दू का ठप्पा हमारे माथे पर लगा हमारे नैसर्गिक जनजातिय धार्मिक पहचान को सदा के लिए मिटा देने का कुचक्र भी रचा गया। यही नहीं कभी हमें क्षत्रिय बनाने के लिए जनेऊ पहनाने का ढोंग रचने में हमारे ही समाज के पैसे के बल पर दलाल भी खड़ा किया गया और अंततः कुड़मि को अति पिछड़ी जाति का रूप देकर हमारी जनजातिय पहचान को समाप्त करने की गंदी हरकत की गई।

भौगोलिक तौर पर कुड़मि जनजाति को झाड़खंड, उड़िसा, छतीसगढ़, और प.बंगाल में बाँट कर भी जब शोषक वर्ग के मन में संतुष्टि न हुई तो हमारी भाषाई पहचान को भी नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया तमाड़िया, सादरी का नाम दे दिया और 'कुड़मालि' का स्वत्व छीनकर हमे मिटाने की कुत्सित चाल चली गई। यहाँ भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो हमारे ही कुड़मालि को कुर्माली, कुरमालि या राढ़ी भाषा के नाम पर हास्यस्पद बना दिया गया। सबसे बड़ी घृणित कृत्य तो तब हुई जब 1913 के गजट नोटिफिकेशन को धत्ता बतलाकर भारत के संविधान के तहत बने नये अनुसूचित जनजाति सूची से ही हमें बाहर रख दिया गया।

आखिर क्या गलती थी कुड़मियों की? कुड़मि जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक पहचान के साथ ऐसी घटिया खेल क्यों खेला गया और अभी भी खेला जा रहा है? क्या यह एक सोचे समझे संस्थागत रणनीति के तहत नहीं किया जा रहा है? इतनी बड़ी त्रासदी और विडंबना सिर्फ कुड़मि जनजाति के साथ ही क्यों? हर कोई अपने निहित स्वार्थ की बेदी पर कुड़मि की ही बलि चढ़ाने को उद्दत क्यों दिखता है? हर ओर से निराश व हताश इस निर्वाक कुड़मि जनजाति के पास आज कोई निदर्शन नहीं, कोई पथ–प्रदर्शक नहीं। ऐसे में इस मिट्टी की अमुल्य धरोहर कुड़मालि भाषा–संस्कृति के सृजक रहे कुड़मि जनगोष्ठी का भविष्य क्या होगा? इनके पास कौन सा विकल्प है जिसका अवलंबन कर यह प्रजाति अपनी विरासत को सहेज सके? हमारे अभिन्न मित्र मा. महादेव डुंगरिआर ने ऐसे तमाम ज्वलंत विषयों की पड़ताल और उनका समाधान ढुँढ़ने की एक ईमानदार कोशिश की है। इन्होनें अथक मेहनत और लगन से एक एक तथ्य

व सत्य का अनुसंधान कर उसे पुस्तकीय रूप देने की कोशिश की हैं। इन्होने सिर्फ सत्य का अनुसंधान ही नहीं किया बल्कि ऐसी हरकतों के पीछे छिपे कारणों और मानसिकता को भी उजागर करने की कोशिश की है।

प्रस्तुत पुस्तक "जनगणना और कुड़मि जनजाति" में 'कुड़मालि भाखिचारि आखड़ा' के खोजकर्ता दहँगि के सुझाव एवं दिशा–निर्देशन में लेखक मा. महादेब डुंगरिआर ने उपरोक्त तथ्यों की पड़ताल करते हुए सहज भाव संयोजन के माध्यम से विभिन्न तथ्यों को इस पुस्तक में समेटकर हर जिज्ञासु के मन में कुड़मि जनजाति के संबंध में उठने वाले प्रश्नरूपी समस्याओं का समाधान देने का एक ईमानदार प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हर कुड़मि के मन में उठने वाले ऐसे तमाम जिज्ञासाओं का समुचित और संतोषजनक जवाब देने हेतु इस पुस्तक का प्रकाशन अपने उद्येश्य में सफल होगा और प्रस्तुत पुस्तक 'जनगणना और कुड़मि जनजाति" वर्षों से टुटे बिखरे व हताश एक आदिम जनजाति समुदाय को उनका नैसर्गिक हक–अधिकार प्राप्त करने में दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु एक मील का पत्थर साबित होगी।

डा. राकेश कुमार महतो,
वरीय प्राध्यापक,
बिनोद बिहारी महतो महाविद्यालय,
बलिआपुर, जिला– धनबाद, झाड़खंड।

प्रस्तावना

जनगणना एक अति महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रक्रिया है। भारत में यह कार्य प्रति दस वर्ष में एक बार संपन्न होता है। जनगणना के माध्यम से देश की सरकार अपने आबादी के बारे में सटीक आँकड़े एकत्र करती है। आगे चलकर ये आँकड़े अगले दस वर्षों तक देश की समस्त योजनाओं का आधार बनते हैं। आमतौर पर जनगणना कार्य को एक अत्यंत जटिल, दीर्घ, नीरस एवं उबाऊ कार्य माना जाता है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त प्रगणक घर–घर जाकर जानकारियाँ व आँकड़े जुटाकर एक विहित प्रक्रिया के तहत सरकार के संबंधित विभाग को सौंपते है। अतः देश के साधारण नागरिकों के लिये जनगणना कार्य को अत्यंत गूढ़ मानकर इस पर संज्ञान लेने की स्थिति नहीं बनती। परंतु वास्तव में किसी देश या प्रजाति या देशज, विदेशज किसी भी प्रकार मानव समूह के लिये जनगणना कार्य को जानना समझना बहुत ही आवश्यक माना जाना चाहिए।

जनगणना के इतिहास में एक नजर डालने पर पता चलता है कि ब्रिटिश कालीन भारत में जनगणना का विचार पहली बार 1865 में किया गया था तथा प्रथमतया पूर्वोत्तर प्रांतों में इसका आरंभिक प्रयोग भी किया गया। उस समय तक भारत में ब्रिटिश सरकार का राज स्थिरता प्राप्त कर चुकी थी और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में भारत पर राज करने के लिए आरंभिक सामरिक चुनौतियाँ करीब करीब खत्म या अप्रभावी हो चुकी थी। अतः शासन प्रशासन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने के लिए आंतरिक समस्याओं को ठीक से जानना समझना जरूरी था। इस संबंध में कई बार ब्रिटिश सरकार ने गहन विमर्श किया ताकि भारत की विविधता में समाहित एवं उलझे समाज व्यवस्था को समझा जा सके। इसके लिये दुनिया के जाने माने मानवशास्त्रियों की राय ली गई और भारत में निवासित विभिन्न मानव प्रजातियों का विस्तृत अध्ययन कर प्रकाशित करने पर विचार किया गया था। भारत जैसे अत्यंत जटिल और अबूझ समाज व्यवस्था के देश में यह बड़ा ही कठिन एवं श्रमसाध्य कार्य था जिसे पूरा करने में जुटे संसार के महान मानवशास्त्रियों में डब्ल्यु. डब्ल्यु. हंटर, कर्नल इ.टी. डाल्टन, एच. एच. रिजले आदि प्रमुख थे। उक्त जनगणना में भले ही ब्रिटिश सरकार के जनगणना करने का अभिप्राय को कतिपय विद्वानों ने ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक जरूरतों विशेषकर राजस्व से जुड़े हितों का पूरक बताया हो पर इससे

जनसाधारण के संबंध में किये गये अध्ययन को कमतर आंकना अनुचित होगा क्योंकि अंततः यह महत्वपूर्ण कार्य देश में शासित भारतीय जनों के हितों से परे नहीं था।

देश में व्यवस्थित रूप से जनगणना तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के वायसराय लार्ड.मेयो द्वारा प्रथम बार सन् 1872 में बंगाल प्रांत में आरंभ किया गया था। इस जनगणना में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आये थे, विशेषकर आतंरिक देशज समाज व्यवस्था पर, जो सदियों से भेदभावयुक्त मनुवादी वर्णव्यवस्था से ग्रसित हो बिल्कुल जर्जर अवस्था में रेंग रही थी और तत्कालीन ब्रिटिश शासनतंत्र इससे अनभिज्ञ था। बंगाल के इस वैचित्र्यमय संसार से चकित व अभिप्रेरित अंग्रेज शासकों ने भारत भर में विस्तृत जनगणना करने की ठानी। अतः 1881 में किये गये जनगणना को संपूर्ण भारत की पहली जनगणना माना गया है। अभी तक भारत में 2011 तक कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है।

प्रस्तुत हस्तपुस्तिका 'भारत की जनगणना और कुड़मि जनजाति' में आरंभ से लेकर वर्तमान समय तक जनगणना–दर–जनगणना कुड़मि जनजाति पर हुए विभिन्न सरकारी तथा सामाजिक घटनाक्रमों तथा उसके फलस्वरूप भारत के एक महत्वपूर्ण मौलिक जनसभ्यता का जनक रहे इस विशिष्ट जनजाति पर हुए छलावरण को अनावृत करने का प्रयास किया गया है ताकि दशकों से भटकाव का शिकार इस आदिम जनजाति के वंशजों को अपने महान विरासत एवं गौरवशाली अतीत की जानकारी हो सके। साथ ही यह भी कि इस जनगोष्ठी ने पिछले सौ वर्षों में क्या पाया और कितना खोया है और आगे चलकर इस पर और क्या गुजरने वाली है तथा इनसे संदर्भित संभावनाएं कैसी और कितनी है। सामग्रियों का संग्रह व अध्ययन करके उसे युक्ति के अनुरूप लिखने के क्रम में अगर कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गई हो तो क्षमाप्रार्थी होकर सुधी पाठकों से निवेदन है कि अपने स्तर से उसका स्वयं संशोधन कर अनुशीलन करेंगें तथा सटीक तथ्य की जानकारी से अवगत कर हमें कृतार्थ करेंगें।

–लेखक।

विषय-सूची

जनगणना और कुड़मि जनजाति

(अनुसूचित जनजाति ST का हक टोटेमिक कुड़मियों का संवैधानिक अधिकार है)

— बसंत कुमार बंसरिआर

1. जनगणना : तथ्य और वास्तविकता

प्रति दस वर्ष में होनेवाली भारत की जनगणना 2020–21 की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पिछली बार की सामान्य जनगणना एवं जाति जनगणना में भरसक प्रयास किये जाने के बावजूद कुड़मि समुदाय में चेतना का अभाव देखा गया था जो अत्यंत निराशाजनक कहा जा सकता है। इस बार भी जनगणना करने में जुटे सरकारी प्रगणक हमारे घर घर जाकर हमारे संबंध में सारी जानकारियाँ विहित प्रपत्र में एकत्र कर सरकार को सौपेंगें। जनगणना के माध्यम से हर व्यक्ति के संबंध में सटीक जानकारी सुलभ कराने का वचन सरकार देती है। जनगणना के दौरान देश के लोग अपने वास्तविक लेखा जोखा (रिकॉर्ड) सरकार को देते है जो सरकार द्वारा अगले दस वर्ष की नीति का आधार डाटा बनता है।

अब तक के हुए भूलों से सबक लेते हुए इस बार के जनगणना कार्यक्रम के दौरान हमें व्यक्तिगत रूप से थोड़ा विशेष सजग रहना चाहिए और हमें अपने समाज के लिए एक नया इतिहास बनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ाना चाहिए। 2020–21 में हो रहे जनगणना में हमारा एक ही संकल्प पूरा करना होगा– ''कुड़मि की मातृभाषा कुड़मालि''। इस एक मंत्र को सिद्ध कर लें यही अपने सभी बहन–भाईयों से हमारी विनती है। 1931 की जनगणना से ही हम कुड़मियों के साथ प्रजाति से जाति, गुसटि से गोत्र और जनजातिय भाषा से क्षेत्रीय भाषा में बदलने का कुचक्र चलाया गया जो आज हमारे जनजातिय पहचान बचाने में अत्यंत घातक साबित हुआ है।

शासक वर्ग ने कुड़मि को अभी तक किसी प्रकार से मदद नहीं किया बल्कि उलटे सारा दोष हमारे ही उपर मढ़ने की साजिश करते है। पर हमें विश्वास है कि अब हम आगे और धोखा नहीं खायेंगें। इस बार ''एके साधे

सब सधे'' की तर्ज पर इस बार अपनी प्रजाति(जाति)— ''कुड़मि'' और मातृभाषा— ''कुड़मालि'' ही शत प्रतिशत दर्ज कराना हमारा एकमात्र ध्येय है। अर्थात आबादी के मुताबिक ही जितने कुड़मि उतनी कुड़मालि जनगणना के सरकारी डाटा में दर्ज हो यही हमारा संकल्प है और अब कुड़मि जनजाति सब भूल बिसर को सुधार कर इस बार ये इतिहास रचेंगें, ऐसी हमें पूर्ण आशा और विश्वास है।

यद्यपि हमारा कुड़मि समाज बारंबार धोखा खाया हुआ और अन्यमनस्क स्वभाव का है। इस कारण जितना भी प्रयास किया जाए परंतु परिणाम निराशाजनक ही हाथ लगता रहा है। अनपढ़ की बात छोड़ दें, पढ़ें लिखे शिक्षित माने गये गणमान्य लोग भी अक्सर ऐन वक्त पर ऐसी ऐसी गलतियाँ कर बैठते है कि बरबस मुँह से निकल जाती है—''लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पायी''। आज कुड़मि जनजाति समुदाय की स्थिति इसी कथन को चरितार्थ करती नजर आ रही हैं। हमारे लोग अभी भी जनगणना जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का न तो ठीक ठाक खबर रखते है और न इसके प्रति उदासीनता बरतने के फलस्वरूप होने वाली क्षति को जानना समझना चाहते है। भले कोई ये कह ले कि आधुनिक युग में अन्य की भांति कुड़मि जन समुदाय में भी जागृति आई है परंतु आप देखेंगें, जनगणना रिपोर्ट छपने के बाद उसे पढ़ने अथवा जनगणना रिपोर्ट के संबंध में चर्चा करने वाले जिज्ञासु बुद्धिजीवी, अन्वेषक, शोधकर्ता व राजनेता हमारे समाज में न के बराबर दिखते है।

यह अत्यंत सोचनीय और गंभीर बात है कि हमारे समुदाय के कथित गणमान्य लोगों ने भले ही पर—धर्म और पर—संस्कृति को जगाने, बढ़ाने और अपने लोगों को उसमें डुबोये रखने का भरसक प्रयत्न किया हो, मगर अपनी पुरखों की धरोहर अपनी जनजातिय अस्तित्व और पहचान को जानने, समझने व संरक्षित करने हेतु ये कोई प्रयास नही कर सके या कहें कि अवहेलना कर दी गई। यह सिर्फ और सिर्फ विडंबना ही कही जा सकती है कि भारत की आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित कुड़मि जनजाति आज अगर अपनी ही पहचान मिटाने पर तुला है तो इसका श्रेय प्रथमतया उन कथित सामाजिक गणमान्यों और राजनेताओं को ही जाता है। यद्यपि उन्हे भी सरासर दोष देना कतई उचित नहीं होगा बल्कि गाँव में रह रहे एक सामान्य कुड़मि भी उतना ही दोषी है क्योंकि आज हर कुड़मि अपनी जनजातिय पहचान जाने अनजाने खुद ही गँवाने में जुटा

दिखता है। वह अपने पुरखा की परंपरा भूलकर राह से भटक गया है और दूसरों के इशारे पर नाचने को विवश कर दिया गया है और ये सारा प्रपंच बहुत पहले से नहीं बल्कि पिछले दो पीढ़ियों से चल रहा है।

परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि अगर समाज और राज में अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले उचित समय पर अपनी चेतना को समाज हित में लगाते और 1931 के जाति जनगणना में अपनी जनजाति स्वत्व (विशिष्ट पहचान) को बरकरार रखने में समाज का प्रतिनिधित्व और उतरदायित्व निभाते तो आज हमारी यह दुर्गति न होती और आज हम अपने जनजातिय स्वत्व को बचाकर पूर्णतया गौरवशाली स्वरूप में अपने भावी पीढ़ी को प्रदान करने में गौरव महसूस करते होते।

यह सर्वविदित है कि ब्रिटिश कालीन कई विशिष्ट सर्वेक्षणों द्वारा कुड़मि को यहाँ की माटि पर जन्मा सबसे आदिम जनजाति प्रिमीटिव ट्राइब सिद्ध किया जाता रहा है। तमाम दस्तावेज और जर्नल में सारे तथ्य भरे पड़े है जिससे दुनिया को ये मालूम है कि छोटानागपुर पठार (राढ़–माटि) क्षेत्र के कबिलावाची टोटेमिक कुड़मि जनजाति, मुंडा, खड़िया, उरांव के आगमन से भी हजारों वर्ष पूर्व के मूल आदिवासी है। । पर दुर्भाग्य ये कि अन्य चालाक जातियों के प्रपंच का शिकार बनकर स्वयं कुड़मि ही अपनी असल पहचान 'कुड़मि' को नकार कर खुद को 'कुर्मी' और अपनी मातृभाषा 'कुड़मालि' नाम को छोड़ कर खोरठा, कुर्मालि, नागपुरी, हिन्दी, बंगला, उड़िया, पंचपरगनिया, सादरी आदि न जाने और कितने नाम बताने में लगा है। इस प्रकार कुड़मि ने सबसे पहले अपनी पुरखों की भाषा के नाम को विकृत किया और वह "कुड़मि की मातृभाषा–कुड़मालि" कहना छोड़ कर कुछ चतुर जातियों के कहने में आकर अपनी भाषा को उन चतुर सयानों द्वारा दिये गये उपरोक्त विकृत नामों से पुकारने लगा। यह साजिश मात्र 50 साल पूर्व यानि साठ के दशक की है। संदर्भ के लिए लिंग्विस्टिक सर्वे एवं जनगणना संबंधी सभी पुराने रिकार्ड देखें जिसमें आपके साथ लगे डाटाओं में कहीं भी आपको खोरठा/नागपुरी शब्द का जिक्र भी नहीं मिलेगा।

बहरहाल, अब तो यही कहना होगा कि जो बीत गई सो बात गई। किस्से कहानी गढ़कर हम अपनी भूलों को दबाने का भरसक प्रयत्न करें भी तो समय की आंधी उसे उखाड़कर सबके सामने रख ही देगी। यह घोर आश्चर्य की बात है कि 1931 की जनगणना में शेष भारत से अलग

सिर्फ छोटानागपुर के कुड़मि समुदाय को आदिम जनजाति समुदाय (प्रिमिटिव ट्राइब) के कालम में रखने के बावजूद देश के ब्रिटिश राज से मुक्त होने और 26 जनवरी 1950 से देशवासियों का अपना संविधान लागू होने के उपरांत 6 सितंबर 1950 को प्रकाशित जनजातियों की अनुसूची में छोटानागपुर के कुड़मि समुदाय को जनजाति के रूप में शामिल क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे किन समाज विरोधी लोगों का हाथ रहा होगा यह स्पष्ट करना अत्यावश्यक है। ऐसे समाजविरोधी तत्वों के संसर्ग से कुड़मि समुदाय को बचना होगा वरना आने वाले समय में हमारी बची खुची पहचान मिटने से और हमारा अस्तित्व नष्ट होने से कोई बचा न सकेगा। आज कुड़मि जनजाति समुदाय हताश और निराश है। अपनी पुरखों की गौरव गाथा से बेखबर व अनजान बना दोराहे पर मर्माहत व मूकदर्शक बन खड़ा है। इस समुदाय के बुद्धिजीवी परधर्म व परसंस्कृति के आगोश में जाकर अपनी सामाजिक मौलिकता का नाश कर चुके है। समाज का अगुआ वर्ग मूर्छित सा दिखता है। कहीं कोई हलचल नहीं दिखती। पारंपरिक वृति खेती बारी से दूर होकर युवा वर्ग बेरोजगारी के कारण आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका है। इस कारण भटकाव के शिकार हो असामाजिक तत्वों के द्वारा शोषित और प्रताड़ित होना इनकी नियति बन चुकी है। झाड़खंड राज्य के किसी भी विभाग में एक भी कुड़मि अफसर नहीं। पुराने ऑकड़ों के अनुसार अकेले कुड़मि जनजाति समुदाय झाड़खंड की कुल जनसंख्या का करीब एक चौथाई भाग है पर सरकारी सेवाओं के द्वार हमारे लिए बंद है। हमारी यही दुर्दशा पड़ोसी राज्यों– उड़िसा और बंगाल में भी बनी हुई है। सरकारी उपेक्षा और राजनितिक धोखेबाजी से कुड़मि जनजाति सदैव त्रस्त रहा व अपनी नियति को कोसता रहा है।

कुड़मि जनजाति के अस्तित्व को क्रमशः तहस नहस करने में जितना हाथ बाहरी शक्तियों का रहा, खुद कुड़मि जनों का भी उससे कुछ कम नहीं माना जा सकता। भूले भटके लोगों को राह दिखाना आसान है परंतु जानबुझ कर इधर उधर मंडरा रहे लोगों को उसकी राह पर खड़ा करना अत्यंत दुरूह व दुष्कर। पर हमें जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन करना और अपना अस्तित्व खोज निकालना जैसे आधारभूत कार्यों का संकलन कर अपने बारे में तथ्यों को बीनना और समाज के बीच उसे साझा करना यहां मूल उद्येश्य है ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी को उसका मौलिक हक दिलाने में हम सक्षम हो सकें, इसी ध्येय के तहत प्रस्तुत संकलन की

रूपरेखा बनाई गयी है। ध्यान रहे, हमें हमारे कथित पड़ोसियों ने परिभाषित किया और यत्र तत्र सर्वत्र लिखा भी। पर किस प्रकार उन्हे उन्नत मानकर हमने उनका अंधानुकरण किया और अपने हाथों अपनी पहचान मिटाने पर तुल गये?

हमें यह समझना होगा कि उन्नत लोग सर्वदा दूसरों का परजीवीक (Parasitic) शोषण करते हैं। बाहरी तत्वों द्वारा लंबें अर्से तक कुड़मि का कुर्मीकरण कार्यक्रम चलाया गया जो अंततः कुड़मि को जनजाति (TRIBE) से जाति (CASTE) में बदलने के अपने कुचक्र में कामयाब रहा। इस प्रकार हमें जबरन एक प्रजाति से एक जाति में रूपांतरित किये जाने का ये अभियान धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष का लालच दिखा कर दीर्घकाल तक सफलतापूर्वक चलता रहा।

एक कुलीन ब्राह्मण पंडित सत्यानंद सरस्वती जो 1915 में निरंजन से मिले और जैसा कि निरंजन महंता के डायरी में उल्लेख है कि वे अंततः लंबे बहस के बाद निरंजन को यह समझाने में सफल रहे कि "भारत को इस्लामी प्रभुत्व का देश बनाने का षड़यंत्र चल रहा है, अगर आप लोग साथ नहीं देंगें तो हम बर्बाद हो जाएंगें।" तब निरंजन द्वारा ये पूछे जाने पर कि हमें क्या करना होगा, सत्यानंद सरस्वती ने उनको सुझाव दिया कि आप सब भी स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दो पर इसके लिये आप सबको यज्ञ करना होगा और 'यज्ञोपवित' यानि जनेऊ पहनकर 'द्विज' बनना होगा। पंडित सत्यानंद सरस्वती ने ही निरंजन महंता को सर्वप्रथम 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' नामक संगठन के 27/28/29 दिसंबर 1915 में हो रहे उत्तरप्रदेश के लखनऊ सम्मेलन में भेजने का प्रबंध किया था। इस प्रकार यहीं से आरंभ हुआ कुड़मि का जनजातिय अस्मिता का महाविनाश। एक आदिम जनजाति के एथनिकल महाविनाश का अगुआ बन कर निरंजन महंता विभीषण बन आगे चल कर किस प्रकार इस पूरे छोटानागपुर राढ़ क्षेत्र के कुड़मि जनगोष्ठी का मूलोच्छेद करने के भयंकर कार्य में जुट चुके थे इसका भान उसे जीवन भर न हो सका।

दुर्भाग्यवश कुड़मि जनजाति के लिए भंजक प्रवर बने ग्राम–भंजकिया, परगना–पांचपीढ़, थाना–जसिपुर, (करंजिआ), जिला–क्योंझर, उड़िसा के निरंजन महंता उर्फ निर्भयानंद महाराज को न जाने हमारी कितनी पीढ़ियाँ इस कुड़मि विरोधी कुकृत्य के लिए कोसती रहेंगी। न जाने क्यों इनकी

मति मारी गई थी कि जनजाति कुड़मि को कथित 'उच्चवर्ण' आर्य जातियों से 'जल–चल' कराने अर्थात कुड़मि के छुये जल को स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए इस व्यक्ति पर कौन सा भूत सवार हुआ और उसने ढँड़–कुड़मि को रंगा सियार बनाने का अहर्निश प्रयास किया था और इसके लिये आजीवन प्रचुर धन और समय का अपव्यय किया था। कहा जाता है कि कुड़मि को आर्यकुल में लाने और उच्च्मान क्षत्री जाति में रूपांतरित करने अर्थात कुड़मि की जनजातिय पहचान मिटाकर हिन्दूआइज्ड करने का पूरा श्रेय इसी निरंजन ने ले लिया था और इसके लिए 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' द्वारा उन्हे उस जमाने में 500 रूपये खर्च दिया जाता था। इसे ही कहते है कौवों के पूँछ में मोर पंख खोंसकर जबरन मोर साबित करना।

यह घटना सन 1905 में क्योंझर, उड़िसा से आरंभ होती है जब वहाँ के एक स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध 'किचिकेश्वरी' मंदिर में कुड़मि व अन्य किसी जनजाति समूह को पुजारी वर्ग द्वारा मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित किये जाने की जानकारी निरंजन महंता को हुई। चूंकि कोल, कुड़मि, संथाल, भील, हो एवं भूमिज आदि को हिन्दू नहीं माना जाता था और इन जनजाति समूह के अपने आराध्य स्थल थे जिन्हे 'थान' कहा जाता था और उनमें किसी आर्य पुजारी नियुक्त न हो सकते थे, इसलिए चाहने पर भी विधर्मी जनजाति कुड़मियों को हिन्दू देवी देवताओं के मंदिरों में प्रवेश न मिलना कोई आश्चर्य लगनेवाली बात न थी। परंतु अपने साथ 'अस्पृश्यता' जैसी सामाजिक अपमान जनक व्यवहार से अपेक्षाकृत संपन्न हो चुके कुड़मि जनों में रोष व एक प्रकार की तिलमिलाहट की भावना पनपने के कारण उनमें इस घृणास्पद परिस्थिति से बाहर आने का यही उपाय सूझा कि किसी तरह इन कथित 'उच्चवर्णी' लोगों से कम से कम 'अछूत' बनकर कर रहने के अपमान से मुक्ति मिल जाए। संभवतः इसी धारणा के वशीभूत होकर निरंजन महंता ने अकुलाकर ये निश्चय कर लिया हो कि जो भी करना पड़े लेकिन अपने कुड़मि जनो को उच्च्मान प्रदान करवा के ही दम लेंगें।

कहा जाता है कि किचिकेश्वरी मंदिर में कुड़मि को प्रवेश दिलाने के लिए जुनून की हद पार कर चुके निरंजन ने चाहे जितनी भी पूरजोर कोशिश की हो पर स्थानीय कथित उच्चजनो ने उनको कभी तवज्जो नही दी। उड़िसा धर्मसभा के श्रीनाथ मिश्र ने अपने 'बिराट बंश' नामक काव्य में

कुड़मि जनजाति को अन्य जनजातियों की ही भांति 'राक्षस', 'दस्यु' और 'पेचाक' के रूप में उद्धृत किया था जो कि वहाँ के स्कूलों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया भी जाता रहा। परंतु तब भी पंडित सत्यानंद सरस्वती के कहने पर लंबे समय तक निरंजन ने अपने आदिम जनजाति कुड़मि जनगोष्ठी को जबरन आर्य नस्ली उत्तरी प्रांत के क्षत्री कुर्मी से जोड़ने का कुकृत्य किया था जिसका समय समय पर बार बार विरोध भी हुआ पर सामान्य जनों के ऐसे विरोधों को दबा दिया जाता रहा। 1915 में ही पंडित सत्यानंद सरस्वती के कहने पर निरंजन ने "कुर्मी क्षत्रिय वंशावली' नामक एक पुस्तक की ही रचना कर डाली जिसमें कुड़मि के जनजाति स्वत्व को समाप्त करके वैदिक संस्कृति के ऋषिगोत्र प्रदान करते हुए पूर्णतया आर्य नस्ली दिखाने का प्रपंच रचा गया था। 1928 के मुजफ्फरपुर बिहार के कुर्मी क्षत्रिय महासभा में निरंजन ने ही मानभूम के तीन जनों को जनेऊ धारण करने भेजा था। (संदर्भ–निरंजन महंता के बड़े पुत्र प्रियनाथ सिंह से डा. पशुपति प्रसाद महतो द्वारा लिये गये साक्षात्कार, दिनांक– 06.10.1978)

यद्यपि जाति उच्चता मान प्राप्ति के चक्कर में कुड़मियों ने उस समय से अभी तक अनगिनत मिटिंग और सभायें की परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी वे कथित उच्चवर्णी जातियों का दिल जीत न सके और उन जातियों द्वारा अभी भी कुड़मि एवं अन्य सभी जनजातियों को 'अछूता' ही माना जाता है। अभी भी कथित रूप से उच्च माने जाने वाले 'क्षत्रिय' स्टेटस के संबंध में ये आधारभूत जानकारी भी कुड़मि तथा कुर्मी दोनों प्रजातियों में कितनी हैं इनकी समझ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे दरअसल जिस उच्च वर्ण (क्षत्रियत्व) को हासिल करने के लिए इतना पसीना बहा रहे है वह स्टेटस उन्हें देगा कौन? क्या ये सरकार से मिलेगा या फिर मनुवादी वर्ण–व्यवस्था पर आधारित वैदिक(हिन्द)धर्म के सर्वेसर्वा वर्णश्रेष्ठ 'ब्राह्मण' द्वारा ये स्टेटस प्रदान किया जाना है। अगर मान्यता सरकार से मिलने की बात है तो यह जानना दिलचस्प होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद व धारा के अनुसार मिलेगा? अगर वैदिक(हिन्दू)धर्म के वर्णश्रेष्ठ ब्राह्मण सभा द्वारा क्षत्रियत्व का स्टेटस पाने की आशा कर रहे है तो यह सिर्फ और सिर्फ एक हास्यास्पद बात है। क्योंकि जिन ब्राह्मणों ने कुर्मी(क्षत्रिय?) के गौरव कहे जानेवाले महानायक वीर शिवाजी को शुद्र कह कर उनका राजतिलक करने से मना

कर दिया था और वे अकूत धन देकर भी उन्हे मना नहीं सके थे, वे आपको सात जन्म तपस्या करने पर भी श्रेष्ठ जाति का मानेंगें इसकी रत्ती भर भी आस करना सिर्फ बेवकूफी है। इस संबंध में एक प्रसंग को उद्धृत करना दिलचस्प होगा– "मानभूम के पुरूलिया सदर अनुमंडल अंतर्गत पुंचा थाना के नपाड़ा गाँव के कुँजवा महतो एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। 1929 के घाघरजुड़ी सम्मेलन से प्रभावित होकर उसने जनेऊ धारण किया था। परंतु उसके निकटवर्ती बागदा गाँव के बंगाली ब्राह्मणों को यह असहनीय लगा था। जब उनके गाँव में हो रहे दुर्गा पूजा के नवमी के दिन कुँजवा महतो पूजा में सम्मिलित होने पंडाल में पहुँचा तो वहाँ उपस्थित पुजारी ब्राह्मणों ने उनका जनेऊ काट कर हटा दिया और जबरन उनका सिर मुड़ाकर उसे घर भेज दिया था। इस घटना से आहत होकर कुँजवा महतो ने पुरूलिया आकर उक्त घटना के लिये मनिगोपाल मुखर्जी, चंद्रकांत मुखर्जी, कमल मुखर्जी एवं अन्य पर केस दर्ज किया था। इस घटना से कुड़मि समुदाय में जबरदस्त क्षोभ एवं व्याकुलता देखी गयी थी। अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा के अगुआ नेता पुरूलिया कोर्ट के मुख्तियार रहे राजकिशोर महतो ने कुँजवा महतो के समर्थन में कुर्मी–क्षत्रिय समुदाय से मदद की अपील की और हर कुड़मि घर से एक एक रूपया सहयोग लेकर केस को आगे बढ़ाने में जुट गये। परंतु पुरूलिया का सदर एस.डी.ओ. एक कुलीन ब्राह्मण था। उसने दोनो पक्षों के बीच सलाह मशविरा करके आरोपी ब्राह्मणों से 25 रूपये जुर्माना वसूलकर मामले को रफा दफा कर दिया। इस प्रसंग का वर्णन रांची के जाने माने वकील रहे विष्णु चरण महतो ने अपनी पुस्तक 'द कुड़मि आफ छोटानागपुर' में की तथा यह भी बताया कि ये घटना नवक्षत्रिय बने अतिउत्साही संभ्रांत कुड़मियों को क्षुब्ध करके जनेऊ धारण करने में गति लाने के उद्येश्य से छलावरण के रूप में किया गया था।" इतने सारे घटना–परिघटनाओं के बावजूद कुड़मि जनसाधारण के बीच जनेऊ धारण कार्यक्रम का सदा विरोध होते रहने के अनेक दृष्टांत पाये जाते है।

1933 में कुड़मियों के जनेऊधारण के विरोध में छपा एक पंफलेट के द्वारा पूरे मानभूम क्षेत्र में एक सूचना पत्र प्रेषित किया गया था और उसमें जनेऊ धारण करने के कारणों को नहीं समझा पाने पर क्षत्रिय बने संभ्रांत कुड़मियों का छीछालेदर करते हुए पुरूलिया के हुलका निवासी रजनी कांत महतो ने जनेऊ धारण किए जनों से कुड़मि के लिये जनेऊ धारण

करने औचित्य पूछा। जवाब के तौर पर वेद और शास्त्र में इसका वर्णन होने की बात कही गई। जब रजनी कांत महतो द्वारा वेद और शास्त्र के उक्त साक्ष्य को प्रस्तुत करने को कहा गया तो जवाब देने वाले कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके और अंततः उन्हे ये स्वीकारना पड़ा कि ग्रंथों में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। बदले में उन लोगों ने उलटे जाति के ही अस्तित्व न होने की बात कही। पुनः जब यह पूछने पर कि अगर जाति व्यवस्था कायम नहीं है तो विवाह तथा मृत्यु के समय क्यों नहीं सबको एक साथ मिल बैठ कर खिलाया जाना चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा द्वारा महिलाओं पर जारी किये गए प्रतिबंधों से संबंधित बातें रखी गई जिस पर कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। अंततोगत्वा उस मिटिंग में यह निर्णय लिया गया कि निरंजन महंता द्वारा किये जा रहे आंदोलन से कुड़मि जनजाति अभी तक तो सिर्फ दो टुकड़ों में बँटा है पर आगे चलकर इसका अंततः सर्वनाश हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पुनर्जीवित करना संभव न हो सकेगा। अतः कुड़मि जनो को अपने पारंपरिक पुरखेनी कुलाचार के अनुसार चल रहे समाज व्यवस्था पर ही कायम रहना चाहिए।

स्वाधीनता उपरांत घटनाओं पर दृष्टि डालें तो उड़िसा के कतिपय सरकारी विभाग के दस्तावेज ये दर्शाते है कि 1953 तक कुड़मि विधार्थियों को जनजाति होने के तौर पर मिलने वाला 'स्टाइपेंड' 1953 में सोनाराम मांझी के 'जनजाति कल्याण मंत्री' बनने के बाद बंद कर दिया गया और कुड़मि को जनजाति की अनुसूची से बाहर कर दिया गया। उस वक्त स्टाइपेंड पा रहे विभिन्न कालेजों के 37 कुड़मि जनजाति के विद्यार्थियों में से 32 को धनाभाव में पढ़ाई बंद करनी पड़ी थी क्योंकि साबुई रस्सी बनाकर और धान बेच कर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने में उनके परिजन असमर्थ थे।

आदिम कुड़मि समुदाय के जनजातिय स्वत्व (पहचान) को मिटाकर उसे ट्राइब (जनजाति) से कास्ट (जाति) में बदलने का कुत्सित प्रयास उस समय से लेकर आज भी नित नये नये कार्यक्रमों, आयोजनों, स्कीमों और प्रलोभनों के जरिए बदस्तूर जारी है और भ्रम व अज्ञानतावश शिक्षित और ज्ञानी का दंभ भरनेवाला कुड़मि अपनी मौलिकता खोकर अभी भी उसमें पल पल फँसता ही जा रहा है और अपनी पुरखों की संचित स्वत्व को उसमें डुबोता जा रहा है।

2. कुड़मि : एक परिचय

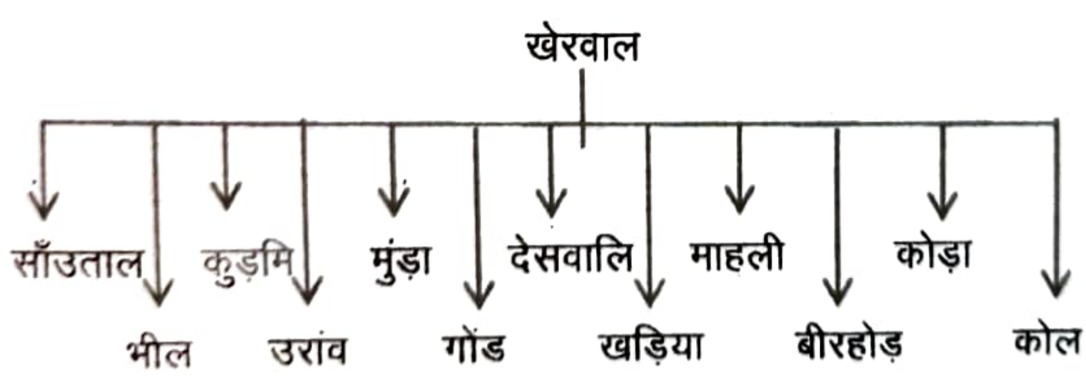
विभिन्न मिथकों और समाजशास्त्रियों के मंतव्यों द्वारा कुड़मि जनजाति के संबंध में कई तरह के दृष्टांत दिये जाने के बावजूद आदिम जनजाति रहे यहाँ के इंडिजीनस/प्रिमिटिव कुड़मि कबिले के संबंध में असल तथ्य अभी तक उजागर नहीं हो सका है। चूँकि अभी तक प्रायः सभी प्रमुख शोधकर्ताओं ने पश्चिमी प्रवाहमान स्वरूप में ही खोज कार्य किया है। अतः लगभग सभी की कृतियाँ कुड़मि के बदले कुर्मी के बारे में किये गये खोजों और अनुसंधानों पर ही सीमित रही और उन्ही के लिए जुटाये गए तथ्यों को कुर्मी का समश्रुति नाम समझकर 'कुड़मि' जनजाति पर भी लागू कर दिये जाने की भूल का दोहराव होते रहने की दास्तान साबित हुई है। दूसरी ओर, कुड़मि समुदाय में शिक्षा और बाहरी दुनिया के संबंध में जानकारी का अभाव रहने के कारण इन्हे अपने संबंध में बारीकी से तथ्यों का ज्ञान न के बराबर था। अभी भी कमोबेश यह विडंबना बनी हुई ही है क्योंकि अधिकांश कुड़मि शिक्षित वर्ग अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं रखते और ना ही अपने अतीत की खोज व अध्ययन करने की जिम्मेवारी स्वीकारते है।

वर्तमान समय में अधिकांश शिक्षित कुड़मि जन अपने को महाराष्ट्र के शिवाज़ी और गुजरात के बल्लभ भाई पटेल से अपना नाता जोड़ने का प्रयास करते देखे जा सकते है जो सर्वथा अवास्तविक और मनगढ़ंत है। ये बातें आर्य नस्ल के कुर्मी के लिए सही हो सकती है मगर द्रविड़ प्रजाति के 'कुड़मि' जनगोष्ठी पर यह कतई लागू नहीं हो सकता। कुड़मि के अपने प्रथागत जनजातिय पहचान भूमिज और उरांव से भी अधिक मौलिकता के रूप में कायम है यद्यपि कुड़मि को इन जनजातियों की तरह अनुसूचित स्वरूप में सरकारी संरक्षण वर्तमान में प्राप्त नहीं है। छोटानागपुर क्षेत्र में राढ़–सभ्यता के जनक कहे जानेवाले खेरवाल समूह के जनजातियों पर स्वाभाविक रूप से एकात्म सर्वेक्षण का न हो पाना एक बड़ी त्रासदी है। पर इसके लिए दोषी किसको माना जाए? इस क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा का बीज डालने वाले अंग्रेज विद्वानों का हम चिरऋणी है जिन्होने भारतीय समाज व्यवस्था के विरूद्ध जाकर सबके लिए शिक्षा के द्वार खोले और अंततः बाहरी दुनिया से कटे जनजातियों को देश–विदेश

से साक्षात्कार का मौका मिला। हालांकि इस क्रम में अनेक जनजातियों ने अपना प्रकृति धर्म–संस्कृति त्याग कर इसाई बन कर अपना आदिवासित्व नष्ट भी किया जिसे जनजातिय नजरिये से अवश्य ही अवांछित माना जाना चाहिए। पहली बार तत्कालीन भारत सरकार के सर्वे अधीक्षक सर हर्बट होप रिज़ले महोदय ने अपने पैनी नजरों और विशिष्ट जाँच विधि के आधार पर छोटानागपुर के भौगोलिक क्षेत्र के आदि वासिंदा कुड़मि जनगोष्ठी के आर्य कुर्मी से पूर्णतया अलग प्रजाति होने को प्रमाणित किया था। इससे पूर्व कर्नल इ टी डाल्टन महोदय ने छोटानागपुर क्षेत्र के कोल–कुड़मि के आदिम अस्तित्व को नकारते हुए इन्हें पश्चिमी और उतरी प्रांत के कुर्मीयों के अनुसार ही आर्यों के सदृश मान लिया था और उनके चिंतन के अनुसार ये संभवतः बंगाल क्षेत्र के आर्यों के प्राचीनतम आव्रजकों के संतान है।

परंतु, डाल्टन महोदय के उक्त चिंतन के बिल्कुल विपरीत तथ्य सर एच.एच. रिज़ले साहब के तथ्य सच्चाई के ज्यादा करीब साबित हुए। भारत सरकार के सेन्शस आपरेशन के सुपरीटेन्डेन्ट रहे सर रिज़ले जिनको 'फादर आफ एन्थ्रोपोलोजी' कहा जाता है, के 20 वर्ष के सुदीर्घ अन्वेषण के पश्चात विस्तृत छोटानागपुर क्षेत्र के 13 मूल जनजातियों को खोज कर उनके आदिम अधिवासी (इंडिजीनस) होने को सर्वप्रथम एच.एच. रिज़ले ने ही दुनिया के सामने रखा। इससे पूर्व 1865 में बने इंडियन सक्शेसन ऐक्ट 1865 से उन समस्त 13 जनजातियों **मुड़ा, उरॉव, संथाल, हो, भुमिज, खड़िया, घासी, गोंड, कंध, कोरवा, कुड़मि, मालेसौरिया और पान,** जो किसी लिखित धर्म के लोग न होकर अपनी रूढ़िवादी पुरखेनी प्रथागत परंपराओं से संचालित थे और प्रकृति की आराधना ही जिनका धर्म था, उन सभी के हिन्दू नहीं होने के कारण उनपर भारतीय (हिन्दू) उतराधिकार कानून लागू ही न हो सका और उक्त कानून के प्रावधानों से वे सर्वथा मुक्त रहे थे। यद्यपि सर रिज़ले ने अत्यंत कम शब्दों में ही कुर्मी से इतर हट कर कुड़मि पर अलग से प्रकाश डालने की कोशिश की मगर जो भी उजागर किया उससे ही अन्य जनजातियों के साथ ही छोटानागपुर के आदिम जनजाति के रूप में कुड़मि को भी सभी प्रकार के संरक्षण प्राप्त हुए थे।

प्रसिद्ध संथाली विद्वान धीरेन्द्र नाथ बास्के की पुस्तक 'बांगला संस्कृतिते प्राक्वैदिक प्रभाब' में इस तथ्य का उल्लेख है कि आदिम काल में इस राढ़ क्षेत्र में सांउताल, कुड़मि, हो, मुड़ा, माहली, बिरहड़ इत्यादि कबिलों द्वारा एक वृहत जन–सभ्यता का सृजन हुआ जो विभिन्न जनगोष्ठियों के सम्मिलित रूप में 'खेरवाल जनसभ्यता' के रूप में सर्वविदित हुआ था। वह कबिलाई सभ्यता अपनी जीवन यात्रा में विभिन्न परंपरागत नृत्य–गीतों से पूर्णतः आवृत रही थी जिसके उत्पत्ति से संबंधित आख्यान सॉँउताली पुरान में भी वर्णित है जिसके कथानुसार आदिपुरूख की दो स्त्री रही जिसमें से बड़ी से दो और छोटी से पाँच संतान हुए। बड़ी से उत्पन्न संतानें ही कुड़मि व मुड़ा तथा छोटी से उत्पन्न संतानें सांउताल, कोड़ा, हो, बिरहड़, माहली बने।' संथाल परंगना गजेटियर में भी स्पष्ट रूप से खेरवाल समूह के संबंध में विस्तार से ये तथ्य चित्रित किये गये है जिसका सापेक्षिक अध्ययन कर विमर्श किया जाना अत्यावश्यक है। रामसुंदर बास्के की "सॉँउतालि भाषार आलोके विश्व संस्कृतिर उत्स संधान" के पृष्ठ–110 में भी इसी खेरवाल समूह को विस्तार से वर्णित किया गया है जिसमें कोल–कुड़मि को प्रमुख जनजातिय कबिले के रूप उल्लेखित किया गया है। कालांतर में खेरवाल समूह के सभी कबिलों का प्रव्रजन व विस्तार पर भी प्रकाश डाला गया है। खेरवाल गोष्ठी का वर्णन "नामेर मालाय मानभूम" नामक बंगला पुस्तक(1986) में यथेष्ट रूप में द्रष्टव्य है जिसमें निम्नलिखित कुल 12 (बारह) प्रमुख जनजातियों को खेरवाल जनगोष्ठी के अंतर्गत माना गया है–



परंतु कथित मुख्यधारा ... जनजातिय साहित्यों का नगण्य होना अथवा स्थान ही नहीं दिये जाने के कारण एवं प्रायः सभी आधुनिक

खोजकर्ताओं का पश्चिमी धारा के अनुसरण की परंपरा ने भी इस विशिष्ट सभ्यता के संबंध में सदा से ही विमूख होकर कार्य किया और अभी भी बदस्तूर कर रहे है। फलस्वरूप कुड़मि की आदिम जनजातिय अस्मिता को दरकिनार कर जबरन इसे आर्य–मूल से निःस्सृत दिखाने की होड़ दिख रही है। इसका एक और बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कुड़मि जनसमुदाय में अपने अतीत को खोजने और जानने समझने की ललक नहीं है। जिनके पूर्वज ने एक समय इस भूमि पर युगांतरकारी और अभिनव प्रयोग किये है और जनसमुदायों को शिकार युग से कृषि युग में लाने का महान कार्य किया है वहीं आज किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो अपनी दूर्दशा पर आँसू बहाने लायक भी नहीं बनना चाहते। दुनिया का रस्मों–रिवाज रहा है कि अगर आप अपने सम्मान स्वयं नहीं समझते तो दूसरे आपकी सम्मान की चिंता क्यों करें। उसे तो बस अपनी चिंता की ही फिक्र सताती रहती है। पर मौका पाते ही अपकी आलोचना करने से वे बाज नहीं आते। यह दर्शन कुड़मियों को अभी भी नसीब नहीं हुआ लगता है। तभी तो कुड़मियो पर न तो सरकार मेहरबान रही और न पड़ोसी। पर उन्होने कुड़मि जनों की निर्वाकता का बेजा फायदा अपना स्वार्थ खुब साधा है। इस प्रकार सरकार और पड़ोसियों द्वारा कुड़मियों का मनोबल गिराने हेतु इस जनजाति को मनमाने ढंग से परिभाषित किया अभी भी जाना जारी है। ०००

3. कुड़मि : एक आदिम जनजाति

यह सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी जनसमुदाय को उनकी अपनी अतीत का इतिहास, भाषा, संस्कृति, प्रथाएं व परंपरायें उनसे छिपा दी जाए अथवा मिटा दी जाए तो वह जनगोष्ठी सदा के लिए पराश्रित गुलाम बन जाएगी अथवा स्वतः बिखर कर मिट जाएगी। स्पष्टतया भारत के इस आदिम खेरवाल जनजाति समूह ही एक समय इस सभ्यता का प्रतिष्ठाता रहा। परंतु कालांतर में बर्बर आव्रजक जातियों व संस्कृतियों द्वारा हजारों साल पहले से इस सुदीर्घ प्राचीन सभ्यता को मिटाने के पूरजोर प्रयास हावी होते रहे और अंततः पूरे क्षेत्र में आव्रजक संस्कृति ने अपना परचम लहरा डाला। फलस्वरूप, आज तक इस दुश्चक्र के विरूद्ध काफी लंबे अरसे से राढ़ क्षेत्र की खेरवाल सभ्यता के मात्र कुछेक अवशेषों के संरक्षण का प्रयास कार्य ही चलता आ रहा है।

आव्रजक वैदिक धर्म–संस्कृति ने भारत के प्रायः सभी नेटिव जनजातियों को कुछ न कुछ जरूर संक्रमित किया। परंतु अन्य जनजातियों की तुलना में कुड़मि सर्वाधिक भ्रम और नासमझी का शिकार बना हुआ है। प्रजातिगत भिन्नताओं को नकार कर सर्वसुलभ बनने की चाह ने कुड़मि के जनजातिय तत्वों को आघात पहुंचाया है। कुड़मि जनजाति को कुर्मी जाति में बदलने की पूरजोर कोशिश की गई है। पर ध्यान रहे, जनजाति और गैर जनजाति के बीच सबसे बड़ा और मुलभूत अंतर इनके उत्पत्ति से संबंधित प्राकृतिक 'टोटेम' और टोटेमिक प्रथाओं का होना है। इसके अलावा जनजाति समाज की परंपराओं में किसी प्रकार के ऊँच नीच और भेद भाव का अभाव होता है। ये प्रकृति की गोद में जीते हैं और इनके जीवन में स्वर्ग–नरक, पुनर्जन्म, और मोक्ष, दान व पुण्य जैसे काल्पनिक और अवास्तविक कर्मकांडों का भी कोई स्थान नहीं होता।

सभी यह जानते है कि 3 मई 1913 को प्रकाशित गजट आफ इंडिया के नोटिफिकेशन संख्या–550 के अनुसार कुड़मि सहित छोटानागपुर क्षेत्र में बसबास करनेवाले 13 जनजातियों को भारतीय उतराधिकार कानून 1865 के प्रावधानों से बाहर इसलिए रखा गया था क्योंकि ये जनजातियाँ किसी लिखित धर्म (हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध, इत्यादि) व्यवस्था से दूर रहकर अपने अपने प्रथागत रूढ़िवादी परंपराओं को तहत मान्य पुरखेनी उतराधिकार नियमों से संचालित थी। ये प्रथागत

आदि–नियम आज भी इन जनजातियों पर लागू है अर्थात संथाल, मुंडा, हो, खड़िया आदि की तरह कुड़मि भी एक जनजाति होने के तौर पर अभी तक भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1865 के प्रावधानों से पूर्णतया मुक्त है और इसे झूठे और काल्पनिक कथाओं के धर्मो से जोड़कर इनके जनजातिय स्वत्व से वंचित नहीं किया जा सकता।

अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था में आदिम जनजातियों के परंपरागत नियमों को नष्ट नहीं किया बल्कि अनादिकाल से चली आ रही उनके प्रथागत मान्यताओं और नियमों (Customary Laws) के तहत प्रशासन चलाने के लिए निर्देश जारी किया। अंग्रेज विभिन्न प्रकार के कतिपय सर्वेक्षण करके ये समझ पाये कि आदिम कबिले के ये लोग हजारों पीढ़ियों से प्रथागत नियमों के आधार पर स्वशासन व्यवस्था संचालित करते रहे है जिनमें गाँव स्तर पर लोगों के अधिकार, संपत्ति का बँटवारा, आपसी झगड़े, शादी–विवाह, श्राद्धकर्म, तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में गाँव के समाज प्रधान की ही मुख्य भूमिका होती है। हर कबिले के अपने अपने प्रथागत नियमों के तहत शासन तंत्र का नाम अलग अलग है। मुंडा जनजाति में प्रधान को 'मुंडा' कहा जाता है, कई गाँव मिलकर समाज प्रधान को 'मानकी' कहते है फिर उससे बड़ा पद वाले को 'पड़हा राजा' कहते है। इसी तरह हो समुदाय में भी ग्राम प्रधान को मुंड़ा कहा जाता है जबकि इनमें पड़हा राजा की पदवी नहीं है। भूमिज जाति में कहीं ग्राम प्रधान को मुण्डा तो कहीं सरदार कहते है। खड़िया में इसे डोकलो–सोहोर कहते है। संथाल समुदाय में समाज प्रधान को 'मांझी/हाड़ाम' तथा कई गाँव मिलाकर बने प्रधान को 'परगनेइत' तथा उससे भी बड़ा पद वाले को 'दिशोम परगना' कहा जाता है। संथाल की ही तरह कुड़मि तथा उरांव जनजाति में गाँव स्तर के प्रधान को 'माहातअ' या 'महतो' तथा कई गाँवों को मिलाकर बने प्रधान को 'परगनैत' कहते है। 'माहातअ' तथा परगनैत से बड़ा पद धारी को 'मड़ल' तथा उससे भी बड़े पदधारक को 'देशमड़ल' कहने की प्रथा मौजूद है। हजारों सालों से साथ साथ जी रहे इन आदिम जनजाति कबिलों में कभी आपसी द्वन्द्व नहीं देखा गया और न किसी प्रकार के टकराव का इतिहास अंग्रेजों को देखने को मिला। वे आदिम जनजातियों की ऐसी विलक्षण समतामूलक संस्कृति और समाज व्यवस्था देख चकित थे।

यहां यह दोहराना आवश्यक होगा कि उक्त नोटिफिकेशन (*गजट आफ इंडिया के नोटिफिकेशन संख्या–550, दिनांक– 2 मई 1913*) भारत सरकार के महामहिम गवर्नर जनरल के आदेश का अधिकृत स्वरूप में प्रकाशन हुआ था जिसके उपर सिर्फ ब्रिटिश क्राउन का ही हस्तक्षेप संभव हो सकता था, अन्य और किसी का नहीं। फिर भी किन परिस्थितियों में और क्योंकर कुड़मि जनजातियों को इस गंभीर धोखे का शिकार बनाया गया और किसकी साठगांठ से भारत के इस विशिष्ट आदिम जनजाति को उसके प्रकृत स्वत्व के हक से वंचित कर दिया गया, इसका उद्भेदन होना बहुत जरूरी है। अन्यथा इस वंचना के फलस्वरूप इस जनजाति का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीक क्षति हो चुका उसकी तो भरपाई ही संभव न हो पायेगी।

भारतीय संविधान की धारा 372 के अनुसार संविधान लागू होने के पहले पारित किये गये अधिनियम, कानून यथास्थिति बने रहने तथा संविधान की धारा 374 (3) के अनुसार महामहिम गवर्नर जनरल आफ इंडिया के द्वारा पारित निर्णय व आदेश हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय सा मान्य होंगें। संविधान की धारा 266(10) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में कुड़मि जनजाति की जमीन संरक्षित हुई मगर 6 सितंबर 1950 की सूची में न आने के फलस्वरूप कुड़मि जनजाति का स्वत्व छीना गया और भूमि पर से 'राइट व टाइटल' नष्ट हुआ और कुड़मि जनजाति की भूमि बिकाऊ बना दी गई।

1872 से लेकर 1931 तक की जनगणना में जनगणना अधिकारियों ने छोटानागपुर के आदिम जनजाति कुड़मि को क्रमशः 'प्रिमिटिव ट्राइब', 'एनिमिस्ट' तथा 'एबोरिजिनल ट्राइब' के रूप में गणना की थी तथ्यात्मक रूप से यह बात सभी जानते और कहते है। परंतु उसके बाद न जाने क्यों वैदिक संस्कृति के प्रभाव में फंसा कर कुड़मि के जनजातीय अस्तित्व के सर्वनाश होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। हजारों पीढ़ियों से अपने प्रथागत जनजातिय परंपराओं के आधार पर कायम रहे कुड़मि के भुतपिंढ़ा में अनायास आर्यवादी संस्कारों का प्रवेश करवाने तथा घांट–श्राद्ध जैसे कामों के लिये अपने सामाजिक पिड़हि नइआ (भगिना) को हटाकर पंडित घुसा दिया गया। इस प्रकार एक श्रेष्ठ आदि धरम का स्रष्टा रहे कुड़मि जनजाति को हिन्दुआइज्ड कर अंततः 'शुद्र' श्रेणी में स्थान दिया गया। हालांकि इस दौरान एक और विचित्र मजाक यह भी हुआ कि कुड़मि को

'हिरण्यगर्भ' संस्कार करके और जनेऊ पहनाकर क्षत्रिय बनाने का ढोंग भी खूब रचा गया और उनके कबिलायी टोटेम को हटाकर उन्हे आर्य गौत्र भी प्रदान किया गया परंतु किसी पूर्व से उच्च वर्ण में रहे अन्य क्षत्रिय वंश से कोई सामाजिक संबंध बनाने नहीं दिया गया। गौर से देखा जाए तो यह सब अनायास और अचानक से नहीं हुआ। छोटानागपुर क्षेत्र यद्यपि जनजाति सभ्यता का स्रष्टा रहा था अतः यहाँ राजतंत्र और सामंतवाद की परंपरा विकसित नहीं हुई। परंतु यहाँ जिन जनसमूहों ने अपने राज स्थापित किये उनमें से एक भी राजपुत वंश के नहीं थे। छोटानागपुर के अंतर्गत राँची का राजा– मुण्डा, पलामू का राजा– चेरो, मानभूम(पंचकोट) का महाराजा– कुड़मि, धालभूम का राजा– धोबी, बराभूम का राजा– भूमिज, रामगढ़ का राजा– घटवाल, सिंहभूम(पोड़ाहाट) का राजा– गोंड, सुरगुँजा का राजा– गोंड(भुईयाँ), मानबाजार का राजा– बाउरी, जशपुर का राजा– सबर, कोराम्बे का राजा– तेली, झरिया का राजा– घटवार, कतरास का राजा– घटवार, तमाड़ का राजा– मुण्डा, सिल्ली का राजा– मुण्डा, बुंडु का राजा– मुण्डा तथा रोहतास का राजा– उरांव जनजाति से थे। चूँकि इस हिरण्यगर्भ संस्कार की प्रेरणा यहाँ के इन समस्त जनजातिय शासकों ने 17वीं सदी के अंतिम दशक में ही स्वयं का भी हिरण्यगर्भ संस्कार कर के दे चुके थे जिसका उल्लेख कर्नल डाल्टन, एच. एच. रिज़ले के अलावे एम. जी. हैजलिट, इ. लिस्टर, एच. कुपलैंड कृत गजेटियर्स में भी द्रष्टव्य है। परंतु आगे चलकर देश के अंग्रेजी हुकूमत समाप्त होने के पश्चात बने देशी लोकतांत्रिक सरकार ने 6 सितंबर 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाशित किया जिसमें तब तक 'प्रिमिटिव ट्राइब' रहे छोटानागपुर (राढ़ क्षेत्र) के कुड़मि जनजाति का नाम भूल वश या जान बुझ कर या और किसी षड़यंत्र के तहत छोड़ दिया गया। अतः 6 सितंबर 1950 का दिन हमारे कुड़मि समुदाय के लिए "अन्याय– दिवस" के तौर पर माना जाता है। इसी अन्याय के विरूद्ध कुड़मि कबिला आज भी संघर्षरत है।

1950 से लेकर अभी तक बहुत समय गुजर चुका है। अपनी कबिलायी पहचान कायम रखने और जनजातिय अस्तित्व की मान्यता प्राप्त करने हेतु कुड़मि समुदाय का संघर्ष सतत जारी है। इसमें भाषायी पहचान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बल्कि हम यह कह सकते है कि अपनी जनजातिय विशेषता की सर्वोच्च आधार अपनी मातृभाषा ही हो सकती है। किसी जनजाति

कबिला विशेष की अपनी स्वग्रं की सृजित मातृभाषा का होना उसके सशक्त आदिम जनजातिय अस्तित्व का परिचायक है। ध्यान रहे– अकेले यही एक तत्व हमारी हारी हुई लड़ाई हमें पुनः जीता सकती है बस हमें इसकी महत्ता समझ कर जनगणना रजिस्टर में "कुड़मि की मातृभाषा कुड़मालि" दर्ज करके सरकार के पास समुचित सर्वे डाटा प्रस्तुत करना होगा। अर्थात अगर जितने संताल उतनी संताली भाषा, जितने मुंडा उतनी मुंडारी भाषा हो सकती है तो जितनी जनसंख्या कुड़मि की, उतनी ही संख्या में कुड़मालि भाषा का भी डाटा दिखना चाहिए। अपने खोये हक को पाने का यही महामार्ग साबित हो सकता है। अतः हर एक कुड़मि खुद इसे समझे और अपने सभी रिश्ते–नाते के लोगों को भी समझायें। हम अपनी आनेवाली पीढ़ी के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते है कि अपनी बपौती भाषा को स्थापित कर स्कूल–कालेजों से लेकर हर सरकारी कार्यों में द्वितीय राजभाषा बनी कुड़मालि की उपयोगिता स्थापित कर अपने युवाओं के लिए हजारों अवसर पैदा करवा सकें।

4. कुड़मि और कुर्मी

वर्तमान पीढ़ी के लोगों में सर्वाधिक भ्रम कुड़मि और कुर्मी को लेकर ही है। अनेक बार सभा–जड़ुआहि करते रहने और अपने संबंध में शासकीय मूल दस्तावेजों को दिखाने के बाद भी हमारे मोटे बुद्धि के जनजाति कुड़मियों को शायद ही यह बात समझ में आती है कि कुड़मि और कुर्मी दोनो एक कतई नहीं है। आर्य कुलीन क्षत्रीय कुर्मीयों का 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' नामक संगठन के द्वारा 1931 की जनगणना के पूर्व 1915 से और जनगणना के दौरान भी अत्यंत भयंकर रूप में यह भ्रम एक सोचे समझे षड़यंत्र के तहत किस कदर फैलाया गया जिसकी चर्चा इसी अध्याय में आगे की गई है। यहाँ तक कि सभी अंग्रेज जनगणना अधिकारी व जनगणना अधीक्षक तक कुड़मि हित में ये बातें कहते रह गये कि छोटानागपुर क्षेत्र के 'कुड़मि' और बिहार, संयुक्त प्रांत तरफ के कुर्मी में नस्लगत अंतर है और दोनों एक फोल्डर में रखे नहीं जा सकते। पर न जाने क्यों इनकी नियति को यही मंजूर था कि यहाँ के विशेष कर आर्थिक रूप से संभ्रांत अवस्था के माने जानेवाले 1(एक) प्रतिशत से भी कम कुड़मि किस लालच के वशीभूत हो गलत सोच का शिकार होकर 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' के चक्कर में पड़े और अपना मौलिक स्वत्व नष्ट करके अपने भावी पीढ़ी को सांस्कृतिक महानाश की तरफ ले चले थे।

'कुड़मि' नाम के संबंध में बिहार के कुर्मी लोग छोटानागपुर पठार क्षेत्र के कुड़मियों को सदा से 'कोल–कुड़मि' ही कहते आये है और किसी प्रकार का सामाजिक संबंध भी इनके बीच नही रहा। अपने रिसर्च लेखों में W.G. Lacey और A.E. Porter बताते है कि क्षत्रिय होने का दावा यहाँ के किसी स्थानीय कुड़मि अथवा किसी कुड़मि संस्था ने कभी नहीं की बल्कि इनके क्षत्रिय होने का दावा 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' के द्वारा ही किया गया था। समस्त स्मार–पत्र और ज्ञापन भी 'अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा' के बिहार, युपी, मध्यप्रांत, गुजरात तथा महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा ही दिये गये जिनमें कोई छोटानागपुर का स्थानीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। जनगणना कार्य के दौरान भी बिहार के कुर्मियों ने ही यह दावा किया था कि कुर्मी और कुड़मि दोनों

एक और अभिन्न है, पर जनगणना प्राधिकार द्वारा प्रमाण माँगे जाने पर उन्होने इसका कोई प्रमाण न रखा। कुडमि इस मामले पर अवाक् और निर्वाक थे। जनगणना अधीक्षक W.G. Lacey (1931) ने कुर्मी और कुड़मि के संबंध में निम्नलिखित तुलनात्मक अध्ययन अपने निबंध में रखा–

"It has however, generally been assumed in previous Census reports that the Kurmi-Mahatos are semi aboriginal people whose ancestors were allied to the Santhal and Bhumij tribes. Instructions were accordingly issued on the present occasion that a return of Kurmi-Kshatriya might be accepted in the case only of the Bihar community. These instructions gave rise to a flood of protest."

"The All India Kurmi Kshatriya Association took up the cudgels on behalf of the Kurmi-Mahatos and stoutly affirmed that 'they and the Kurmi-Mahatos of the western provinces are the same, proof of which, if necessary, can be produced before Government.' It must be confessed that when invited to produce these proofs; the Association showed no great eagerness to respond and eventually took refuse in the following generalizations, which besides being unsupported by evidence and illustration would undoubtedly be contested by many persons who have considerable experience of the Kurmi-Mahatos."

W.G. Lacey(1931) ने एच एच रिज़ले(1891), सर जार्ज ग्रियरसन(1904) एवं एच कूपलैंड(1911) तथा अपने(1933) के तमाम साक्ष्य रखकर यह प्रमाणित किया कि कुर्मी और कुड़मि समश्रुति नाम लगने के बावजूद दोनो भिन्न भिन्न प्रजाति के हैं जिसमें बिहार के कुर्मी आर्य प्रजाति के हैं जबकि छोटानागपुर पठार क्षेत्र के कुड़मि अनार्य अर्थात द्रविड़ प्रजाति के जनजाति है। परंतु W.G. Lacey ने यह भी बताया कि

अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा ने इन कोल–कुड़मि की जनजातियता नष्ट करने के अनेक सारे प्रयास भी किये थे। उन्होनें अपने जर्नल के अध्याय–12 के परिशिष्ट– V में बताया कि 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' द्वारा विशेषकर मानभूम क्षेत्र में महासभा की कई बार बड़ी बड़ी प्रायोजित सभाएं हुई और क्षत्रिय बनाने के लिए करीब 200 से 1000 तक लोगों को जनेऊ पहनाने का प्रयास किया गया जिसका पाड़ा एवं बराहभूम के कुड़मियों ने तीखा विरोध किया और प्रतिवाद में अपनी सभायें आयोजित की थी। पुरूलिया लेप्रोसी अस्पताल के अधीक्षक ने एक पत्र लिखा था कि उत्तर बिहार का एक कुर्मी सिपाही जो उस अस्पताल में निवासरत था, उसने अति घृणापूर्वक मेरे द्वारा वहां के एक स्थानीय कुड़मि के साथ भोजन करने के प्रस्ताव का विरोध किया।

प्रजातिगत भिन्नता-- कुड़मि जनजाति आदिम काल से ही अपने कबिले के अंतर्गत 81 गुसटियों में विभक्त होकर अपने प्रथागत परंपराओं से सुचारू पूर्वक कुड़मालि चारि की जीवन धारा में प्रवाहमान रहे। अभी भी कुड़मि जनजाति के विभिन्न गुसटि के जन अपनी एक निजी गुसटि के अलावा इन्ही बाकी 80 कबिलायी गुसटि के संग ही बेटी–रोटी का सामाजिक संबंध स्वीकारते है। इनके पूर्वजों ने इस 'राढ़माटि' में एक नयी सभ्यता की रचना की जिसके अंतर्गत इनके अपने विशिष्ट रूढ़िवादी परंपराओं और जनजातिय पद्धति के प्रकृत पर्व और पूजा के विधान गढ़े और अपनी विशिष्ट पारंपरिक जीवन शैली से दूसरे जनजातिय समाज के मार्गदर्शक बने। इन्होने इस राढ़–सभ्यता के अंतर्गत करीब बीस हजार से अधिक गांव स्थापित किये। संदर्भ– 'राढ़–द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन' –पी आर सरकार। राढ़–सभ्यता पर विशेष शोध व खोज अभी जारी है। (कुड़मि जनजाति के टोटेम/किलि के 81 गुसटि का विवरण अलग अध्याय में दिया गया है।)

परंतु इसके ठीक विपरीत छोटानागपुर राढ़ क्षेत्र से बाहर के आर्य नस्ल के कुर्मी कहे जानेवाले समुदाय निम्न रूप से बंटे है– 1.अवधिया, 2. कोचैसा, 3.घमैला, 4.रमैया, 5.गंगवार, 6.संसवार, 7.अयोध्या, 8.कनौजिया, 9. घोड़चढ़ा, 10.जैसवार, 11.सैथवार, 12.चंदेल, 13.मल्ल, 14.कटियार, 15. सिंगरोर, 16.अथरिआ, 18.वैसवार, 19.चपरिआ, 20.निरंजन, 21.धानुक, 22. तैलंग, 23.कैवर्त, 24.अमात, 25.दौजवार, 26.सेठवार, 27.व्याहुत, 28.उतम,

29.सचान, 30.पटनवार, 31.कराई, 32.गराई। इन सभी कलस्टरों की अपनी अपनी उपजातियां है और ये सभी अंतर्विवाही समुदाय है क्योंकि इनके आपस में भी ऊँचनीच मानने के रिवाज के चलते कुर्मी कलस्तार के एक उपजाति कुर्मी के ही किसी दूसरे उपजाति से विवाह नहीं करते तथा सभी कलस्तरों के अपने अलग अलग रिवाज व चरित्र होते है। परंतु इनकी अपनी कोई विशिष्ट जातीय भाषा और संस्कृति भी नहीं है। ये सभी अपने अपने क्षेत्रानुसार बोली जाने वाली भाषाओं का ही प्रयोग करते है। आर्य प्रजाति के होने के कारण कुर्मी कलस्तरों की किसी भी उपजातियों का कोई अनुष्ठान बिना ब्राह्मण के संभव नहीं है।

एक विशिष्ट बात और, कुड़मि जनजाति किसी अवतारवाद के अनुगामी कतई नहीं है। आर्य संस्कृति से संक्रमित कुछ स्वनामधन्य कुड़मियों ने अपने को क्षत्रिय तो घोषित किया ही, साथ ही खुद को आर्य संस्कृति के मिथकों से जुड़ कर एक खास अवतार से संबंध की बात बिना ठीक से जाने समझे स्वीकारने का भूल भी कर लिया है जो सर्वथा गलत और अस्वीकार्य है। आर्य समूह स्वयं यह स्वीकारते है कि वे यहाँ पदार्पण किये उससे पुर्व ही प्राक् वैदिक जनगोष्ठियों ने एक सुव्यवस्थित सभ्यता का संसार गढ़ लिया था जिसे दुनिया हड़प्पा–मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से मात्र सौ साल पहले ही परिचित हुई। इधर एक और महत्वपूर्ण खोज हुई है जिसपर कथित रूप से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। वह है छोटानागपुर क्षेत्र में हड़प्पा–मोहनजोदड़ो के समकालीन 'राढ़–सभ्यता' के आंशिक तथ्यों का मिलना। हालांकि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जबतक कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र का सटीक सर्वेक्षण कर समुचित घोषणा नहीं हो जाती।

अतः कुड़मि सहित 'खेरवाल' समूह के सभी जनगोष्ठियों का भी अगर समुचित संकलन एवं विश्लेषण किया जाए तो वर्तमान तस्वीर के बदलने के पूरे आसार है। हमें यह स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है कि प्रजातिगत रूप से अर्थात एथनोलोजिकली पूर्णतया भिन्न होने के कारण अनार्य कुड़मि कभी भी आर्य 'कुर्मी' नहीं बन सकते। कौवे के पूँछ पर मोर पंख खोंस देने से वह मोर नहीं बन जाता। इस संबंध में जनगणना अधीक्षक J.H. Hutton(1931) को उद्धृत करते हुए कहे गये G.S.Ghuriye(1943) के इस कथन को समझा जा सकता है–

"The tragedy is that the object of the tribalist in claiming caste, or in allowing his tribal membership of a caste, is to obtain social uplift, but the more general result is to achieve merely a greater degradation." पुनः बिल्कुल इसी कथन को और अधिक पुष्ट करते हुए G.S.Ghuriye महोदय ने L.S.S. O'Malley(1910) का भी दृष्टांत दिया– "The admission of the superiority of Hinduism is the beginning of a decline of independence, and it is the educated tribalist who turns to Hinduism. Education predisposed them to Hinduism."

अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के घोर प्रयास के बावजूद 1931 की जनगणना में बिहार व उड़िसा के जनगणना पदाधिकारी रहे डब्ल्यु जी लेसी, बंगाल व सिक्किम के जनगणना अधीक्षक ए.ई. पोर्टर तथा मयुरभंज स्टेट के एम क्यु लियाकुद्दीन ने भी दोनों की प्रजातिगत भिन्नता को ही दर्शाया है तथा 'र' और 'ड़' के अंतर को स्पष्ट करते हुए सरकारी दस्तावेजों में अलग अलग ही दर्ज किया। 1929 में ही कुर्मी और कुड़मि पर विवाद उत्पन्न कर महासभा द्वारा कठिन परिस्थिति पैदा करने के बावजूद भारत सरकार के जनगणना अधीक्षक जे एच हट्टन ने 1931 की जनगणना रिपोर्ट के भाग–1, परिशिष्ट–5 के पृष्ठ 507 में प्रिमिटिव ट्राइब लिखा और यह भी कि छोटानागपुर के अधिवासित कुड़मि के पूर्वज और संथाल व भूमिज एक थे। परंतु इन सारे तथ्यों को न मानते हुए और महासभा के उकसावे में आकर अभी तक उक्त सभी राज्य सरकारों द्वारा कुर्मी शब्द का ही इस्तेमाल किया जाना और 'कुड़मि' शब्द की उपेक्षा किया जाना सांघातिक रूप से दोषपूर्ण और सर्वथा अनुचित है और इससे साजिश की बू भी आती है। कुड़मि जनजाति के लिए कुर्मी शब्द का घालमेल को अत्यंत खतरनाक समझना चाहिए। अनेक प्रयासों के बावजूद अलग अलग प्रजाति के समुदाय होने के कारण आज तक कुड़मि और कुर्मी में रोटी–बेटी का संबंध न हो सका और न होगा। कानूनविद् बुद्धिजी.वियों, विद्वानों, राजनेताओं, लेखकों, अखबारों और विभिन्न मिडिया माध्यमों को भी इस संबंध में मूलभूत जानकारी रहनी चाहिए।

5. समाज सुधार के नाम पर धोखा

विभिन्न सभाओं के माध्यम से अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा द्वारा कुड़मि जनजाति को दारू पीने, घोंघी खाने , काडा, भेड़ा लड़ाने और मुरगी रखने से भी मना किया गया और बंगाल के क्षत्रियों की तरह बारह दिन में श्राद्ध करने का फरमान जारी किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के 17वें अधिवेशन 1929 में मानभूम जिले से निरंजन महंता (निर्भयानंद महाराज?–उड़िसा) के द्वारा बहला फुसला कर या डरा कर या लालच दिखा कर, जो भी हो, के माध्यम से मात्र तीन लोगों को ही ले जाया जा सका और तीनों को बहला फुसला कर जनेऊ पहनाकर यह घोषित कर दिया गया कि अब से छोटानागपुर क्षेत्र के कुड़मियों को कोल–कुड़मि न कहकर "क्षत्रिय कुर्मी" माना जाएगा और इनके साथ भी बेटी रोटी का संबंध स्थापित करेंगें। यह अलग बात है कि तब की घोषणा अभी तक घोषणा मात्र ही बनकर रही। अपवाद के तौर पर कुछेक राजनितिक नेताओं ने अपने सामाजिक संबंध बिहार व उतरप्रांत के कुर्मियों से जोड़ने का प्रयास जरूर किया था पर वे भी नाकामयाब ही रहे। 1929 में ही एक विशेष षड़यंत्र के तहत 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' द्वारा सेन्सस ऑपरेशन 1931 को प्रभावित करने के उद्येश्य से मानभूम के घाघरजूड़ी गाँव में आयोजित उस बड़ी सभा में यह निर्णय दिया गया कि छोटानागपुर क्षेत्र के कोल–कुड़मि को जनजाति नहीं बल्कि बिहार, युपी, गुजरात के कुर्मी के समान माना जाए और इनके साथ भी शादी–ब्याह का संबंध बनें। यह भी आदेश दिया गया कि 'अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा' के साथ इन्हें भी घनिष्ठता से जुड़े रखेंगें और ये अब से महासभा के निर्देशों का अनुपालन करेंगें। सभा में समझाया गया कि मानभूम क्षेत्र के एबोरिजिनल कुड़मियों को भी आदिवासी नहीं बल्कि "क्षत्रिय कुर्मी" मानना चाहिए और जनेऊ धारण करने का अधिकार मिलना चाहिए। सभा में सभापति स्वरूप विराजमान पंचेत महाराज ज्योति प्रसाद सिंह देव ने स्वयं को कुड़मि कुल का राजा कहा था और सभा में कुड़मियों को समझा बुझाकर करीब बीस लोगों को वहाँ बुलाये गये ब्राह्मणों द्वारा जनेऊ भी पहनाया गया था। उक्त घटना का संवाददाता स्वयं एक कानूनी पेशे का कुड़मि महतो था जिसने लिखा कि उक्त घोषणा से सभा में भारी हलचल

और उत्तेजना का वातावरण व्याप्त हो गया था। और अनेक स्थनीय लोग प्रत्यक्ष विरोध करने पर उतारू हो गये थे। पंचेत राजा, जिनके पूर्वज कुड़मि थे (संदर्भ– डिस्क्रिप्टिव एथनोलाजी ऑफ बंगाल 1872), एवं स्वयं को पूर्व में ही क्षत्रिय घोषित कर लिये थे, ने भी उक्त सभा में कुड़मि को क्षत्रिय रूप में स्वीकारा था और घाघरजुड़ी में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुपालन करने का लिखित आदेश सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया था। (कुड़मि जनजाति के महान पंचकोट(पंचेत) राज पर ऐतिहासिक अध्ययन संबंधी खोज व शोधकार्य पर आधारित पुस्तक जल्द ही प्रकाशित की जाएगी)। इधर प्रतिकार में अनेक कुड़मि गाँवों में जगह जगह प्रतिवाद सभाएं होने लगी थी और सदा से निर्वाक रहे कुड़मि जनसमुदाय पर थोपे गये अन्यायपूर्ण फरमानों का स्वतःस्फूर्त रूप से जबरदस्त विरोध भी किया जाने लगा था। उस दौरान महासभा के क्षत्रियकरण और जनेऊ धारण कार्यक्रमों के विरूद्ध बना एक झुमर गीत अभी भी कुड़मि गाँवों के झुमर आखड़ा में गाया जाता है–

"कुड़मिराक मिटिंग हेलेइक भारि,
सेइ मिटिंगें लागलेइक घेरघेरि हउ..........लुदुक।
गलामाराञ मिटिंग हेला, गाङे गाङे नेउता गेला
ससिभुसन रहेइ सेकरेटारि हउ.........
गाङेक मालिक रहला जारा, गेरअहला गलामारा,
आर, सभा टाञ बसि सभा करि हउ......
कागअजअ कलअमअ धरि, उचितअ बिचार करि,
आर, गुँड़ि बाहा साँघा बनदअ करि हउ......
लकेक घारे काम माना, मेहरारूक घुँघा टाना,
आर, रांधन करबेहे सिनान करि हउ.....
मद खुखड़ि मेरांग छाड़ा, बाभन लेइए बिहा करा,
आर, बारअ दिने करा घाट खेउरि हउ....
घारे घारे करा आँट, जेनि के ना पाठाउ हाट,
आर, सभेकाइ हेउआ पइताधारि हउ....
ढाइड़ छागेइर अभक्खन, बेरिआत जाता कइएक जन,
जने जने देबेहे माञ–साड़ि हउ....
घारे नाचनि राखा बनदअ, पाँता नाचटि बेजाञ मनदअ,
छठि करा नारअता बिसारि हउ....

दाहिना दिगे बांधा खँपा, बिहाक नामे सिंदुर घँसा,
खदा लिआ आरअ सिंका धारि हउ.....
मेहेरारूक चुँटि टाना, हुका टाना करा माना,
टाना बिहा सांघा बंदअ करि हउ.....
सन 1929 साले, भाभिए चउधुरिञ नले
एबार काम चलतेइक किसे करि हउ....
कुड़मिराक मिटिंग हेलेइक भारि,
सेइ मिटिंगें लागलेइक घेर—घेरि हउ......."

इस प्रकार कुड़मि की जनजातिय स्वत्व हरण का आगाज हो चुका था। जयचंद किस्म के लोग मालामाल होने के चक्कर में और उच्च बनने के ख्वाब की कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे थे इसका अंकेक्षण करने वाला उस वक्त कोई न था। 1922 में ही काशीपुर राज अंतर्गत चुना गाँव के मानगोबिंद माहतो एवं बलाय माहतो नामक दोनों भाइयों, जो काशीपुर राजा के कर्मचारी थे, ने अपनी माँ के मरने पर उनका श्राद्धकर्म ब्राह्मणों से कराया था जबकि 1938 में पहली बार मानभूम के तड़ांग गाँव के राजकिसोर माहतो (मुख्तियार) की पुत्री अंजना माहतो की शादी डाबर गाँव के मदन माहतो के पुत्र रविन्द्रनाथ माहतो के साथ हुई जिसमें पुरोहिताई स्वरूप ब्राह्मण को प्रवेश दिया गया था। यह कहा जा सकता है कि निर्वाक बने कुड़मि को चारा डाल कर फँसा कर उसकी पुरखों की संपत्ति से बेदखल करने की चाल बहुत हद तक कामयाब रही। मानभूम से गये तीन कुड़मियों— राजकिसोर माहतो, मदन माहतो एवं निलकमल माहतो को मुजफ्फरपुर महासभा में दूध हल्दी से नहलाकर 'हिरण्यगर्भ' संस्कार द्वारा क्षत्रियकरण कर जनेऊ पहना दिया गया।(संदर्भ— बी. माहतो—1985) इधर क्षत्रिय कुर्मी के दलाल बने उड़िसा के निरंजन महंता की चाल में आकर मानभूमिया कोल—कुड़मि अपना मौजूदा एबोरिजिनल अस्तित्व को त्यागने को तत्पर हो गये। उधर, बिहार व युपी के संभ्रांत कुर्मी क्षत्रप अपनी कामयाबी पर फुले नहीं समा रहे थे।

कहा जाता है कि किसी की प्रजाति और किसी का अधिवास(डोमिसाइल) सर्वदा एक ही रहता है जो उसे अपने पुरखों से विरासत में प्राप्त होता है। अंग्रेज भारत में 200 साल तक रहे और राज किये परंतु यहाँ के अधिवासित निवासी नहीं कहला सके और 5000 से भी

अधिक समय से रह रहे आर्यों को अभी भी भारतभूमि का 'इंडिजीनस' यानि देशज प्रजाति का नहीं माना जाता है। यही बात छोटानागपुर क्षेत्र से बाहर के गैर जनजाति लोगों के साथ भी उतना ही सही है। वैसे यह भी गौरतलब बात है कि क्षत्रिय कहलाने वाले कुर्मी लोग अपने को शुद्र (पिछड़े) वर्ग में क्यों रखना चाहते है? कायदे से तो क्षत्रिय समुदायों को राजा महाराजा परिवार का बहादूर व लड़ाकू जाति माना जाता है।

छोटानागपुर राढ़ क्षेत्र में क्षत्रियकरण का संक्रमण काल 1905 से 1966 तक छिटपुट रूप में कायम रहा। परंतु खास बात ये रही कि जनेऊ धारण की मानसिक बिमारी सिर्फ सामंती व जमीन्दार किस्म के गिने चुने कथित संभ्रांतों तक ही कायम रहा पर कभी जन आंदोलन बन नहीं सका और परिणाम स्वरूप जन साधरण स्तर के कुड़मियो को हिन्दू घोषित नहीं किया जा सका और उनकी जमीन भी बिकने हेतू अनुमति पाने में रूकावट पैदा किये जाने के कारण बच गयी। दिलचस्प बात यह भी कि जन–कुड़मियों ने सामंती कुड़मियों के जनेऊ पहना कर कुलाचार भ्रष्ट करने के विरोध में लगातार आवाज बुलंद किये और उसी दौर में 1936 के अप्रेल महीने में मानभूम के बिड़रा गाँव में आयोजित जनेऊ विरोधी सभा में लागदा परगना के 135 लोगों नें, छड़रा परगना के 190, रकाब परगना के 250, काशीपुर परगना के 45, एवं पांड़रा परगना के 21 लोगों ने भरी सभा में अपने जनेऊ तोड़कर फेंके थे। उसी दौरान धनबाद के उभरते जननेता बिनोद बाबु ने भी अपनी शादी के दिन तालाब जाकर जनेऊ विसर्जन किये थे।

यहाँ प्रश्न उठता है कि छोटानागपुर के आदिवासी कुड़मि समुदाय को जिन्हें शुरूआत से 1931 तक की सभी जनगणनाओं में प्रिमिटिव, एनिमिस्ट और एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में दर्ज किया गया था और जिनकी जमीन गैर जनजातियों के हाथों बिक्री से वर्जित रही थी उन्हें किन वैदिक ऋचाओं के आधार पर राजकुल के ब्राह्मण पुरोहितों ने घाघरजुड़ी की सभा में क्षत्रिय बनाने का ढोंग किया और ये किनकी साजिश थी.?

कांग्रेसी नेता निवारण दासगुप्ता, पंचेत राजा ज्योति प्रसाद सिंहदेव और राजकुल के ब्राह्मण मंडली, द्वारा बड़ा 'नजराना' लेकर घाघरजुड़ी के

क्षत्रियकरण सभा में एकत्रित होकर कुड़मियों को दिगभ्रमित करने का उद्देश्य क्या था..?

क्या अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा का यह आन्दोलन छोटानागपुर के कोल–कुड़मियों की मंगलकामना हेतु की गई थी या फिर इनके जनजातिय स्वरूप को विद्रूप कर इनकी विशेष भूमि व राजस्व सुरक्षा को खत्म कर इनकी जमीन को बिकाऊ बनाने का षड़यंत्र था...?

6. अपनी परिभाषा स्वयं गढ़ें

(Define yourself or other will define you.)

ध्यान रहे और ख्याल रखें– हमलोग आदिम प्रजाति के कोल–कुड़मि जनजाति है, कोई क्षत्री या पत्री नहीं। कुर्मी भी नहीं। कुर्मी समूह स्पष्ट रूप से स्वयं को आर्य नस्ल का मानते है और आर्य पद्धति के ऋषि–गोत्र के तहत अपनी पहचान कायम करते है। परंतु कुड़मि जनजाति के लोग गोत्रधारी नहीं होते और कुड़मि को आर्य प्रजाति का भी नहीं माना गया। अगर किसी ने स्वयंभू आर्यवादी बनने की घोषणा भी की होती तो उसे अवश्य ही किसी न किसी दस्तावेज में उल्लेख किया जाना चाहिए था। यह सर्वविदित है कि कुड़मि यहाँ के सर्वाधिक आदिम जनकबिला यानि 'खेरवाल' जनगोष्ठी के आदिवासी है। ये समुदाय ही यहाँ की 'माटि के हड़' कहे जाते है। इस संबंध में अनेक जनजातिय विद्वानों की स्पष्ट राय है तथा अनेक गैर जनजातिय एवं विदेशी विद्वानों द्वारा भी अनेक प्रकार से जाँच परख कर यह साबित किया जा चुका है कि आर्य समुदाय इस भारत भूमि के मूलवासी नहीं है बल्कि ये उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र से आकर बसे और उनके यहाँ आकर बसने के काल को 'वैदिक युग' कहा गया है। परंतु वैदिक युग से बहुत पूर्व अर्थात प्राक्वैदिक काल में ही प्राचीन गोंडवाना कहे जाने वाले भारतभूमि पर यहाँ के आदिम खेरवाल जनगोष्ठियों द्वारा अपनी विशिष्ट सभ्यता का निर्माण किये जाने के अनेक तथ्य मिले है तथा अभी भी समुचित खुदाई होने पर अनेकों दबे हुए प्रमाण बाहर निकल सकते है। उस आदिम सभ्यता के जनक रहे खेरवाल जनगोष्ठी के कुड़मि जनों के नेतृत्व में आदिम पुरखों ने शिकार युग से कृषि युग में कदम रखा। बाद में खेरवाल जनगोष्ठी के विभिन्न कबिले अलग अलग जीवन पद्धति के आधार पर बंटे और उनका क्षेत्र प्रसार हुआ। राढ़ माटि के क्षेत्र में बसे कुड़मि समुदाय का कबिला आदिम काल से ही प्रकृतिगत टोटेम व गोष्ठियों में विभक्त है जिसके तहत यह उक्ति प्रचलित है– "हड़–कुड़मि एकासि, सन–खापटा तिरासि।" अर्थात छोटानागपुर राढ़ सभ्यता के जनक रहे कुड़मि जनगोष्ठी का वृहत कबिला मूल रूप से 81 गुसटियों में विभक्त होकर आदिम काल से यहाँ बसबास करता रहा है। इनके अपने प्रथागत नियम एवं प्राकृतिक टोटेम और टैबु यानि किलि और विधि निषेध तथा 81 गुसटियों के अपने अपने गुसटि

चिह्न होते है। बिल्कुल ऐसी ही टोटेम व्यवस्था एवं प्रथागत नियम झाड़खंड के संथाल, हो, भुमिज, मुड़ा आदि अन्य जनजातियों का भी है। यहाँ के विभिन्न जनजातियों के टोटेम और टेबु अर्थात किलि और विधि–निषेध की जानकारी एवं तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस संबंध में सुधी पाठकों के लिए सर हर्बर्ट होप रिज़ले की 'ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल' तथा प्रख्यात कुड़मालि भाषाविद लक्ष्मीकांत मुतरूआर की कृति 'जनजाति परिचिति' का अध्ययन अपेक्षित है।

कुड़मि का कुर्मीकरण हमारे विरूद्ध हुई सबसे बड़ी साजिश थी। डा. सर जार्ज ग्रियर्सन ने अपनी 'लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया' के खंड–5 में लिखा कि छोटानागपुर के कुड़मि द्रविड़ प्रजाति के आदिम जनजाति है। अतएव इन्हें बिहार के कुर्मी से अलग किया जाए। ये अपने लिए सरल 'र' की जगह 'ड़' का उच्चारण करते है। ये सर्वथा भिन्न एवं सुस्पष्ट जनजाति है जिन्हें जनगणना में मिला दिया गया है। ये अपनी अलग भाषा – कुड़मालि का ही आपस में व्यवहार करते है। यद्यपि डा. ग्रियर्सन ने इसे मगही का विकृत रूप कहा मगर उन्होनें यह भी स्पष्ट कर दिया कि यहाँ मगही क्षेत्र कहीं नहीं है। ठीक माल पहाड़ियों के समान जो बंगला के विकृत रूप जैसी लगने वाली अपनी एक जनजातिय भाषा बोलते है। अंततः उनके कथनानुसर ये स्पष्ट है कि कुड़मालि निश्चित रूप से कुड़मि के आदिम पुरखों की जनजातिय भाषा है। कुड़मि शब्द के हिज्जे में अनिवार्यतः 'र' के जगह 'ड़' प्रयोग होता है।

मानभूम जिला गजेटियर 1910 में मि. कूपलैंड ने लिखा– "बिहार के कुर्मी और छोटानागपुर के कुड़मि के बीच पार्थक्यता को आम तौर पर स्वीकार कर लिया गया है जिसका दृष्टांत क्षेत्र के कोलारियन ग्राम प्रधान संघटन के वैशिष्टता में मिलता है। गाँव स्तर पर यहाँ के संतालों में 'माझी', हो लोगों में 'मुंडा' के समान ही कुड़मि एवं उरांव कबिलों में गाँव की इकाई में प्रधान को 'माहातअ' कहा जाता है। बंगाल प्रोविंस के अधीन 13 प्रमुख जनजातियों– **मुड़ा, उरॉव, संथाल, हो, भुमिज, खड़िया, घासी, गोंड, कंध, कोरवा, कुड़मि, मालेसौरिया और पान** को भारतीय उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है जो अभी भी बरकरार है। यहाँ यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि जिस प्रकार यहाँ (Kharia) का उच्चारण **खरिआ** न होकर **खड़िया** होगा

उसी तरह (Kurmi) का भी **कुड़मि** होगा ना कि **कुर्मी**। क्या कभी अंग्रेजी उच्चारण के आधार पर 'खड़िया' को 'खरिया' कह कर विवाद उत्पन्न किया गया?

XISS रांची के निदेशक Dr. Alexius Ekka ने 'Economic and Political Weekly' के 30 दिसंबर 2000 के अंक में लिखा जिसका भावानुवाद इस प्रकार है– **"तत्कालीन बिहार व उड़िसा सरकार ने भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1865 के परिधि से बाहर रहे अन्य जनजातियों के सदृश्य कुड़मि को 8 दिसंबर 1931 में बाहर रखा। परंतु भारत सरकार के जिस गजट नोटिफिकेशन के तहत इन्हे जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया था उसे निष्प्रभावो करने हेतु अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। फलस्वरूप कुड़मि सहित अन्य जनजातियाँ जिनको अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर रखा गया उन्हे भी अवश्य ही जनजाति के तौर पर ही गिनती की जानी चाहिए और उनकी आबादी को भी झाड़खंड की अनुसूचित जनजाति की आबादी के साथ जोड़ लिया जाना चाहिए। झाड़खंड में ये कुड़मि वस्तुतः अपनी आबादी 44 लाख से अधिक रखते है। अगर शिड्युल्ड जनजातियों की आबादी (जो 1991 की जनगणना के आधार पर करीब 89,35,226 है) के साथ इन्हे जोड़ लिया जाए तो झाड़खंड में जनजातियों की आबादी 1,33,35,226 से अधिक हो जाएगी जो कि झाड़खंड की कुल आबादी 2,18,43,911 के 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। इसके अलावा घासी, तुरी एवं भुइयाँ आदि नन–शिड्युल्ड जनजातियों को भी जनजातिय आबादी में जोड़ ले तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है।"** कहने का सार यह कि इस प्रकार हमारा झाड़खंड अपने मूल जनजातियों की जनसंख्या के बदौलत ही विशिष्ट राज्य है। कतिपय अनुसूचित जनजातियाँ अगर मा. एक्का जी की बातों का मर्म समझकर इस दिशा में पहल करें तो झाड़खंड 5वीं अनुसूची वाले राज्य से 6ठी अनुसूची के राज्य के रूप में अर्थात पूर्णतः एक जनजातीय राज्य में बदल सकता है।

माननीय पटना उच्च न्यायालय के कई विशिष्ट फैसलों में यह तथ्य सामने आता रहा है कि कुड़मि वास्तव में एबोरिजिनल ट्राइब ही है।

A.I.R. 1925, Patna P-733 में कृतिबास महतो बनाम बुधनी महतानी के केस में यह निर्णय कि छोटानागपुर क्षेत्र में 'एबोरिजिनल' शब्द केवल प्रजाति का बोध कराता है, उसे धर्म से कोई सरोकार नहीं है जबकि 'हिन्दू' शब्द प्रजाति नहीं बल्कि केवल धर्म से संबंधित है। यहाँ कुड़मि जनजाति के हिन्दूआइज्ड होने संबंधी प्रश्न उठने पर यह तथ्य सामने आया तथा इन्हे हिन्दू प्रमाणित करने की चेष्टा किये जाने पर उत्तराधिकार व बँटवारे संबंधी मामला न्यायालय तक पहुँचाया गया जबकि भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत हिस्सेदारी के झगड़े निपटाने के प्रयास किये जाने थे जो अंततः असफल रहे। इसी तरह A.I.R. 1936, Patna, Page-305 में गणेश महतो बनाम सिबचरण महतो के केस में भी दोनों पक्षों द्वारा अंततः यह कबूल किया गया था कि वे आदिवासी प्रजाति के है। इन सभी केसों में कानूनी विवाद का विषय ये रहा था कि जमीन बँटवारा संबंधी मामलों में वे किस कानून द्वारा अनुशासित होते है। जिनमें तमाम जिरह और बयानों से अंततोगत्वा यही निर्णय दिया गया कि ये मूलतः आदिवासी है और भूमि हस्तांतरण व बँटवारे संबंधी मामलों में इन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के कानून लागू नहीं होते। उस हालत में यदि दोनों पक्ष यह कहे कि वे हिन्दू है तो उन्हे प्रमाणित कर यह दिखाना होगा कि वे परंपरागत वंशानुक्रम उत्तराधिकार कानून से अनुशासित न होकर हिन्दू उत्तराधिकार कानून व हिन्दू धर्म विशेष के नियम से अनुशासित है, या जो छोटानागपुर क्षेत्र के कुड़मियों में प्रचलित है, उससे हैं ये विवादित पक्षों को प्रमाणित करना होगा। यह निर्णय स्वयं में अत्यंत गूढ़ है और छोटानागपुर क्षेत्र के एबोरिजिनल प्रजाति के कुड़मि महतो के आपसी भ्रातृत्व को प्रमाणित करने में सहायक नहीं होता। अंततोगत्वा प्रथागत नियमों के आधार पर ही निर्णय लेने पर सहमति बनी। ऐसे निर्णय कुड़मि के जनजाति की स्वतः पुष्टिकारक होते हुए भी सामान्य जनो की जानकारी में न रहने के कारण तथा आव्रजक संस्कृति के दिन प्रति दिन प्रभावी बनते जाने के कारण संपूर्ण नहीं बल्कि कुछ थोड़े ही अंश में, विशेष कर नवशिक्षित कुड़मि समुदाय, के अपने धरोहर से विलग होकर अन्यत्र भटकने के कारकों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ नवशिक्षित कुड़मि जनजाति को ठहर कर चिंतन करने का बोध होना आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि हमारे जनजातिय बोध से बेखबर बाहरी दुनिया ने हमारे बारे में जाने अनजाने अनेक विवादों की सृष्टि की और

हमें तथा हमारे रहनुमाओं को सदा बरगलाते रहे और दुखद बात ये कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की नादानी के चलते यह प्रक्रम अभी भी रूका नहीं है।

'कुड़मि' और 'कुर्मी' समश्रुति लगने के कारण सामान्यतया हमारे भोले भाले लोग अतिशीघ्र भ्रमित हो जाते है। परंतु दोनो में कोई समानता नहीं है और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नृतात्विक रूप से भी कुड़मि के साथ कुर्मी की किसी प्रकार की समानता नहीं पायी जाती है। नस्ल से भी दोनों अलग अलग है जिसका समय समय पर शोधकर्ताओं द्वारा भी बार बार स्पष्ट किया जाता रहा है। यह अलग बात है कि तथ्यों को जाने समझे बिना कतिपय राजनेताओं द्वारा राजनितिक उद्येश्य हेतु भ्रामक और तथ्यहीन भाषणबाजी करके कुड़मि जनजाति को बार बार भटकाने का खूब प्रयास किया गया है और अपने प्रयासों द्वारा कुड़मि के जनजातिय अस्तित्व को नष्ट करने में वे कामयाब भी होते रहे है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कुड़मि जनजाति के विशिष्ट लक्षणों को खुद कुड़मि जनगोष्ठी के नायकों ने कुचलने का दुस्साहस किया और अभी भी कर रहे है। अतः ऐसे खुदगर्ज अधिनायकों से निर्वाक बने इस कुड़मि समुदाय को बचाने की जरूरत है। इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ युवा वर्ग को आगे आकर अपनी वास्तविक अतीत को जानना, समझना और बचाना होगा।

(We are not the citizen of India; we are the native of India.)

7. कुड़मि की मातृभाषा - "कुड़मालि"

जनजाति कुड़मि को राढ़ क्षेत्र (छोटानागपुर) से बाहर के लोग अभी भी 'कोल–कुड़मि' नाम से ही जानते है। कुड़मि के साथ साथ बसने वाले अन्य जनजाति समुदाय भी यहाँ के कुड़मि को जनजाति मानते है तथा उनकी मातृभाषा को कुड़मालि नाम से ही जानते हैं। समय बदलने के साथ ही अन्य भाषाओं में शिक्षित होते जाने के साथ साथ हमने खुद की मातृभाषा के प्रति उदासीनता दिखाई और बाहरी भाषाओं को तवज्जो देना शुरू किया। बाहरी दिकुओं के प्रभाव में आकर हमने जाने अनजाने कई अहितकारी कदम भी उठाये और अपनी भाषा–संस्कृति को नष्ट भी किया। यहाँ हमारे समुदाय पर स्वार्थी व व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हावी हो गया।

फर्ज करें जब इस राढ़ माटि में कोई आव्रजक जनसमुदाय आया न था, कुड़मि कबिलों ने यहीं कृषि–सभ्यता की नींव रखी, शिकारी से किसान वृति में जीवन निर्वाह का मार्ग प्रशस्त किया, जंगल साफ कर हजारों गाँव बसाये, सैकड़ों प्रकार के धान की प्रजाति विकसित की और वर्ष भर के कृषि आधारित परबों का सृजन किया। क्या ये इतने समय तक आपस में वार्तालाप के लिए किसी भाषा का सृजन नहीं कर चुके थे? बिल्कुल कर चुके थे। उन्होनें हजारों वर्ष पूर्व अपनी गढ़ी हुई भाषा–संस्कृति के दम पर एक सुनियोजित सभ्यता की रचना की थी जिनका लिखित तथ्य भले दुर्लभ हों पर हर गाँव के कुड़मि के घर घर में उसके भाखिचारि और नेगाचारि के रूप में आज भी अजस्र प्रवाहमान है।

कुड़मि का पुरखा भी अपने कबिला के लोगों के बीच अपनी भावनायें व्यक्त करने के लिये अनायास अपनी एथनिक शब्दों को गढ़ने में सक्षम था। उसने हजारों सालों और हजारों पीढ़ियों तक अपने कबिलावाची भाषा–संस्कृति को अंगीकार करने योग्य बनाते हुए उसमें विशिष्ट प्रभावोत्पादक क्षमता विकसित की और उसे एक ताकतवर माध्यम बनाया। उसने इस धरती, आकाश, हवा, पानी, और सूरज की ताकत को जानकर उसकी आराधना करने और प्रकृति के अवदानों का आस्वादन कर उनके प्रति कृतज्ञता के गीत अपने ही गढ़े शब्दों में गाए थे। कुड़मालि चारि में हर नेगाचारि के साथ आदिम काल से ही गीतो का अनिवार्यतः रूप से जुड़ा होना यही प्रमाणित करता है।

कुड़मालि सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक समृद्ध संस्कृति भी है। किसी भी जनजातिय भाषा और उसकी शब्दावली में ही उस जनजाति की संस्कृति अंतर्निहित होती है। संस्कृति का सृजन कोई दस बीस सालों का खेल नहीं है। किसी भी संस्कृति को पनपने में सैकड़ों हजारों साल लग सकते है और कई मायनो में उससे भी ज्यादा समय खर्च हो सकता है। यही कारण है कि इतिहास के पन्नों में अमर होने वाले शासकवर्ग ने राज विस्तार भले कर लिया हो पर उनके प्रभाव से कोई भाषा एवं संस्कृति सृजित हुई हो ऐसा कोई प्रमाण इतिहास में उपलब्ध नहीं है।

अपनी सांस्कृतिक संपदा के कारण ही जनजातिय भाषाएं आदिम अर्थात अत्यधिक प्राचीन होती है। सभी क्षेत्रीय भाषाएं किसी न किसी जनजातिय भाषाओं से ही विकृत करके बनाई गई। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर कोई संस्कृति नहीं पायी जा सकती है। यहाँ तक कि क्षेत्रीय भाषाओं के पास अपने मौलिक शब्द तक नहीं होते बल्कि किसी न किसी जनजातिय भाषा से निस्सरित हो विकृत कर क्षेत्र विशेष के मुताबिक उसका उच्चारण में बदलाव लाकर उसे क्षेत्रीय भाषा कह देने की परंपरा विकसित कर दी जाती है। इस कारण क्षेत्रीय भाषा पर किसी एक जाति विशेष का नाम भी नहीं दिया जा सकता। परंतु जनजातिय भाषाएं सदा किसी विशिष्ट जनजाति के नाम पर नामित किये जाने का प्रमाण स्पष्ट है क्योंकि उक्त कबिले के अंतर्गत ही उस भाषा का सृजन व विकास प्रवाहमान है। संथाल कबिलों ने आपस में भावों का आदान प्रदान हेतु जिस भाषा को सृजित किया वह भाषा संथाली कहलाई, मुंडाओं ने जिस भाषा को गढ़ा वह मुंडारी कहलाई, गोंड ने जिसको गढ़ा उसे गोंडवी कहा गया तो आदिम कुड़मि कबिलों ने अपने लिये जिस भाषा को गढ़ा और विकसित किया उसका नाम क्या होगा..? निश्चित ही –कुड़मालि।

हमें इस सत्य से गुरेज नहीं करना चाहिए कि 'क्रुड़मि' चाहे जिस क्षेत्र में जाकर रहते हों और जिस क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हों, उनकी अपनी मातृभाषा उनके अपने आदिम पुरखों की गढ़ी गयी अपनी भाषा 'कुड़मालि' ही थी, है और रहेगी। कुड़मालि के सारे मूल शब्दों को ही विकृत कर बनायी गयी कतिपय क्षेत्रीय भाषायें हमें बॉटने और हमारे बीच मतभेद बनाकर कुड़मियों का खूब अहित कर चुकी है। पर अभी भी

कुछ लकीर के फकीर बने कुड़मि इस षड़यंत्र को समझ नहीं सके और अपनी पुरखों की अमानत, अपनी जनजातिय पहचान की विशिष्ट कड़ी अपनी मातृभाषा– कुड़मालि को नकारते है और इसी कुड़मालि को विकृत कर बाहरी धर्म संस्कृतियों के दिकुओं द्वारा अलग अलग नाम से विकसित की गई क्षेत्रीय भाषाओं को ही अपना मानने में ही हास्यास्पद रूप से फक्र महसूस करते है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात कही जा सकती है क्योंकि उससे अंततः उनके पुरखों की गढ़ी हुई कबिलायी भाषा का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। अतः इस संबंध में जल्द से जल्द समाज के चेतनशील युवाओं को अच्छी तरह समझ विकसित करने की जरूरत है। कहा भी गया है– "माꣲभाखि माꣲेक दुधेक समान" अर्थात मातृभाषा मातृदुग्ध के समान होती है और कुछ मायनों में उससे भी बढ़कर। यहाँ गौरतलब है कि जन्मदायी माँ अपने आँचल का दूध तो अपने शिशु को दो–तीन साल तक ही पिला सकती है, पर मातृभाषा रूपी माँ जीवन भर अपने भाषा–संस्कृति रूपी दूध से हमें पुष्ट करती रहती है।

8. ब्रिटिश हुकूमत और कुड़मि जनजाति

भारत भूमि पर अपने लंबे शासनकाल के दौरान अंग्रेज सरकार ने विविध व बहुरंगी संस्कृतियों में बंटे भारतीय जनजीवन को बहुत करीब से अध्ययन करने की उत्साहजनक कोशिश की थी और अनेक विश्वप्रसिद्ध विद्वानों को भारतीय जनमानस पर अध्ययन करवाया गया था। सन 1865 ई0 में भारत सरकार ने संपति के उतराधिकार संबंधी झगड़ों के निपटारा हेतु "इंडियन सक्सेशन एक्ट–1865" बनाकर लागू किया था। इससे अन्य सभी जाति समुदायों के समस्याओं का निपटारा तो संभव हो गया परंतु यहां के अधिवासित इंडिजीनस जनजाति समुदायों के ऐसे मामले वहाँ नहीं पहुंचते और न ही उनके मामलों का निपटारा वहाँ हो सकता था...। कारण, संपति उतराधिकार व विरासत संबंधी मामलों का निपटारा जनजाति समुदायों में अपने अपने आदिम पुरखों की प्रथागत व रूढ़िगत नियमों के आधार पर ही करने की परंपरा रही और पीढ़ियों से वही सर्वमान्य थी। अर्थात संपति उतराधिकार संबंधी सरकार के ये कानून उन सभी जनजातियों के लिये असंगत थे जिनकी अपनी अपनी पुरखेनी प्रथागत व्यवस्थाएं थी और इनके ऐसे मामलों पर सरकारी तंत्र पूर्णतः अप्रभावी था। विवशतः रूढ़िगत व प्रथागत व्यवस्था किन किन जनजातियों की थी इसी की खोज व सर्वेक्षण का कार्य का दायित्व भारत सरकार ने सन 1885 में दुनिया के जाने माने मानवशास्त्री सर एच एच रिज़ले महोदय को सौंपा था।

'फादर ऑफ एन्थ्रोपोलोजी' माने जाने वाले मानवमिति के महान विद्वान सर हर्बर्ट होप़ रिज़ले महोदय एवं उनके समकालीन अध्येताओं ने मानव प्रजाति के उत्पत्ति एवं विकास के अध्ययन हेतु भारत को एक अद्वितीय 'प्रयोगशाला' के रूप में पाया था। उन्होने यह कहने में कोई गुरेज नहीं दिखाई कि भारत की उच्चतर मानी जाने वाली प्रजातियाँ विशुद्ध आर्य है जबकि निम्नतर प्रजातियाँ अनार्य आदिवासी है जिन्हे धार्मिक व सामाजिक रूप से अपने अधीन करने में आर्य सफल रहे। मानव शरीर के कद काठी तथा खोपड़ी, कपाल, नाक आदि के एन्थ्रोपोमैट्रिक नाप जोख पद्धति के द्वारा रिज़ले महोदय ने भारत के नेटिव एवं अन्य जन समुहों का विशद अध्ययन कर भारत सरकार को इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो उनके मरणोपरांत सर विलियम क्रुक (आइसीएस) ने 'द

पीपल ऑफ इंडिया' नाम से कई खंडों में प्रकाशित किया। रिज़ले महोदय के इस कथ्य को बाद में डीएनए जाँच द्वारा भी साबित किया जा चुका है।

अपने रिसर्च पत्र में एक स्थान पर रिज़ले महोदय ने स्पष्ट रूप से कुड़मि और कुर्मी संबंधी डाल्टन के अध्ययन को खंडन करते हुए लिखा– "In Manbhum and north of Orissa it is difficult to distinguish a Kuṛmi from a Bhumij or Santal and the latter tribe who are more particular about food than is commonly supposed will eat boiled rice prepared by the Kuṛmis and according to one tradition regard them as half-brethren of their own, sprung from the same father who begot Kuṛmis on the elder and Santals on the younger of two sisters."

"The question then arises; are thes Kuṛmis a degraded branch of the Kurmis of Bihar and upper India or should they be treated as a separate caste formed out of Dravadian elements and owing their name to the accident of their having devoted themselves exclusively cultivation. Colonel Dalton does not distinctly commit himself to either view; but it is clear from his account of the caste that he was conscious of the difficulties and was inclined on the whole to dispose of it by the hypothesis of digradation. This theory however entirely fails to account either for the remarkably uniform type of Chotanagpur Kuṛmi or for their totemistic usages."

"The latter point, however, appears to have been unknown to Colonel Dalton and might possibly

induce him to change his opinion. Three hypothesis seem to be more or less tenable: 1. That the class Kurmi is made up of two distinct stocks, the one Aryan and the other Dravidian. 2. That the entire group comes of an Aryan stock, type of which has been modified to a varying extent by mixture of blood and vicissitude of occupation. 3. That the entire group was originally Dravidian but that those portion of it which lay in the track of Aryan invasion were refined by intercourse with the immigrants while those who settled in remote parts ofthe country preserved their primitive type."

इस अंतिम वाक्य में रिज़ले महोदय ने यह बताने की भरपूर चेष्टा की थी कि छोटानागपुर के कुड़मि का आदिम जनजाति स्वरूप उनके भोगौलिक अलगाव के फलस्वरूप ही अक्षुण्ण रहा था और साथ ही उनके जनजातिय प्रथागत संस्कार (customary rules) और उनके टोटेमिस्टिक किलि (clans)चिह्न भी संरक्षित रह सके थे।

रिज़ले महोदय ने भारत सरकार के Census superintendent के हैसियत से करीब 20 वर्षों तक अथक परिश्रम करके तत्कालीन मध्य प्रांत और बंगाल प्रांत (वर्तमान बंगला देश, प0 बंगाल, झाड़खंड, बिहार, उड़िसा व छतीसगढ़ के पूर्वी हिस्से) में गहन सर्वेक्षण पूरा कर 1891 में अपनी रिर्पोट सौंपी। और सर्वे के द्वारा उन्होने ही यह तथ्य उजागर किया कि भारत के जनजाति समुदाय किसी स्थापित धर्म –(हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, बौद्ध, सिख, जैन इत्यादि) को नहीं मानते बल्कि ये जनजाति सिर्फ अपने पुरखों के द्वारा स्थापित रूढ़िगत प्रथाओं के आधार पर बनी समाज व्यवस्था से ही पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते रहते है। अर्थात यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि 1913 तक उपरोक्त 13 जनजातियाँ जिसमें कुड़मि जनजाति भी शामिल है, भारत के उपरोक्त किसी स्थापित धर्म के

समुदाय नहीं थे यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है। ध्यान रहे, 1913 में जब ये गजट प्रकाशित हुआ था तब हमारे खतियानी पुरखे युवा हो रहे थे।

परंतु छोटानागपुर राढ़ माटि का क्षेत्र और उसमें खास कर मानभूम का इलाका जहाँ कुड़मि अपने सर्वाधिक मौलिकता का साक्ष्य समेटे विशिष्ट जीवन शैली को अक्षुण्ण रखे थे, में 1915 से 1945 तक का समय किसी खास षड़यंत्र के तहत मानो जान बूझ कर उथल पुथल से अशांत व आतंकित कर रखा गया था। स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ कुड़मि जनजाति को यहाँ एक और महासंग्राम से जूझना पड़ रहा था और वह था कुड़मि के अपने स्वत्व को बचाने हेतु संघर्ष। (1921 और 1931 के बीच खासा उथल पुथल से भरा मानभूम क्षेत्र और इसके आदि बासिंदे कुड़मि जनों की मनःस्थिति को अगर जानना समझना हो तो सुधी पाठकों से निवेदन है कि इस पर डा. पी.पी. महतो की "Sanskritization Vs Nirbakization" को एक बार अवश्य अनुशीलन कर लें)। उस समय एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन की गूँज और दूसरी तरफ अपनी मौलिक अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद से हलकान बेचारे कुड़मि जनों की मनोदशा का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। उस समय मानभूम के एक स्थानीय कुड़मि किसान परिखित महतो के फर्द बयान इस प्रकार था– "दो आंदोलन एक ही साथ समानांतर चल रहे थे। जनेऊ धारण कराने के कार्यक्रम 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' द्वारा गाँव गाँव में चलाया जा रहा थ। इसके तहत अपनी जमीन बेचने वाले मानभूम के कुड़मियो को दो प्रकार से बर्ताव किया जा रहा था। जो जनेऊ धारण कर क्षत्रिय बनना कबूल करते थे उनके लिये जमीन बेचने हेतु डी.सी. से लिये जानेवाले अनुमति की प्रक्रिया को पहुँच व पैरवी करके आसान कर दिया जाता था जबकि जनजाति प्रथायों ही कायम रहकर किसी को जरूरत पड़ने पर जमीन बेचना बड़ा ही कठिन और लगभग असंभव सा कर दिया जाता ताकि विवश हो अपनी एबोरिजिनलिटि' त्याग कर हिन्दुवादी बन और इसके लिये यज्ञोपवित धारण करें। न करने ही स्थिति में ऐसे कुड़मियों को अक्सर किसी प्रकार के सामाजिक जड्डुआहि मिटिंग सभा विवाह तथा मृत्यु भोज आदि विशिष्ट कार्यों में भाग लेने से भी रोका जाने लगा था।"

1930 के दिसंबर महीने में 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' द्वारा केन्द्रीय रेवेन्यु सेक्रेटरी को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि छोटानागपुर क्षेत्र के कुडमियों की जनगणना में 'कुर्मी–क्षत्रिय' अवश्य लिख जाना चाहिए। परंतु उक्त ज्ञापन देने वाले 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' के कुल 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य छोटानागपुर क्षेत्र से लिया नहीं गया था।

यहाँ जनजाति कुड़मि को एक और बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि कोई राष्ट्रीय फलक का नेता भी झाड़खंडी जन जीवन के मामलों में सदा पूर्वाग्रही ही रहा है। सरदार पटेल के संबंध में भी यही बात लागू होती है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर क्षत्रिय कुर्मियो की गरिष्ठता दिखाने की जिद में छोटानागपुर के कुड़मियों के जनजातिय स्वत्व को छीनने का पक्षपातपूर्ण कार्य किया और इसमें हमारे लोगों को भरमाने और बरगलाने में ही अपनी बुद्धि और ऊर्जा लगाई। जनजाति कुड़मि की मौलिक पहचान की संरक्षण की जरूरत को समझकर हमारे बारे में जो उचित होना चाहिए था उसपर विचार न करते हुए क्षत्रिय कुर्मी के हित में छोटानागपुर राढ़ क्षेत्र के अनार्य कुड़मियों को भी आर्य फोल्डर के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के खाँचे में डालने का अनुचित कार्य किया गया और ऐसा करनेवालों को प्रश्रय और संबल देकर उन्होने हमें अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय हितों की बलिवेदी पर चढ़वा दिया। पर, हमारे कथित बुद्धिजीवी लोग भी इस षड़यंत्र की गहराई को भाँप न सके। कुड़मि को 6 सितंबर 1950 में प्रकाशित अनुसूचित जनजाति की सूची से बिना किसी इत्तला व आधिकारिक सूचना के विलोपित कर देने और तत्संबंधी किये गए अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के पत्राचारों तथा उक्त सूची में कुड़मि के विलोपन के विरूद्ध पं. हृदय नारायण कुंजरू एवं 15 अन्य सांसदों द्वारा दिये गए स्मार पत्र और उनके जवाब में नेहरू मंत्रिमंडल द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण दस्तावेजों का अवलोकन करने से ये साफ साफ समझा जा सकता है। पर हमारे लोगों ने इस दृष्टिकोण से अपने को देखने समझने की जहमत ही नहीं उठाई और पटेल को अपना नायक बनाने पर तुल गये। यह वस्तुतः कुड़मि का जनजातिय विशेषता कही जानी चाहिए कि अपने निर्वाक होने का यहाँ भी उदाहरण पेश कर अपनी पिछड़ी मानसिकता को ही पुनः प्रदर्शित किया।

9. केन्द्र व राज्य सरकार की बेरूखी

जहाँ तक 1931 के जनगणना रिपोर्ट का सवाल है छोटानागपुर के कुड़मि प्रिमिटिव ट्राइब के नाम से अंकित है पर जनगणना रिपोर्ट को पढ़ने वाला या समझने वाला ईमानदार व्यक्ति 1950 में बिहार की हुकूमत में न था। जिसने भी केन्द्र सरकार के मिनिस्टरी आफ लॉ के नोटिफिकेशन नं. SRO, 510, दिनांक 6 सितंबर 1950 की सूची बनाई उसने अगर सीएनटी ऐक्ट 1908 के सेक्शन 46 तथा जनगणना रिपोर्ट 1931 के "प्रिमिटिव ट्राइब" खंड का अध्ययन किया होता तो भारत के इतिहास में इतना बड़ा ऐतिहासिक भूल नहीं हुआ होता। कदाचित ये भी हो सकता है कि किसी के उकसावे में आकर एक प्रजाति विशेष को जान बुझ कर गर्त में धकेल दिया गया। शासन में भागीदारी से वंचित व अभागा कुड़मि समुदाय ने अपनी व्यथा सबके पास रखी पर सब व्यर्थ रहा।

डा. ह्रदयनारायण कुंजरू एवं 15 अन्य सांसदों ने 17 दिसंबर 1950 को इस संबंध में भारत सरकार के प्रधानमंत्री को स्मार–पत्र लिखा जिसके स्पष्टीकरण 15 फरवरी 1951 के एक पत्र में दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 342 के आलोक में उन समुदायों को जिन्हें 1931 की जनगणना रिपोर्ट में जाति से अलग प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में चिन्हित किये थे उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा। यह तभी संभव होगा जब प्रांतीय सरकार किसी समुदाय का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से छूट जाने का तथ्य प्रमाणित करे और यह भी बताये कि उक्त समुदाय पूर्व में एक प्रिमिटिव ट्राइब या बैकवर्ड ट्राइब थे। पर पहले अनौपचारिक रूप से यह भी बताया गया कि सूची में कुड़मि का छूट जाना लिपिकीय भूल वश हुई जिसे संशोधन कर लिया जाएगा। इस प्रकार 6 सितंबर 1950 से पूर्व तक कुड़मि को अपने आदिम जनजाति होने के तहत मिलने वाले सभी संरक्षण प्राप्त थे।

26 जनवरी 1950 के बाद छोटानागपुर को दो प्रशासनिक भागों में बांट दिया गया – मानभूम, हजारीबाग व पलामू को सामान्य क्षेत्र तथा राँची और सिंहभूम को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इससे पूर्व छोटानागपुर क्षेत्र का उतरी भागो को, जिसमें कुड़मि जनजातियों की

आबादी सर्वाधिक थी, बंगाल विभाजन से छोटानागपुर से अलग किया जा चुका था। बाद में कुड़मि जनजाति बहुल सुंदरगढ़ स्टेट के जिलों को उड़िसा में मिलाया गया। इस प्रकार तीन अलग अलग भाषा संस्कृति के राज्यों में कुड़मि जनजाति को टुकड़ों में धकेलकर कमजोर करने का काम किया गया। बार बार बांटे जाते रहने और सरकारी उपेक्षा से आहत होते रहने के बावजूद कुड़मि जनजाति अपने आदिम पुरखों की प्रदत्त विरासत के दम पर झंझावातों को झेलकर भी खुद की आदिवासीयत व अस्मिता बचाने में कामयाब रहा।

अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा आरंभ से ही कुड़मि के पीछे पड़ा हुआ है। वीरचंद पटेल (जयसवार कुर्मी) और देवशरण सिंह (अवधिया कुर्मी) ने बिहार के मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के कैबिनेट में जाति प्रतिनिधि के तौर पर रहते हुए जनगणना रिपोर्ट के विपरीत जाकर छोटानागपुर राढ़ क्षेत्र के कोल–कुड़मि जनसमुदाय को 'कुर्मी' फोल्डर में रखवाने में बड़ी भूमिका निभाई और संभवतः कोल–कुड़मि को 6 सितंबर 1950 में प्रकाशित उक्त अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची से हटवाने का भी फंदा रचा। आहत कुड़मि समाज के दुखित जनों ने कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अपनी व्यथा रखी पर समझाने में असफल रहे। "द सिडयुल्ड कास्ट्स एंड सिडयुल्ड ट्राइब्स आर्डर एमेन्डमेंट बिल नं.– 119 ऑफ 1967" के तहत तत्कालीन केन्द्रीय कल्याण मंत्री कार्तिक उरांव ने छोटानागपुर के कोल–कुड़मियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का माँग को शामिल किया परंतु इसाईयों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। मंत्री कार्तिक उरांव के मुताबिक भारतीय इसाईयों को दी जानेवाली सुविधाओं के अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए दी जानेवाली सुविधाओं का भी दोहरा फायदा ले रहे हैं। उक्त बिल में इसाई धर्म में दीक्षित आदिवासियों के अनुसूचित जनजाति से निष्कासन का भी प्रस्ताव था। उक्त बिल के पारित न हो पाने के फलस्वरूप दोहरे लाभ में डुबे इसाई मिशनरी के लोग मालामाल हो रहे है तो दूसरी तरफ मौलिक जनजातीय जीवन जी रहे आदिवासी आज भी आगे बढ़ न सके। कारण, आज भी यही मिशनरी इसाई वर्ग चतुराई से जनजाति वर्ग को मिलनेवाला अनुदान चट कर जाते है और दूसरे अनुसूचित जनजाति टुकुर टुकुर ताकते रह जाते है। भरमाने के लिए वही इसाई वर्ग के तेलेस्फर टोप्पो ने सालखन

मुर्मू के 'आदिवासी घोषणा पत्र' के लोकार्पण में कहा था कि कुड़मि अन्य आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है। कौन किसका दुश्मन...? सब समय का फेर है। पड़ोस धर्म बड़ा ईर्ष्यालु होता है। जहाँ तक आदिवासी कहलाने का सवाल है तो ये सर्वविदित तथ्य है कि कुड़मि इरा माटि के सबसे आदिम जनजाति है। बाकि जनजातियाँ यहाँ बाद में बसी। शाब्दिक अर्थ में आदिम काल से बसे जनों को ही "आदिवासी" अर्थात आदिकाल से वास करनेवाला कहा गया है।

झाड़खंड आंदोलन के दौरान एन ई होरो, विलियम लुगुन, विशप निर्मल मिंज, डा. रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन आदि सभी जनजाति बुद्धिजीवीयों ने अपनी ओर से पहल कर छोटानागपुर के कुड़मियों को जनजातिय स्टेटस के बहाल करने की मांग की थी। झाड़खंड आंदोलन को आज भी माहतो–मांझी का ही आंदोलन माना जाता है। पर बिहार बँटवारे के बाद बने अलग राज्य में हक के बँटवारे की बात सामने आने पर कुड़मि की चिर लंबित मांग को किनारे करने में जुट गयें। दरअसल बिहार प्रांत की सरकार सदा जात–पांत के दबदबे में रही। बिहार की राजनिति में अपनी संख्या को वृहत दिखाने के चक्कर में ही बिहार के कुर्मियों ने 1931 की जनगणना में छोटानागपुर के कोल–कुड़मियों को "कुर्मी" घोषित करवाया और हठीले हिन्दुओं के साथ मिलकर जनजाति कुड़मि का शोषण करने का फंदा रचा। परंतु फिर भी जनगणना अधीक्षक **W.G. Lacey** ने बिहार के कुर्मी को आर्य प्रजाति का एवं छोटानागपुर के कुड़मि को द्रविड़ प्रजाति में ही बताया। सरकारी उपेक्षा से त्रस्त कुड़मि जनसमुदाय ने कभी अपनी जनजातिय **Ethnical identity** से समझौता नहीं किया और अपने जनजातिय पहचान की पुनर्बहाली हेतु संघर्ष की डगर पर चल पड़े। सबके पास गये सबको अपनी विवशता बताई। रामरतन राम, ज्ञानरंजन, शिवप्रसाद साहू, लालू प्रसाद यादव तथा और भी कितनों के समक्ष गिड़गिड़ाये पर सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। किसी ने कुड़मि की व्यथा नही समझी।

उधर जनजातीय शोध संस्थान द्वारा कुड़मियों के विरूद्ध षड़यंत्रकारी गोपनीय खोज जारी हैं। शोध के बहाने लाखों खर्च किये है पर कुड़मि का मामला सलटाने में नहीं बल्कि लटकाने में ज्यादा रूचि दिखती है। कुड़मि के मामले में बार बार यही दोहराया जाता है कि 1950 की सूची में

शामिल नहीं होने के कारण स्पष्ट नहीं है। परंतु यह पूछे जाने पर कि अगर हटाये जाने के कोई कारण स्पष्ट नहीं तो इससे पूर्व हुए अध्ययनों में कुड़मि को जनजाति माने जाने के कारणों को ही इत्तला कर बता दिया जाए ताकि इस निर्वाक समुदाय को सनद हो जाए, परंतु इसपर भी न तो टी आर आइ ने और न किसी दल की सरकार ने दिलचस्पी ली। केन्द्र व राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी भी कुड़मि जनजाति सूचीकरण मामले को उचित तवज्जों नहीं देना चाहते। अगर अपनी चमड़ी मोटी बना चुके हमारे पिछलग्गु पेटु राजनेता जरा भारत की जनगणना रिपोर्टों यथा– Census Report 1901 Vol-1 page-328-393, Census Report 1911 Vol-1 Page- 512, Census Report 1921 Vol-1 Page- 356-365, 'Primitive Tribes'- Census Report- 1931 Vol-1 Page-502-507, CNT Act इत्यादि को संसद/विधानसभा जाने से पहले एक नजर भी पढ़ लिये होते तो कुड़मि जनजाति कब की अपना मौलिक स्टेटस प्राप्त कर चुकी होती।

10. कुड़मि और खतियान

कृषिजीवी जनजाति कुड़मि के जीवन का मुख्य आधार है उनके पूर्वजों के द्वारा अनादि काल से इस क्षेत्र में अपने सृजन और संतति के अस्तित्व के जीवट संघर्ष में बीहड़ जंगलों में जीने के लिए शिकार युग से कृषि युग में युगांतरकारी परिवर्तन। इस माटि पर सर्वप्रथम कृषि–सभ्यता की नींव डालने वाले हमारे कुड़मि पुरखों को इतिहास के पन्नों में भले स्थान न मिला हो पर यह सर्वविदित है कि कृषि आधारित परंपराएं, संस्कार एवं वर्ष भर के परब केवल मात्र कुड़मि जनजाति की जीवन पद्धति में विद्यमान थे और आज भी है। शिकार आधारित जीवन से शस्य(धान) आधारित जीवन जीने का ज्ञान बाकि जनजातियों ने कुड़मि जनजाति से ही सीखा। इस कारण कुड़मि को उनके एक प्रचलित नाम "चासा–जनजाति" के रूप में विभिन्न मनीषीयों ने उद्धृत किया और आज भी कुड़मि जनजाति का जीवन वृत्ति(पेशा) मूलतः "चासी–कार्य" यानि खेतीबारी ही है।

बहरहाल, 1908 में बने सभी खतियानों का अगर अवलोकन किया जाए तो एक में भी 'कुर्मी' या 'कुरमी' लिखा हुआ नहीं मिलेगा। परंतु उसके बाद ऐसा क्या गुल खिलाया गया कि 1908 के बाद बने सभी खतियानों में हमें कहीं 'कुड़मि', कहीं 'कुरमी' तो कहीं 'कुर्मी' दर्ज किया जाने लगा। इसमें कहीं न कहीं कुड़मि जनजाति को भ्रमित करने की एक सोची समझी योजना थी जिसे हमारे भोले भाले अनपढ़ बाप दादाओं को पता न चल सका। ये सोची समझी चाल 'अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा' ने रची और छोटानागपुर क्षेत्र के कुड़मि जनजाति समुदाय को अशांत करने का परिणाम ये हुआ कि इसी षड़यंत्र के भुक्तभोगी होकर हम आपस में 'कुड़मि', कुरमी और कुर्मी पर लड़ने लगे। यह हमें समझना चाहिए कि 1908 में यहाँ के आदिम जनजातियों की जमीन को लुटेरे बाहरीयों से सुरक्षित रखने के निमित्त 'छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम' पारित होने से मुख्य रूप से कुड़मि जनजाति की जमीन पर हस्तांतरण संबंधी रोक लगी और हमारे पुरखों की धरोहर लुटने से बची। अंग्रेजों ने यह भलीभांति अंदाजा लगा लिया था कि चतुर और बर्बर लोगों से यहाँ के जनजातियों को सुरक्षित करने के लिये इनके जीवनाधार माटि(जमीन) को लूटने बचाना होगा अन्यथा जमीन के साथ साथ इन जनजातियों का

अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ की जनजातियों के विरासत तथा प्रथागत नियमों के उपर भारतीय उतराधिकार कानून थोपने पर रोक लगाने हेतु 2 मई 1913 के गजट अधिघोषणा न. 550 के माध्यम से संरक्षित किया गया था। अतः बाहरी आव्रजकों से यहाँ के भोले भाले जनजातियों की जमीन को बचाने हेतु गहन शोध व अध्ययन के बाद बने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) का निर्माण 1903 में ही कर लिया गया था और 1905 से उसे अधिनियमित करने की योजना थी। परंतु 25 अगस्त 1907 को सिंहभूम क्षेत्र के साकची–कालीमाटि गाँव में "टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी" की स्थापना और धनबाद व हजारीबाग में कोलियरियाँ खुलने के लिए अन्य सबों से अधिक कुड़मि जनजाति की ही जमीन ली जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में राधा गोबिंद महतो लिखित 'मानभूमेर लोक–संस्कृति' नामक पुस्तक में तत्कालीन काँग्रेस नेताओ के साथ जमशेदजी टाटा के पत्राचार का जिक्र किया गया है जिसमें उद्योग लगाने हेतु जमीन संबंधी समस्याओं के निराकरण पर विमर्श हुए। अतः टाटा के स्टील कारखाने और कोलियरियों के खुलने के बाद अनायास हमारे क्षेत्र में बाहरीयों का वृहत आव्रजन व अतिक्रमण आरंभ हुआ। और ये आव्रजन/अतिक्रमण अभी तक निरंतर जारी है।

इतने सब होने के बाद भी 1931 के जनगणना से लेकर अभी तक हमारे कुड़मि समुदाय को भटकाने और भरमाने का अभियान एक सोची समझी रणनिति के तहत निरंतर किया गया और जनजाति कुड़मि को कुर्मी में बदलने में विशेषकर मानभूम जिले के पश्चिमी क्षेत्र और राँची, हजारीबाग, से लेकर क्योंझर और मयुरभंज तक कुड़मियों का क्षत्रियकरण करने का प्रायोजित कार्यक्रम चलाया गया। छोटानागपुर राढ़ क्षेत्र के कोल कुड़मि कभी सरकार व शासन का अंग नहीं रहे और परिणामस्वरूप इनपर आर्य नस्ली कुर्मी जनों का वैचारिक आधिपत्य बनना सरल हो गया। अगर अपवाद स्वरूप इस क्षेत्र के किसी जनजाति कुड़मि का बेटा अपने प्रतिभा के बल पर किसी पर पहुँचने में कामयाब भी रहा तो तत्काल उसे गैर जनजाति कुर्मी समुदाय द्वारा हाथों हाथ लेकर उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाकर उसे अपने कुल–गोत्र में लाने का पूरा प्रयास किया जाता रहा और इस प्रकार हमारे जनजाति कुड़मि कर्णधार अपने समुदाय से कटते चले गये। यह कथा पिछले तीन पीढ़ी से अनवरत कही–सुनी जाती रही

है। सरकार में हमारी भागीदारी नहीं होने का मतलब था कि वहाँ हमारी कुछ भी नहीं चल सकती और कई बार तो हमपर मनमाने फैसले भी सौंपे गये। 'अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा' अपने कुटिल चाल में कामयाब रही। स्थिति इस हद तक भयावह हो चुकी थी कि छोटानागपुरी कोल--कुड़मि लोग ही अपने को 'कुड़मि' कहने पर मारने पीटने पर उतारू होने लगे थे। मानभूम के पुरूलिया क्षेत्र में ऐसे कई घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी अभी जीवित है। लगातार भयादोहन और आतंकित कर कुड़मि जनसमुदाय को अंततः भीरू बनाने का भी प्रयास तो किये जाते रहे किंतु कुड़मि के मुँह से कुर्मी का उच्चारण और जनेऊ पहनाकर मुर्गी वर्जित रखने और 'सांघा' करने तथा लड़कियों को 'करम आखड़ा' में जावा–झुमर नाचने से बंद करने में उचक उचक कर उच्च बने कुर्मी क्षत्रिय समुदाय के लोग कुड़मि जनजाति के नैसर्गिक भावनाओं को अधिक समय तक दबा न सकते थे, दबा न सके। परंतु अपने समाज के स्वनामधन्य बुद्धिजीवीयों द्वारा "कुड़मि" के खतियान पर "कुर्मी" दर्ज किया जाना और करवाना इस दौर की षड़यंत्रकारी दास्तान रही थी। हमारे क्षेत्र में खतियान लिखने वाले सभी बाहरी यानि बिहारी/बंगाली बाबुओं नें हमारे मौलिक उच्चारण 'कुड़मि' को महत्व न देकर अपने तरीके से उसका 'कुर्मी' या कुरमी उच्चारण किया और खतियानों में कुर्मी/कुरमी ही दर्ज करते चले गये। आज भी आप देख सकते है कि अदालत कचहरियों में हमारे ही फीस पर काम कर रहे हमारे वकील एवं मोहरी गण किस प्रकार हमारे 'कुड़मि' नाम को अपने मन से कुर्मी या कुरमी लिखकर ही काम कर डालते है।

कतिपय सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्रों में उपयोग किये जा रहे कागजातों में हमारे भोले भाले कुड़मि जनों द्वारा यह संज्ञान तक भी लिया न जा सका कि उनका परिचय किस जाति नाम से उल्लेखित किया जाता रहा और उनकी पीढ़ीयाँ गुजर गई। परिणामतः आज उनके ही वंशजों को यह कटु सत्य बताना और समझाना इतना दुभर हो चुका है कि उनके अंदर 'कुड़मि' कहलाना नीच होने या गँवार बनने की सोच लगती है। उन्हें कुड़मि शब्द से घृणा करने को प्रायोजित कर दिया जाता है और आदिवासी कहलाने का मतलब यह नहीं बतलाया जाता कि आदि काल से वास करने वाले को अर्थात आदिम वासिंदा को ही आदिबसकइता यानि आदिवासी कहते है। बल्कि उन्हें आदिवासी का अर्थ में पीछे की तरफ जाने की या नीच व गँवार होने की बात समझा दी जाती है। इस प्रकार

महासभा के शातिर प्रतिनिधि लोग और हमारे खतियान बनाने वालों ने हमारे साथ कौन सी धोखाधड़ी की इसका कयास भी लगाने में हम विफल रहे। विडंबना यह कि कितने ही कुड़मि तो अभी इसी खतियान को ही अपना सबसे बड़ी पहचान का आधार मानकर चलने को ही बेहतर समझ रहे है तो इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क वे यही देते है कि खतियान के आधार पर ही उनको 'जाति–प्रमाणपत्र' दिया जाता है। भोले कुड़मि जनो को अभी तक अपना खतियान और जाति–प्रमाणपत्र में लिखा स्पष्ट अंतर भी दिखाई नहीं देता कि उनके किसी खतियान में 'कुर्मी/कुरमी' के शब्द के साथ 'महतो' लिखा नहीं रहता पर उसके जाति–प्रमाणपत्र में लिखा क्यों जाता है। वास्तव में खतियान के बहाने कतिपय क्षेत्रों के कुड़मि जनजाति को भ्रमित करने का यह षड़यंत्र प्रतीत होता है जिसके शिकार हमारे भोले भाले कुड़मि समुदाय हो रहे है। उन्हे खम ठोंक कर यह कहना चाहिए कि अगर मेरे खतियान में सिर्फ 'कुर्मी' शब्द दर्ज है तो मेरे जाति–प्रमाणपत्र में भी सिर्फ कुर्मी लिखना होगा, नहीं तो इसके साथ 'महतो' शब्द को जोड़ने का असली कारण बताना होगा क्योंकि जाति के स्थान पर ये 'महतो' शब्द मेरे किसी भी खतियान में कहीं दर्ज नहीं है। पर अभी भी इप तथ्य का सेंपल सर्वे करके देखा जाए तो यहाँ 10 प्रतिशत भी कुड़मि नहीं मिलेगें जो मुखर होकर इसका प्रतिवाद करने को उद्धत हों। भारत सरकार के गजट अधिसूचना को दरकिनार कर हमारे जमीन दस्तावेजों में भी 'कुड़मि' की जगह 'कुर्मी' दर्ज कर यह टिप्पणी लिखी जाती है कि ये आदिवासी नहीं है, और हम यहाँ भी प्रतिवाद नहीं कर पाते। अतः अनजाने में हो रही ऐसी भूलों को आगे और न दोहराने की शपथ लेकर हमें दृढ़ होकर ऐसे गैर कानूनी गतिविधियों का प्रतिवाद करना चाहिए।

11. जनगणना में कुड़मि

Kurmi- इस शीर्षक से प्रमुखतया बिहार के कुर्मी माने जाते है परंतु जनगणना संबंधी दस्तावेजों में ज्यादातर स्थितियों में छोटानागपुर के एबोरिजिनल कुड़मि को भी सिवाय (R) के कठोर उच्चारण अर्थात 'ड़' के उच्चारण के अलग नही समझा गया। इन दोनो प्रजातियों का अलग Ethnicity पर ध्यान नही दी गयी। धर्म भी स्पष्टतया नही माना गया। और यह सब संभवतः इस कारण हुआ क्योंकि प्रायः सभी सर्वेक्षण कर्ताओं ने प्राथमिक तौर पर अन्य क्षेत्र के कुर्मी जाति पर सर्वेक्षण पहले कर लिया और बीहड जंगलों से भरे छोटानागपुर राढ़ क्षेत्र के आदि बासिंदा कुड़मि सहित अन्य जनजातियों का अध्ययन बाद में किया हो। संभवतः इसी क्रम में समश्रूति न मिलने के कारण Kharia (खड़िया) जैसे जनजातियों पर 'खरिया' उच्चारण से कोई विवाद न बन सका परंतु (Kurmi) कुर्मी से मिलते जुलते नाम से मिले 'कुड़मि' जनजाति के समश्रुति मिल जाने के कारण कतिपय सर्वेक्षण कर्ताओं द्वारा अन्यमनस्क होकर इसके विशिष्ट उच्चारण अर्थात Hard 'R' या soft 'D' के अंतर को बिना ठीक से जाने समझे एक ही मान लेने या किसी अन्य अस्पष्ट तर्क के बहाने कुड़मि को भी 'कुर्मी' फोल्डर में रखने का काम कर निपटा दिया गया हो। जो भी हो मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुर्मी के चक्कर में कुड़मि के स्वत्व पर खतरा उत्पन्न हुआ जिसमें कतिपय कुड़मि जनों द्वारा जयचंदी भूमिका अदा की गई। इस कुलनाशी कार्य के अगुआ जनों पर खुद को उच्च बताने का भूत इस कदर हावी था कि इस चक्कर में उनलोगों ने अकूत धन व तन खर्च किये। विशेष कर उडीसा क्षेत्र के कुड़मि गाँवों में युद्धस्तर पर ऐसे अभियानों में कथित उच्च जातियों का मिश्रित प्रभाव रहा। इस प्रकार दिग्भ्रमित कर कुड़मि जनजाति समुदाय को तहस नहस करने का एक दीर्घकालीन खेल चला और इतना चला कि अंततः अंग्रेज जनगणना अधीक्षक तक को कुड़मि जनजाति के मौलिक तथ्य से परे दर्ज करने को बाध्य करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि उसी दौर में कुड़मि जनजाति के क्षत्रिय नहीं होने की घोषणा भी सरायकेला के राजा के द्वारा गठित कमिटि द्वारा 16.7.1930 को कर दी गई थी। वह दौर पूरे क्षेत्र के निर्वाक कुड़मि समुदाय के लिए भयंकर

उथल पुथल से भरा रहा और कथित तौर पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा द्वारा एक तरह से इस क्षेत्र को संक्रमित और आतंकित किया जा चुका था। (संदर्भ– 'Sanskritization vs Nirbakization' (1999).

परंतु इसके बावजूद बंगाल के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों खासकर बंगाल के राजशाही और मिदनापुर क्षेत्र में जनगणना में स्पष्टतया "कुड़मि–महतो" नाम से उल्लेखित किया गया। दूसरी जातियों में भी ये टाइटिल पाई गई जिनमें कोइरी और कोच प्रमुख थे। तब किसी स्थानीय संस्था द्वारा 'कुर्मी–क्षत्रिय' दर्ज कराने की मांग न हुई बल्कि एक आल इंडिया महासभा द्वारा की गई थी। कुल जनसंख्या मिश्रित रखी गयी थी। यद्यपि विभिन्न जनगणना रिपोर्ट में विज्ञ जनगणना अधिकारियों द्वारा दिये गये सूचनाओं एवं बयानों में कुड़मि सहित विभिन्न जनगोष्ठियों द्वारा स्वयं को किसी जातिनाम या पदनाम से दर्ज कराने से मना किया तथा कुछ ने केवल अपने नाम के साथ क्षत्रिय लिखने का प्रयास किया था। उनमें आगुरी, बागदी, झालोमालो, कायस्थ, कुरमी, महिष्य, नट, पोद, पुण्डरी, राजवंशी, उरॉव, नमसुद्र एवं सूंड़ी थे। वैद्य, नापित, कर्मकार, सुत्रधार, एवं सोनारों ने तो ब्राह्मण लिखने का दावा किया था। इसके अलावा विभिन्न सर्वेक्षण एवं जनगणना के विभिन्न दस्तावेजों में कुड़मि सहित संथाल, हो, भुमिज आदि जनजातियों के जनेऊ धारण करने के उल्लेख मिलते है।

डबल्यु जी लेसी महोदय ने परिशिष्ट 4 के 'संथाल' शीर्षक पर अपनी रिपोर्ट में बोर्डिंग महोदय को उद्धृत करते हुए कहा कि कांग्रेस व हिन्दुओं ने संथालों को भी निरामिष भोजी और जनेऊधारी बनाने का आंदोलन चलाया हुआ था और उनके विवाह संस्कारों में जनेऊ का प्रयोग किया जाने लगा था। उराँव जब छोटानागपुर में आये तो उस अवसर पर वे जनेऊधारी थे। उराँवों के टाना भगत विशुद्ध शाकाहारी एवं जनेऊधारी हैं। 1951 में जनगणना अधीक्षक रहे ए. मित्रा बताते है कि उराँवों ने भी क्षत्रियत्व का दावा किया था।

Census Report ,Bihar and Orissa 1931, Appendix-IV By W.G. Lacey Page-280 Para-IV. में दर्ज अंश का उल्लेख निम्न प्रकार है–

"छोटानागपुर के एबोरिजिनल कुड़मि एक अन्य समुदाय है जो आलोच्य मौके पर विचित्र परिस्थिति में है। जिनका वर्णन परिशिष्ट 5 में दिया जा रहा है जो उनके उत्पति और विकास से संबंधित है और जिनको प्रिमिटिव ट्राइब में पूर्ववत शामिल रखा जाए तो प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर कम से कम साढ़े सात मिलियन होगी। पर साधारण तौर पर प्रान्तीय जनगणना रिपोर्ट में यह अंगीकार किया गया था कि कुड़मि महतो एक सेमी–ट्राइब समुदाय है जिनके पूर्वज संताल व भूमिजों के सगे थे। तदानुसार केवल बिहार के कुर्मियो के लिए क्षत्रिय लिखाने पर निर्देश दिया गया।"

पर उक्त निर्देश के विरूद्ध अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा द्वारा ताकीद की गई कि छोटानागपुर के कुड़मि और बिहार तथा पश्चिमी प्रांतों के कुर्मी अभिन्न है जिसका प्रमाण आवश्यक हो तो सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु जब उनसे प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तो महासभा द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई एवं अंततः प्रमाण प्रस्तुत करने के मामले में महासभा मुकर गई और न तो ऐसा कोई साक्ष्य या उदाहरण पेश किया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ये दोनों प्रजाति– 'कुड़मि' और 'कुर्मी' वास्तव में अभिन्न है और विज्ञ कुड़मि महतो लोग इसका विरोध न करें। अंततः महासभा ने ये तर्क रखे– 1.शाखाए और उपशाखाएं समान है। 2. पेशा समान है। 3. आदतें एवं परंपराएं समान है। परंतु उनके ये तर्क भी झूठे ही निकले, अपितु दोनों प्रजाति को एक दिखाने के लिए पुनः उन्होने डाल्टन के 'डिस्क्रिप्टिव इथनोलोजी आफ बंगाल'(1872) का एक उद्धरण रखा था जिसे 1891 के सर्वेक्षण में सर एच.एच. रिज़ले अपने विशिष्ट सर्वेक्षण में स्पष्टतया झूठला चुके थे। रिज़ले महोदय पहले व्यक्ति थे जिन्होने पारंपरिक पद्धति से अलग अपेक्षाकृत सर्वाधिक मौलिक मानवमित्तिय शोध परीक्षण पद्धति से शारीरीक गठन एवं सिर, नक्श तथा पृष्ठीय मापन द्वारा प्रजातिगत भिन्नताओं का वृहत एन्थ्रोपोमेट्रिक अध्ययन कर भारत के सर्वाधिक आदिम 13 नेटिव जनसमूहों की खोज करने में सफलता पायी थी। आगे चलकर इन्हे ही प्रथागत परंपराओं और रूढ़िवादी समाज व्यवस्था के आधार पर 1865 के भारतीय उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया।

रिज़ले महोदय ने यह स्पष्ट उल्लेख किया कि इ टी डाल्टन द्वारा वर्णित विवरण केवल मात्र बिहार के कुर्मियों का है। उन्होने छोटानागपुर के कुड़मि को उनके चारों ओर रहनेवाले बाकी जनजाति प्रजातियों के समतुल्य ही नाटे, तगड़े और अत्यधिक काले रंग जैसे विशिष्टताओं में पाया। अत्यधिक बारीकी से अध्ययन करने पर उन्होने पाया कि मानभूम एवं उड़िसा में एक कुड़मि को एक भूमिज वा संथाल से अलग शिनाख्त करना असंभव था और संथाल जो खान पान में अति सावधान और तुनकमिजाजी होते है, वे केवल कुड़मि घर का पकाया भात खाते है तथा एक मान्यता के मुताबिक वे कुड़मि को सगा भाई मानते आये है जो एक ही बाप के जाये दो बहनों के संतान है जिसमें बड़ी से कुड़मि और छोटी से संथाल बने और जिसका प्रमाण स्वरूप वे टोटेमवाद का हवाला देते है। सिर्फ छोटानागपुर क्षेत्र के कुड़मियों में विशुद्ध टोटेमवाद का प्रयोग और उनके अधिकांश वास क्षेत्र में टोटेम के पहचान के विश्वस्त प्रमाणिक तथ्य प्राप्त हो जाने के बाद ही सर रिज़ले महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि छोटानागपुर क्षेत्र के कुड़मि प्रिमिटिव ट्राइब हैं। उनके द्वारा निष्कर्षित 'द पीपुल आफ इंडिया' में उद्धृत किये गये एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के रूप में 'डायमेंसन आफ हेड', 'सेफालिक इंडेक्स', 'नेज़ल इंडेक्स' तथा 'स्टेचर' संबंधी अध्ययन का रिपोर्ट तथा 2011 की जनगणना के आँकड़े अग्रांकित है:–

(क) 'The People of India'

H.H. Risley K.C.I.E., C.S.I. (Edition-1915) Page-399.

Appedix-III *(Summery of Measurements)*

Dravidian Type

Tribe's Name	Dimension of Head	Proportion of Head (Cephalic Index)	Dimension of Nose	Proportion of Nose	Stature
Bhumij	L-185.9 Br-139.6	75.0	Ht-46.7 Br-40.4	86.5	1592
Kurmi	L-185.6 Br-140.5	75.7	Ht-47.2 Br-39.0	82.6	1608
Santhal	L-184.8 Br-140.7	76.1	Ht-45.7 Br-40.6	88.8	1614
Munda	L-185.9 Br-138.6	74.5	Ht-44.7 Br-40.2	89.9	1589
Kharia	L-184.4 Br-137.4	74.5	Ht-45.3 Br-40.1	88.5	1601

Referances....

E.R.I. Page- 528

Census Report 1901 Vol-1 page-328-393

Census Report 1911 Vol-1 Page- 512

Census Report 1921 Vol-1 Page- 356-365

Primitive Tribes- C.R. 1931 Vol-1 Page-502-507

Bengal and Sikkim Part-1 Report Chapter XII, Page- 476, By- A.E.Porter, W.G. Lacey, J.H. Hutton

(Superintendents of Census Operation)

(ख) जनगणना 2011 के अनुसार झाड़खंड में विभिन्न जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की स्थितिः—

जनजाति / भाषा का नाम	जनजाति की संख्या (झाड़खंड)	जनजातीय भाषा बोलने वालों की संख्या
कुड़मि / कुड़मालि	9.7मिलियन (झाड़खंड)	3,11,175(भारत)
संथाल / संथाली	27,52,723(झाड़खंड)	7.6 मिलियन (भारत)
मुंडा / मुंडारी	12,29,221(झाड़खंड)	11,28,228(झाड़खंड)
खड़िआ / खड़िआ	4,33,722 (भारत)	1,96,135(झाड़खंड)
उरांव / कुडुख	17,16,618(झाड़खंड)	2.28 मिलियन (भारत)
हो / हो	9,28,289(झाड़खंड)	14,21,418 (भारत)
मालेपहाड़िया / मालतो	46,222(झाड़खंड)	2,34,991 (भारत)
XXX/खोरठा	XXX (36 जातियाँ)	8.04 मिलियन (झाड़खंड)
XXX/पंचपरगनिया	XXX (16 जातियाँ)	2,44,914 (झाड़खंड)
XXX/नागपुरी	XXX (21 जातियाँ)	7,63,014(झाड़खंड)

स्रोत– Census of India 2011 data. IIPS Mumbai.

Population by Mother Tongue in Cenus 2011 :

State code	Area Name	Mother Tongue code	Mother Tongue Name	Total
00	India	006345	Kudmali	311175
20	Jharkhand	006345	,,	43
19	West Bengal	006345	,,	218226
21	Odisha	006345	,,	90052
18	assam	006345	,,	1919
xx	Other states	006345	,,	935

नोट– यहाँ गौर करें कि जनसंख्या में कुड़मि की इतनी आबादी होते हुए भी कुड़मालि की संख्या मात्र–43? इस कदर भी हेर फेर क्या संभव है? अतः एक बात पक्की कर ले कि इस जनगणना में फार्म को पेंसिल से भरे जाने पर उसे कदापि न छोड़े क्योंकि इसी से 99 प्रतिशत गड़बड़ी की जाती है। विवरणी को कलम से भरने के बाद ही उसपर हस्ताक्षर करें।

12. कुड़मि के 81 टोटेम (किलि) के विवरण

गुसटि(टोटेम) नाम	टोटेम(गुसटि चिन्ह)	टैबु(विधि निषेध)
1. कइरआर	कइरा (केला)	खाते नही, पेंड़ को काटते नही
2. करकुआर	खांखड़ा बिछा	मारते नही.।
3. कउड़िआर	फुटिया कउड़ि	व्यवहार नही करते।
4. कँड़हरआर	कँड़हर फर	खाते नही, पेंड़ को काटते नही
5. कंहड़आर	कँहड़ा	खाते नही.।
6. काड़ुआर	काड़ा	पूजा करते हैं।
7. काइटुआर	कटास	मारते नही।
8. कादिमार	कादाखेंचि पाइख	मारते नहीं, खाते नहीं।
9. काँचिआर	काँचि डेहरी	व्यवहार नहीं करते।
10. कानबिंधा	उपर कान में छेद	अनिवार्य हैं।
11. केंकड़ुआर	केंकड़ा	खाते नही, मारते नही हैं।
12. केटिआर	तसर कआ	मारते नही, सिझाते नहीं।
13. केटरिआर	कठुआ	व्यवहार नही करतें।
14. केसरिआर	केसरिघास	काटते नही, गेड़ुआ खाते नहीं।
15. कुंदरिआर	कुंदरि फल	खाते नहीं।
16. कुँड़िआर	कुँड़ि	व्यवहार नहीं करते।
17. खेंखुआर	खेंखसिआर	मारते नहीं
18. खेसुआर	खेस धान	खाते नहीं।
19. खेड़ुआर	खेड़घास	काटते नहीं, उपयोग नही करते
20. खेड़हुआर	खेड़हा	मारते नही, खाते नही।
21. खिरूआर	खिरा	खाते नहीं।
22. गुलिआर	गेंड़हि / घंघि	खाते नही।
23. गेठिआर	गेंठि केंदा	कोड़ते नही, खाते नही।

24. गेरूआर	गेरू पाथर	व्यवहार नहीं करते।
25. घंघुआर	घंघा	खाते नहीं।
26. चिलुआर	चिल	मारते नहीं।
27. चिड़ुआर	चिड़ु गिलहरी	मारते नहीं, खाते नहीं।
28. चुटरिआर	चुटरि चुहिया	मारते नहीं।
29. जुँञआर	जुँञ लहाचिमटि	मारते नहीं।
30. जुमरिआर	गेंड़ गेंउआरि पका	मारते नहीं।
31. जेंगटिआर	जेंगटि	मारते नहीं।
32. जुरूआर	गजइर पका	मारते नहीं।
33. चाँड़रिआर	चाँड़रा चौंउअर	व्यवहार नही करते।
34. टिंडुआर	टिंड़ि फड़िंग पका	मारते नहीं।
35. टेटेआर	टिटु पाइख	मारते नहीं।
36. डंगुआर	डंगि	व्यवहार नही करते।
37. डुंगरिआर	उइ माका (टिला)	फोड़ते नही।
38. डुमरिआर	डुमइर	खाते नहीं।
39. तितरिआर	तितिर पाइख	मारते नही, खाते नहीं।
40. दागरिआर	डाबना दाग	दागते नहीं।
41. दरूआर	मेंढ़क	मारते नहीं।
42. धानुआर	बेंगाधान	खाते नहीं।
43. नागुआर	खरिस सांप	मारते नहीं।
44. नांगटुआर	गुप्त भुत पुजा	विवस्त्र गुप्त भुत पुजते हैं।
45. नेलुआर	नेल नेवला	मारतें नहीं, खाते नहीं।
46. पाकड़ुआर	पाकइड़ फर	पेंड़ काटते नहीं।
47. पाँड़ुरिआर	पाँड़ुक पाइख	मारते नहीं, खाते नहीं।
48. पुनअरिआर	पुइ साग	खाते नहीं, करते नहीं।
49. बनसुआर	बन बरहा	मारते नहीं, खाते नहीं।
50. बंसरिआर	बाँस	खाते नहीं, काटते नहीं।
51. बांदुआर	बांदा	व्यवहार नही करते।
52. बानुआर	बंदर, बानासुना	मारते नहीं,बिहा में नहीं करते।
53. बिलुआर	बिलार	मारते नहीं।
54. बकुआर	बकलि	मारते नहीं।
55. बुंदिआर	बुंदि आइग	व्यवहार नही करते।
56. बेहड़आर	बेहड़ा फर	व्यवहार नही करते।

57. बेड़ुआर	बेड़ गंडा	व्यवहार नही करते।
58. बेमुआर	बेमुत चिमटि	मारते नहीं।
59. मगुआर	कुमहिर	मारते नहीं।
60. मानुआर	साँअर हरिन	मारते नही, खाते नहीं।
61. मुतरूआर	माकड़ा	मारते नहीं।
62. मुरमुआर	साँउनि गाय	पूजते है।
63. मुसुआर	इंदुर चूहा	मारते नहीं, खाते नहीं।
64. लाकड़ुआर	लाकड़ा	मारते नहीं
65. लाठउआर	लाठाचंगि	व्यवहार नही करते।
66. लुतिआर	लुतिमाछि	मारते नहीं, खाते नहीं।
67. साँखुआर	साँखा	व्यवहार नहीं करते।
68. सिंकुआर	सिंका	सिंकादाग नहीं लेते।
69. सिखुआर	फुरचुंदि	रखते नहीं।
70. सिखिआर	मेंजूर पाइख	मारते नहीं, खाते नहीं।
71. सिंगुआर	सिंगा	फुंकते नहीं।
72. सिंहुआर	सिंह बाघ	मारते नहीं, खाते नहीं।
73. हसतुआर	काछिम	मारते नहीं, खाते नहीं।
74. हाँसदाआर	बन हाँस	मारते नहीं, खाते नहीं।
75. हाँसदागिआर	बाइल हाँस	मारते नहीं, खाते नहीं।
76. हिंदइआर	कुचिआ मछली	मारते नहीं, खाते नहीं।
77. हेमरिआर	पान पात	व्यवहार नहीं करते।
78. उखरिआर	उखइल	व्यवहार नहीं करते।
79. उँधिआर	उँधि	व्यवहार नहीं करते।
80. बासागिआर	सिकरा पाइख	मारते नहीं, खाते नहीं।
81. काछुआर	छटअ काछिम	मारते नहीं, खाते नहीं।

विशेष द्रष्टव्य– कुड़मि जनजाति उपरोक्त 81 टोटेमिक चिन्हों यानि किलि के आधार पर बने गुसटि यानि कबिलों के अंतर्गत अपनी जनजाति परंपरा में आदिम स्वरूप में जीवन जीते आये है। काल क्रम में इन मूल

81 गुसटि से कुछ शाखा प्रशाखा स्वरूप कई उप गुसटियाँ भी बनी जिनको मिलाकर संख्या करीब 120 तक पहुँच गई है।

(जैसे– बानुआर से जालबानुआर, बाघबानुआर, हाथीबानुआर, कोयाबानुआर, सालबानुआर, घोड़ा बानुआर, भालुक बानुआर, बरहा बानुआर, कानबिंधा बानुआर, साइठ बानुआर, सारइ बानुआर, बान बानुआर आदि।

केटिआर से सांची केटिआर, पेचा केटिआर, कानछिड़ा केटिआर, झांटि काटा केटिआर आदि।

पुनरिआर से टौकि पिटा, चिल बिंधा, आधि चिआ, झाड़ काटा पुनरिआर आदि बने)

परंतु अपने 81 मूल गुसटि के अंतर्गत कुड़मि जनजाति की मौलिकता वही आदिम स्वरूप में आज भी विद्यमान है जो कुड़मि के खाँटि आदिम कबिला वाची जनजाति होने का द्योतक है। यही नहीं, कुड़मि के अपने गुसटि के किलि एवं उसके विधि–निषेध के आधार पर ही इनके और बाकी गुसटियों के बीच विवाह संबंध बनाये जा सकते है।

13. कुड़मि तथा अन्य जनजातियों में टोटेमिक साम्यता

(क)– मुंडा जनजाति – कुड़मि जनजाति

गुसटि – किलि	गुसटि – किलि	विधिनिषेध(टैबु)
सोय – सोल मछली,	हिंदइआर – कुचिया मछली	– खाते नहीं।
नाग – कोबरा साँप,	नागुआर – खरिस साँप	– पूजते हैं।
होरो – कछुआ,	हसतुआर – काछिम	– पूजते है।
तिड्डु – तिड्डु पक्षी,	टिड्डुआर – फतिंगा	– मारते नहीं।
बागे – बाघ,	सिंहुआर – सिंह/बाघ	– पूजते है।
पूर्ति – चूहा,	मुसुआर – चूहा	– मारते नहीं।
देमता – लाल चींटी,	बेमुआर – बेमुत चींटी	– मारते/खाते नहीं।
बाहेड़ा – बेहड़ा फल,	बेहड़आर – बेहड़ा फर	– व्यवहार नहीं करते।

(ख)– संथाल जनजाति – कुड़मि जनजाति

गुसटि – किलि	गुसटि – किलि	विधि–निषेध (टैबु)
मुर्मू – नील गाय,	मुरमुआर – साँउनि गाय	– पुजते है।
हेम्ब्रम – पान पत्ता,	हेमरिआर – पान पत्ता	– व्यवहार निषेध।
चिलबिंधा – चील,	चिलुआर – चील	– मारते नहीं।
बास्के – नाग साँप	नागुआर – खरिस साँप	– मारते नहीं।
मरांडी – माड़रा घास,	केसरिआर – केसरघास	– व्यवहार नहीं।
टुडु – टुडुपक्षी,	तितरिआर – तीतर पक्षी	– मारते नहीं।
बेसरा – बाज पक्षी,	बासागिआर – सिकरा पक्षी	– खाते नहीं।

(ग)– कुडुख जनजाति – कुड़मि जनजाति

गुसटि – किलि	गुसटि– किलि	विधि–निषेध (टैबु)
लकड़ा– लकड़ाबाघ,	लाकड्डुआर – लाकड़ा	– मारते नहीं।
एक्का – कछुआ,	हसतुआर – काछिम	– पूजते है।
मिंज – मछली,	हिंदइआर – कुचिआ मछली	– खाते नहीं।

तिग्गा – बंदर,	बानुआर – बंदर	– मारते नहीं।
लिंडा – केंचुआ,	जेंगटिआर – केंचुआ	– मारते नहीं।
कच्छप – कछुआ,	काछुआर – छोटा काछिम	– खाते नहीं।
खेस – खेसधान,	खेसुआर – खेसधान	– खाते नहीं।
तिर्की – टेरी पक्षी,	टेटेआर – टेरी पक्षी	– मारते नहीं।

(घ)– खड़िया जनजाति – कुड़मि जनजाति

गुसटि – किलि	गुसटि – किलि	विधि–निषेध (टैबु)
टेटे – टेरी पक्षी,	टेटेआर – टेरी पक्षी	– मारते नहीं।
किड़ो – बाघ,	सिंहुआर – सिंह/बाघ	– पुजते है।
बाः – धान,	धानुआर – बेंगाधान	– खाते नहीं।
डुंगडुंग –कुचिआ मछली,	हिंदइआर – कुचिआ माछ	– खाते नहीं।
टोप्पो – कठफोड़वा,	कादिमार– कादाखेंचि पक्षी	– मारते नहीं।
कुल्लु – कछुआ,	काछुआर – छोटा काछिम	– पुजते है।

(ङ)– हो जनजाति – कुड़मि जनजाति

गुसटि – किलि	गुसटि – किलि	विधि–निषेध (टैबु)
पूर्ति – चूहा,	मुसुआर – चूहा	– मारते नहीं।
सामड – हरिन,	मानुआर – साँअर हरिन	– मारते नहीं।
लुगुन – तसर कवा,	केटिआर – तसर कआ	– मारते नहीं।
बागे – बाघ,	सिंहुआर – सिंह/बाघ	– पुजते है।

14. कुड़मि का 'धरम'

जनगणना में एक और जानने वाली अति महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी हर कुड़मि महिला, पुरूष, युवा, बच्चे, बुढ़े सभी को जानकारी चाहिए वह ये कि जनगणना में हमारा धर्म क्या दर्ज होना चाहिए? धर्म का कालम युँ तो हर जनजाति के लिए अभी तक एक अबूझ पहेली रही है। क्योंकि जनजाति समुदाय के लोग किसी खास धर्म और विशेषकर किसी लिखित या स्थापित किये गये धर्म के अनुयायी नहीं होते। जनजाति की अपनी विशिष्ट प्रथाएं और तदानुरूप बनी और विकसित हुई जीवन शैली ही उनका 'धरम' कहलाती है। एक विशिष्ट जनजाति के तौर पर कुड़मि जनगोष्ठी की भी अपनी प्रथागत व्यवस्था है एवं उनके अनुरूप सृजित एवं विकसित हुई जीवनचर्या ही वास्तव में कुड़मि जनजाति का 'धरम' है। इनका 'धरम' वास्तव में सत्य का पर्याय है। मौलिक रूप से प्रकृति की आराधना पर आधारित इस धर्म का मूल नाम 'सत्य' या 'धरम' ही है जिसे अपने अपने दृष्टिकोण एवं सुविधा के अनुसार बुद्धिजीवियों ने सत्य–धरम या सार–धरम या सारि या सारना या सरना आदि नाम रखा। इनमें से उचित नाम जो भी लगे ये हमें अपने सुधी पाठकों के स्वविवेक का प्रयोग करने हेतु छोड़ना चाहिए क्योंकि यह बड़ा संवेदनशील पक्ष होता है और व्यक्तिगत विचार से प्रेरित हो इसपर कुछ भी कहना अनुचित होगा।

परंतु संक्रमण के वर्तमान दौर में धर्म का सामान्यतया जो अर्थ पोंगा पंडितों द्वारा हमें बताया जाता है और उसमें हमारे लोग डुबने उतरने की प्रचेष्टा में जुटे रहते है और पुण्य पाने के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई लुटाते रहते है वह मात्र चालाक जातियों द्वारा फैलाया गया भ्रम व धोखा है, 'धरम' कतई नहीं है। हमारे पूवर्जो ने जिस सच को हजारों वर्ष पहले जाना और माना था वह सच आज भी सच है और वही उनका सार–सत्य अर्थात तब भी 'धरम' था और अब भी है। उसने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों से उपकृत होने पर और उसके दौलत से आबाद होने पर प्रकृति की कृतज्ञता के गीत गाये थे आनंद विभोर हो नाच उठे थे। ये परंपराएं ही हमारे 'परब' कहलाये। कुड़मि सहित बाकी सभी खेरवाल जनगोष्ठी के आदिम जनजातियों में आज भी परब का मतलब यही है।

आज का आधुनिक माना जाने वाला शिक्षित युवा वर्ग को शायद वर्तमान समय और परिस्थिति में जी कर अपने ठेठ पूर्वजों की योग्यता और कर्मठता का अंदाजा न लग सके जिससे वह अक्सर गलतफहमियों के शिकार हो सकते है। परंतु सच्चाई व हकीकत यही है कि कुड़मि युवा मात्र अपनी एक पीढ़ी पूर्व की यथार्थ स्थिति का अवलोकन कर ले तों अपने पूर्वजों के साहस, जीवटता और कर्मठता का सहसा अंदाजा हो सकता है। वह वो समय था जब शत प्रतिशत कुड़मियों ने बीहड़ वनों एवं झाड़ जँगलों से घिरे स्थानों में हजारों गाँव बसाकर हजारों वर्षों से अपनी पीढ़ियाँ बिताई। उस समय न कहीं सड़क थी, न पक्के मकान, न आज के जैसे बाजार, न वाहन, न संचार के तंत्र, न मशीनी यंत्र, न सरकार थी और न कोई वैश्विक व्यवस्था थी। आधुनिकता और विकास के आयामों पर पिछले तीस चालीस वर्षो में आये बदलाव से सदियों का इतिहास पर पर्दा डाला नहीं जा सकता। हालाँकि ये बदलाव अभी भी कुड़मि व अन्य जनजातियों पर दो चार प्रतिशत से ज्यादा को लाभान्वित करने में नाकाम रही है। बल्कि इसके उलट विकास के नाम पर सभी जनजातियों में से कुड़मि ही सर्वाधिक लूटे गये और उनके बसाये हजारों गाँव विकास की वेदी पर बलि चढ़ाये गये। विकास के नाम पर विनाश का जो दंश झाड़खंड के कुड़मियों ने झेला है उसकी मिसाल दुनिया में अन्यत्र कहीं मिलना दूर्लभ है।

वास्तव में शोषण अत्याचार और विस्थापन का ही दूसरा नाम झाड़खंड है। एक बार झाड़खंड क्षेत्र की परिधि कहाँ तक है ये पुछे जाने पर मा. बिनोद बाबु ने जवाब दिया था– ***"बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से घिरा यह छोटा सा भूभाग ही झाड़खंड नहीं है बल्कि विश्व में जहाँ कहीं साम्राज्यवादी शोषकों द्वारा वहाँ के मूल निवासियों का संपूर्ण शोषण एवं अत्याचार जारी है, झाड़खंड वहीं है, जहाँ भी विकास के नाम पर वहाँ के लोगों की जमीन छीनकर उन्हे दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश कर दिया गया, झाड़खंड वहीं है।"*** पर, अनगिनत शोषण व अत्याचार को झेलते हुए भी अपना अस्तित्व बचाकर रखने में भी हमारे पुरखों की सानी नहीं। सदा से उत्पीड़ित रहे हमारे पूर्वजों का यही 'करम'(कर्म) को 'सत्य'(धरम) था इसे ही अपना ध्येय मान कर जीवन पथ पर अग्रसर होते रहने की सीख उन्होने प्रकृति से सीखा। यही हमार मूल 'धरम' आज भी है और

अनंतकाल तक रहेगा। हमारे पूर्वज सदा ही अपने कर्म पर विश्वास किये, वे सदा प्रकृति के प्रति ही कृतज्ञ रहे और किसी अन्य धर्मो का आसरा कभी नहीं लिया। उन्होने अपने बाहुबल के दम पर दिन रात मिट्टी काट कर बड़े बड़े बाँध(तालाब) और खेत बना दिये जिस पर आज भी वर्तमान पीढ़ी के लोग खेती कर ही रहे है। अभी भी 90 प्रतिशत कुड़मि जनजाति का जीवन निर्वाह का स्रोत खेती ही है और एक प्रतिशत से भी कम कुड़मि किसी नौकरी को हासिल कर पाये है। परंतु अपने बाप दादा की जमीन पर चास करना उसे खूब भाता है। अपने कृषि कार्यों में ही उन्मत रहकर जीना, कठिन परिस्थितियों को भी हँस कर झेलना एवं अपने पुरखा व प्रकृति की श्रद्धा करना ही कुड़मि जनजाति का वास्तविक धरम है। परंतु वर्तमान युग में साम्राज्यवादी भाषा–सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का शिकार हो कुड़मि अपनी जनजातिय पहचान खोता ही जा रहा है। आज अगर इस कुड़मि जनजाति को इसकी तनिक भी अहसास व अफसोस नहीं है बल्कि अपनी विरासत को गँवा कर पर–संस्कृति को अपनाना ही उसे श्रेयस्कर लगने लगा है तो यह कुड़मि जनजाति के लिए महा खतरे की घंटी साबित होगी। यह सर्वविदित सच्चाई है कि जिस समाज का निरंतर सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक अनुश्रवण न हो वह चाहे कितना भी विशाल और दृढ़ रहे, अंततः उसका पतन होना निश्चित ही है। दुर्भाग्य से यह हमारे कुड़मि समुदाय पर चरितार्थ होती दिख रही है। अतः कुड़मि जनों के लिए यह सचेत और सावधान होने का वक्त है। अन्य जनजातियों की अपेक्षा कुड़मि जनजाति में भाषायी, सांस्कृतिक और धार्मिक संक्रमण सर्वाधिक हुआ है। विशेषकर, धर्म के क्षेत्र में तो बहुत ही कठिन परिस्थिति मुँह बाये खड़ी है। पिछले तीन पीढ़ियों में इस कदर कुड़मि जनजातियों पर बाहरी धर्म व संस्कृति का लेप चढ़ाया गया कि वर्तमान पीढ़ी के एक दो प्रतिशत कुड़मि ही अपने पुरखो की वास्तविक धर्म–संस्कृति को मानता हुआ मिल जाये तो गनीमत होगी।

सर्वविदित है कि अनार्य कुड़मि जनजाति को जातिवर्ण व्यवस्था के घेरे में लाने का कुत्सित प्रयास उन्हें कथित उच्च जातियों द्वारा हमेशा के लिए अपना गुलाम(शुद्र) बनाकर रखने के लिए की गई भयंकर साजिश थी। जनेऊ पहनाकर कौवों को मोर बनाने की शातिर चाल अंततः बहुत हद तक हमारी ही मूर्खता के कारण कामयाब भी रही। अन्य जनजातियो के साथ भी यह प्रपंच चलाया गया परंतु कुड़मि ही इस प्रपंच में अपना

सर्वाधिक स्वत्व खोने वाले साबित हुए। कुड़मि का कुर्मीकरण अर्थात क्षत्रिय बनने का ललक उनकी स्वत्वता नष्ट करने का मूल कारण साबित हुआ। पर सुखद बात ये रही कि इस मोर बनने ही हसरत में साधारण कुड़मि जनों ने कोई रूचि नहीं दिखाई। इसमें कुछ (एक प्रतिशत से भी कम) छत्रप टाइप के चंद कुड़मि ही फंसे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने जनसमुदाय को भी भरमाने की खुब कोशिश की पर उसे कुड़मि जनसाधारण ने ठुकरा दिया। अतः अब तो उचक कर उच्च बने जनेऊधारी कुड़मि क्षत्रिय जनों की गति 'पुनर्मूषिको भव' वाली हो चली है।

अंततः कुड़मि जनजाति की आदिम पहचान का आधार उसकी अपनी पुरखेनी भाषा--संस्कृति ही बनेगी और चिर काल तक कायम भी रहेगी यह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। परंतु विडंबना ये है कि वर्तमान समय में अधिसंख्य कुड़मि को अपनी वास्तविकता की जानकारी ही नहीं है और वह विशेषकर "कोल कुड़मि कोड़ा, वेद शास्त्र छाड़ा" की पूर्वजों की सार्वभौमिक उक्ति को भी भूल जाने और निषेधित कार्यों को करने में ही अपनी विद्रूप मानसिकता की आन बान शान समझने की भूल कर लेता है। यहाँ यह कहना अतिश्योक्ति नही कि कुड़मि जनजाति के संबंध में ठीक ठाक जानकारी देने वाले अनुभवी लोगों और सामाजिक संगठनों की भी नितांत कमी है जिस कारण कुड़मि समुदाय अनेक अवसरों पर चाहते हुए व्यापक संपर्क के अभाव में भी अपनी मौलिक धर्म संस्कृति से जुड़ नही पाता। परंतु प्रतिद्वंदी धर्मों के अनवरत प्रलोभन, प्रचार और पुण्य का चारा डालकर फँसाने की साजिश का शिकार बन जाता है और अपना खेत को छोड़ कर उनका खेत सींचने में अहर्निश जुट जाता है। इसकी बानगी वर्तमान में हर कुड़मि गाँव में प्रवेश करते समय प्रतीक निर्माणों को देख कर समझा जा सकता है। अब स्वत्व रक्षा हेतु सांगठनिक रूप से एकता लाने का प्रयास ही कुड़मि पर हो रहे बाहरी सांस्कृतिक अतिक्रमण से सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है। पिछले तीन पीढ़ी से हमारे समाज व्यवस्था में अन्य प्रजातियों की दखलंदाजी हुई और हमारे प्रथागत परंपराओं पर कुठाराघात किया जाने लगा। जबरन हमारे पर्वो को नष्ट करने की मुहिम चली और हमारे सहस्रो बर्षो से चल रहे पुरखेनी जनजातिय नेगाचारि विधि विधानों को हेय साबित करने का कुचक्र रचकर शातिर गिरोह ने हमारी ही कमाई पर डाका डालने का सुरंग बना लिया। वे सूई बनकर घुसे और फार बनकर निकलते रहे। निर्वाक कुड़मि

जनजाति यहाँ भी मुखर होकर प्रतिवाद करने में झिझक का अनुगामी बनकर ठिठका हुआ है। अतः अब उसे अपने मौलिक स्वत्व खोकर बर्बाद होने के बजाए तनकर खड़े होने का नैतिक साहस दिखना होगा।

कुड़मि जनजाति का मौलिक धरम अपनी प्रकृति माँ और उसके आनुषंगिक उपादानों की कृतज्ञतापूर्ण आराधना करना है। प्रकृति के जिन उपादानों के बदौलत कुड़मियो ने अपने अस्तित्व को नष्ट होने से बचाने में सफल रहे, उन्हीं की कृतज्ञता ज्ञापित करने का आयोजन है इनके 12 मासेक 13 परब तथा कुड़मि के चास यानि कृषि कार्य को संरक्षित रखने वाले नौ 'राइ–रइआ' अर्थात देउआ–भूता। इसके अलावा कुड़मि अपने पुरखों की भी आराधना करते है क्योंकि इनके पुरखों ने ही चास(खेती) करना तथा उसके निमित्त कई प्रकार के जंतुओं को सहयोगी बनाना और उनकी कृतज्ञता स्वीकार कर उन्हे भी पूजना सिखाया था। आज भी बाहरी धर्म संस्कृति के चपेट में आने के बावजूद कुड़मि जनसमुदाय अपनी जड़ो को बचाने में समर्थ है और अन्य जनजातियों की भाँति पूर्णतः धर्मान्तरित नहीं हुआ है। उसके अपने भूतपिंढ़ा में उनके पुरखे और नौ देउआ–भूता विद्यमान है जिन्हे कोई दूसरा पुरोहित पूजा कर ही नहीं सकता।

अतः जनगणना के दौरान कुड़मि को भेदभाव और ऊँचनीच से युक्त बाहरी धर्मो के चक्कर में न पड़कर अपने मौलिक पुरखेनी और जनजातिय स्वत्व का प्रतीक 'धरम' को ही सार–धरम/सारि/सारना/सरना के तहत अपना डाटा दर्ज कराना चाहिए। इस संबंध में जनजाति वर्ग के सभी जनगोष्ठियों को नीतिगत निर्णय लेकर एकमत होकर जल्द एक सुविधा जनक निर्णय लेना चाहिए। इस मामले में अभी तक अधिकांश संगठनो ने 'सरना' या 'सारना' शब्द को प्रयुक्त किया है परंतु यह सभी जनजातियों द्वारा अभी तक अंतिम तौर पर सर्वमान्य नहीं किया जा सका है। वस्तुतः जनजाति समुदाय इस मामले में अदूरदर्शिता के वजह से भी बिखराव का शिकार हुए है। अतः इसका स्वतःस्फूर्त निदान होना आवश्यक है तभी सदियों से निर्वाक जनजाति समुदाय भी साम्राज्यवादी आव्रजको के धार्मिक अतिक्रमण का ठोस विकल्प के रूप में जवाब देने के काबिल बन पायेगा।

15. कुड़मि–कुड़मालि आंदोलन के अगुआ संगठन

बहुत बार अध्ययन और आंदोलन करते रहने के दौरान तथा अपने से पूर्व के अनेकों सामाजिक महापुरूषों के अथक संघर्ष गाथा से रूबरू होने के पश्चात हमें शिक्षित होकर भी अपने समाज की करूण दशा को न जानने समझने पर तीव्र ग्लानि हुई। कुड़मि जनजाति की Ethnicity को जानने, समझने तथा दुनिया के एक महान जनसभ्यता 'राढ़–सभ्यता' के प्रतिपादक रहे अपने कुड़मि–कुड़मालि के बचे खुचे कड़ियों को समेटने–जोड़ने में हमारे कतिपय जुझारू साथी गण जुटने लगे। अपनी खोई पहचान और हक अधिकार पाने हेतु अब तक किये गये अपने महापुरूषों के संघर्षों का टोह लेने के लिए झाड़खंड–बंगाल–उड़िसा के कुड़मि जनपदों में किये गये संघर्षमूलक आंदोलनकर्ताओं तथा उनके परिजनों से मिलने जुलने का एक लंबा दौर रहा। इस बीच सरकारें आईं, गईं। परंतु कुड़मि जनजाति और कुड़मालि भाषा–संस्कृति संबंधी आंदोलन गतिमान रहा। जानकारी और विवेचना के अभाव में कई प्रकार की भ्रांतियों क शिकार बन चुके कुड़मि समुदाय को भटकाव से बचाते हुये अपने अस्तित्व के असल तत्वों की जानकारी साझा करना एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। इस संबंध में इन महत्वपूर्ण समाज संगठनों का गठन और दायित्व को समझना अत्यंत आवश्यक हैः–

1. आदिवासी कुड़मि समाज

कुड़मि जनजाति समुदाय की आवाज बना 'आदिवासी कुड़मि समाज' नामक सामाजिक संगठन अपने स्थापना काल से ही अनवरत कुड़मि जनजाति को भारत की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कराने के लिए आंदोलनरत होकर संघर्ष कर रहा है। वृहत झाड़खंड क्षेत्र में बसे जनजाति कुड़मि समुदाय को जगाने और अपने संवैधानिक हक पाने की लड़ाई लड़ने में वर्ष 1984 से सक्रिय है। हालांकि इससे पूर्व भी कई संगठनों ने भारत के स्वाधीनता के बाद से ही कुड़मि के हक में आंदोलन किये थे। धुमसाइ, झाड़ग्राम में पहली जड़ुआहि हुई। आदिवासी कुड़मि समाज ने 9 दिसंबर 1986 को केन्द्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री बिहार सरकार और अन्य संबंधित विभागों को स्मार पत्र दिया जिसमें छोटानागपुर क्षेत्र में

अधिवासित कुड़मि जनजाति के ऐतिहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं एथनिकल विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया था।

27 दिसंबर 1987 को प.बंगाल के पुरूलिया जिलान्तर्गत आड़सा थाना के झुंझका गाँव में आदिवासी कुड़मि समाज का ऐतिहासिक जडुआहि की गई जिसमें आवागमन सुविधा के अभाव में भी एक लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुट गई थी। उक्त सभा में करीब सभी गणमान्य सामाजिक और राजनितिक नेतागणों का जुटान हुआ और सर्वसम्मति से एक स्वर में सभी आवाह्न किये कि टोटेमिक कुड़मि यहाँ के आदिम जनजाति थे और इन्हें शीघ्र अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। मानगर ठाकुर दास महतो की अध्यक्षता में हुए इस सभा में मुख्य रूप से झामुमो के संस्थापक बिनोद बाबु, शिबू सोरेन, डा. निर्मल मिंज, रामरतन राम, नृविद डा. पशुपति प्रसाद माहतो आदि का अभिभाषण हुआ। लक्ष्मीकांत मुतरूआर, केशब चंद्र टिडुआर, बसंत कु बंसरिआर, डा. शशि भूषण काडुआर, डा. विद्या भूषण महतो, गुरू प्रसाद, पद लोचन महतो, भीम महंता, गनेसर बंसरिआर, अंगद महतो, शैलेंद्र महतो, केशव कमलेश, विभूति भूषण महतो, अशोक कु. माहतो, विजय माहतो, ललित माहतो, हीरा लाल सांखुआर, मनोरंजन माहतो आदि के अथक प्रयास से सभा ऐतिहासिक रूप से सफल रही।

आदिवासी कुड़मि समाज ने सिर्फ 'एसटी इन्क्लूज़न' का ही आंदोलन नहीं किया बल्कि कुड़मि समाज के अंदर व्याप्त सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने का बीड़ा उठाने का काम किया। उस समय अपने क्षमता से भी बढ़–चढ़ कर बसंत बंसरिआर, लखिकांत मुतरूआर, केशवचंद्र टिडुआर जैसे महान महापुरूषों के अगुवाई में अनेक विज्ञ जनों नें "कुड़मि–कुड़मालि" के लिए जीवन समर्पित कर दिया। ये सारे लोगों में से अनेकों अपने पुरखों की पांत में स्थान पा चुके है और जो सकुशल जीवित हैं वे सभी अभी भी अहर्निश समाज की सेवा में जुटे हुए है। ये भी हमारे समाज के रत्न है जिन्हे सारा कुड़मि समुदाय पूज्य मानता है। कुड़मि मुलुक के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर बड़ी बड़ी जनगोष्ठियाँ आयोजित कर आदिवासी कुड़मि समाज ने पीढ़ीयों से सोये कुड़मि समुदाय को जगाने का महत्ती कार्य किया है। वर्तमान में जितने भी कुड़मालि से संबंधित छोटे बड़े सामाजिक संगठन है, सभी में 'आदिवासी

कुड़मि समाज' के द्वारा उठाये गये कदमों को ही आगे बढ़ाने का कार्य जारी है।

वर्तमान में आदिवासी कुड़मि समाज का विस्तार झाड़खंड के अलावा प. बंगाल, उड़िसा व आसाम तक किया जा चुका है। इन सभी राज्यों में बसे कुड़मि जनजाति के लोग प्रदेश कमिटि से जुड कर समाज के आंदोलन में अहर्निश योगदान दे रहे है। झाड़खंड में आदिवासी कुड़मि समाज का आंदोलन प्रसेनजित काछुआर (तालेबर) तथा बैजनाथ मुतरूआर (देउआन) के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में कुड़मि जनजाति की संवैधानिक लड़ाई को जितकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान मिशन : जनगणना 2020–21 में कुड़मि की मातृभाषा कुड़मालि को पूर्णतः स्थापित करने की हुमदुमि में 'आदिवासी कुड़मि समाज' की अगुआई में समाज एकजुट हो रहा है।

2. मुलकि कुडमालि भाखि बाइसि

सन 1980 ई0 में राँची विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन किये जाने के बाद झाड़खंडी भाषाओं– संथाली, मुंडारी, कुड़ुख आदि के साथ ही कुड़मालि की भी पढ़ाई आरंभ कराने हेतु स्थापित किये गये 'मुलकि कुड़मालि भाखि बाइसि' का गठन किया गया। कुड़मालि भाषा के मूर्धन्य विद्वान मनीषी रहे बसंत कुमार बंसरिआर, लखिकांत मुतरूआर, केशव चंद्र टिडुआर, डा. शशि भूषण काडुआर, आनंद खुँटदार, श्रीपदो बंसरिआर आदि के महान प्रयासों के फलस्वरूप बने इस संगठन द्वारा विशेष कर, कुड़मि की मातृभाषा कुड़मालि के पठन पाठन के संबंध में कुड़मि जनमानस में चेतना प्रवाहित कर कुड़मालि भाषा को मिटने से बचा लेने का अति महत्वपूर्ण काम हुआ। मुलकि कुड़मालि भाखि बाइसि द्वारा प्रकाशित ''कुड़मालि चारि'' को कुड़मि प्रजाति के जीवन धारा में वही स्थान प्राप्त है जो बौद्धों में त्रिपिटक का एवं सिखों में गुरूग्रंथ का है।

'मुलकि कुड़मालि भाखि बाइसि' की बंगाल चेंघि स्वतंत्र रहकर कुड़मालि भाषा–संस्कृति के विकास में अपना अमूल्य योगदान देना अहर्निश जारी रखे हुए है। मुल तालेबर मा. श्रीपदो बंसरिआर एवं मुल देउआन किरीटी गुलिआर के नेतृत्व में बंगाल चेंघि द्वारा अबतक कुड़मालि के 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें 'कुड़मालि

भाषा की उत्पत्ति एवं विकास'– (अनादि कइड़आर), 'कुड़मालि मुलुक'– (साधन केटिआर) तथा 'झुमर व चर्यापद'– (किरीटी गुलिआर) आदि विशेष महत्वपूर्ण कृतियां है। है। बाद में आदिवासी कुड़मि समाज के साथ 'मुलकि कुड़मालि भाखि बाइसि' का विलय कर दिया गया और कुड़मि समुदाय को अपने संवैधानिक हक अधिकार के प्रति जागरूक करने हेतु जोर शोर से आंदोलन चलाया जाने लगा जो आज भी अनवरत जारी है।

3. झाड़खंड कुड़मालि भाषा विकास परिषद

कुड़मि जनजाति की सबसे बड़ी पहचान उनकी अपनी जनजातीय कुड़मालि भाषा है और भाषा ही उसकी प्रजातिगत मौलिक विशेषताओं को अक्षुण्ण रखती है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा अपने पुरखों की धरोहर को बचाने का संकल्प लेकर क्षेत्र के समर्पित समाजसेवियों ने कुड़मालि भाषा के विकास हेतु राखा, आसनतलिया (चक्रधरपुर) में 'झाड़खंड कुड़मालि भाषा विकास परिषद' नामक संस्था की स्थापना 25 दिसंबर 1997 में की। 'झाड़खंड कुड़मालि भाषा विकास परिषद' ने अपने स्थापना काल से ही कुड़मालि भाषा के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए 2006 से माध्यमिक स्तर पर कुड़मालि की पढ़ाई हेतु पाठ्य पुस्तक रचना की जिम्मेदारी उठाई और झाड़खंड अधिविद्य परिषद द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा हेतु कुड़मालि विषय के सिलेबस के अनुसार **'कुड़मालि फुल फर भाङअर'** नामक कोर्स बुक की रचना और प्रकाशन कर कुड़मालि की पढ़ाई को गति देने का महत्वपूर्ण काम किया।

'कुड़मालि फुल फर भाङअर' संभवतः कुड़मालि की एकमात्र पुस्तक है जिसका तीसरा संस्करण भी छपा है। इसके अलावा 'गिते रेगे गहअ गहअ', 'खाखुस', 'चँहट गित माला' तथा 'कुड़मालि साड़ा आड़ाँग' (शब्दकोश–प्रकाशनाधीन) आदि इस संस्था द्वारा महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। संस्था के संस्थापक व संरक्षक मा. श्यामसुंदर हिंदइआर के परिवार द्वारा दान की गई जमीन पर भव्य 'कुड़मि–भवन' बनाकर कुड़मालि भाषा के विकास कार्य को संस्थानिक स्वरूप प्रदान कर नियमित रूप से कार्यक्रम करते हुए माध्यमिक स्तर से कुड़मालि को स्थापित करने को झाड़खंड कुड़मालि भाषा विकास परिषद सतत अग्रसर है। संस्था के संरक्षक मा. श्यामसुंदर हिंदइआर, अध्यक्ष मा. गनेसर बंसरिआर, सचिव मा.

ओमप्रकाश बंसरिआर तथा मा.शंकरलाल बंसरिआर आदि के प्रयास से सन 2014 ई. से कुड़मालि भाषा विशेषज्ञों द्वारा लगातार यहाँ विशेष तौर पर कुड़मालि भाषा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें प्रति सत्र स्थानीय समुदाय के साथ साथ धनबाद, बोकारो, पुरूलिया, राँची, राढ़गढ़, टाटा तथा उड़िसा के विभिन्न क्षेत्र के कुड़मालि प्रशिक्षु हर वर्ष बड़ी तादाद में आकर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

4. कुड़मालि भाखि चारि आखड़ा

'कुड़मालि भाखि चारि आखड़ा' की स्थापना सन 2012 ई0 में की गई। 2012 में भारत सरकार द्वारा किये गये SECC के जातीय जनगणना में कुड़मि समुदाय के नाम सरकार द्वारा प्रदत्त टैब में जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल रहने के बावजूंद कुड़मि जनजाति की गणना अन्य श्रेणी में की गई थी। परंतु इसकी जानकारी प्रथम दृष्टया 'कुड़मालि भाखि चारि आखड़ा' के द्वारा समुदाय के सभी संगठनों को दिया गया था। कुड़मालि भाषा संस्कृति एवं विरासत की खोज एवं संरक्षण को अपना मूल उद्येश्य मानकर कुड़मि समुदाय के एथनिक पहलुओं पर गहन अध्ययन कर रहे कुड़मालि भाखि चारि के कतिपय जुझारू समाजकमिया जनों के अथक प्रयास से कुड़मि–कुड़मालि के ऐतिहासिक, नृतात्विक, स्वशासन, भाषायी, तथा सांस्कृतिक विशेषताओं यानि भाखिचारि–नेगाचारि के विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों को किया जा रहा है एवं कुड़मि जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयत्नशील 'कुड़मालि भाखि चारि आखड़ा' द्वारा अपने कुड़मि समुदाय के विभिन्न वर्गों के लिए सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण, जडुआहि तथा नेगाचारि कुंबा आदि का आयोजन किया जाता रहा है। जिसमें 'करम सेमिनार', 'बांदना सेमिनार', 'टुसु सेमिनार', 'शिक्षक–समावेश', 'स्नातक युवा समावेश', 'माहातअ–परगनेइत जडुआहि', 'हड़ कमिआ जडुआहि', 'पिढ़ि–नइआ सिखनात कुंबा', 'नेगाचारि कुंबा' 'भाखिचारि आखड़ा', सारि–सारना धरम जडुआहि', 'भाखि चारि जागरन', 'कुड़मालि खँच तेखाइर', 'कुड़मालि भाषा ज्ञान टेस्ट सिरीज' के अलावा कुड़मि कुड़मालि से संबंधित विभिन्न परबों के गीतों का संग्रह, पुजा सेंउरन तथा नेगाचारि के पुस्तकें, पत्र पत्रिका, कुड़मालि दिनपांजि (कैलेंडर) तथा पुस्तकों का प्रकाशन इत्यादि किया जाता रहा है। इसके अलावा अपने स्थापना काल से ही संस्था के कुशल

एवं समर्पित स्वयंसेवी जनों द्वारा कुड़मि जनजाति के बुनियादी तथ्यों की अनवरत खोज व विमर्श हेतु दिन रात अथक परिश्रम किया जा रहा है ताकि बहुत हद तक नष्ट हो चुके और खो चुके कुड़मि की अपनी सभ्यता–संस्कृति की धरोहर को बचाया जा सके। कुड़मि समाज के मूल संगठन 'आदिवासी कुड़मि समाज' के मार्गदर्शन में 'कुड़मालि भाखि चारि आखड़ा' द्वारा कुड़मि मुलुक के गाँव गाँव में चेंघि का गठन करके कुड़मि–कुड़मालि की संवैधानिक आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। मिशन जनगणना 2020–21 में "कुड़मि की मातृभाषा कुड़मालि" को जितकार बनाने हेतु संस्था कृतसंकल्प है। संस्था के मूल तालेबर मा. तरनि बानुहड़ तथा मूल देउआन मा. अनिल पुनरिआर के कुशल नेतृत्व में 'कुड़मालि भाखि चारि आखड़ा' द्वारा कुड़मि–कुड़मालि के 12 मासेक 13 परब तथा जनम–बिहा–मरन के क्रियाकर्म कुड़मालि नेगाचारि से करने का सांस्कृतिक क्रांति संपूर्ण राढ़ क्षेत्र के कुड़मि समुदाय में अविराम जारी है।

5. कुड़मि समुदाय के हिताकांक्षी अन्य और भी कई छोटे बड़े नामी गिरामी संगठन अपने स्तर से कुड़मि–कुड़मालि के महासंग्राम में अपने अपने क्षमता व समर्पण के मुताबिक जुटे हुए है जिनके महत्व को कतई कम करके आंका नहीं जा सकता है। इनमें बलियापुर, धनबाद के 'कुड़मालि भाषा संस्कृति परिषद' नामक संगठन का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिसके अनवरत व अथक प्रयास और संघर्ष के परिणाम स्वरूप कुड़मालि को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिल सका था। वर्तमान समय में कतिपय कारणों से विभिन्न कुड़मि संगठनों के बीच तादात्म्य नहीं पाया जाना एक निराशाजनक वास्तविकता है जिसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता तथापि इन सभी संगठनों को अपने कुड़मि जनजाति की मूल पहचान अर्थात कुड़मि समुदाय के जनजातिय स्वत्व को सांगोपांग रूप से जानने, समझने और समर्पण भाव से समाज हित में एकजुट होकर आंदोलनरत होने पर ही कुड़मि जनजाति के संघर्ष की जीत संभव है।

जनगणना एक अति विशेष अवसर है अपने को खोजने, जानने और समझने की। अतः समुचित तरीके से श्रृंखलाबद्ध अध्ययन करते हुए हमें अंततः इस निष्कर्ष पर आना ही होगा कि किस प्रकार अपनी भूली बिसरी

विरासतों की खोजबीन कर उसके दम पर हम अपनी खोई अस्मिता पुनः पा सकेंगें।

अतः आइए, अब हम जागेंगें और जानेंगे कि अब हमें अपना अस्तित्व को सिर्फ बचाने का ही नहीं बल्कि अपनी महान सभ्यता की मौलिकता को भव्य रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अपने समाज के साथ खड़ा होना है। वर्तमान साल 2020–21 में हो रही जनगणना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि क्या हम और आप इस जनगणना में अपनी असल जनजातिय पहचान कायम रखने में किस प्रकार पूर्ण सफल होंगें।

सौ प्रतिशत सफल होने का बस एक ही उपाय है– अपनी जड़ों को खोजो और उसे ही सींचो। "एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय; रहिमन मूलहिं सिंचिए, फुले फले अघाय" के भाव को आत्मसात कर इस बार हम सभी कुड़मि एक ही नारा बुलंद करेंगें– **"कुड़मि की मातृभाषा कुड़मालि"**। जितने संख्या में कुड़मि उतनी ही संख्या में अपनी मातृभाषा कुड़मालि का डाटा इस जनगणना में दर्ज होगा। जनगणना 2020–21 में किसी भी प्रकार के भुलावे–बहकावे–छलावे में न आकर हम सभी अपनी प्रजाति **"कुड़मि"**, और अपनी मातृभाषा **"कुड़मालि"** ही दर्ज कराएंगें। अब कुड़मि जनजाति की मौलिकता बचाने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके है और अब यही एकमात्र रास्ता बचा है जो हमारी धूमिल हो चुकी मौलिक अस्मिता व पहचान को जगमग कर सकता है। चुनौती आपके सामने खड़ी है। आपके अस्मिता के रक्षार्थ अब आपको ही आगे आना होगा। कहा गया है– "जिया ससा जाँघ भरसा" शिकारी से घिरे खरगोश को बचाने कोई अवतार नहीं लिया तो उसने अपने पैरों पर भरोसा किया और जी भरकर दौड़ लगाई और शिकारियों के पहुँच से बाहर निकल अपनी जान बचा ली। हमें भी ऐसी ही कोशिश करने की जरूरत है। कब तक इस पार्टी, उस पार्टी, इस नेता, उस नेता के भरोसे पड़े रहेंगें? अब कुड़मि जनजाति को अपने सांगठनिक एकता के बल पर राजनेताओं और सरकारों को मजबूर करने की शक्ति चाहिए। अपना कमर कसें और एक ऐतिहासिक जीत की ओर अपना जिम्मेदारी भरा कदम उठायें। अंत में मा. राफेल होरो की इस उक्ति के साथ हिआखालासे जोहार साथी... "हम थे, हम हैं, और हम रहेंगें"।

16. कुड़मि जनजाति से जुड़े विभिन्न तथ्य व परिशिष्ट :–

Appendix-1

The Gazette of India

Published by Authority

No. 18 Shimla, Saturday, May 3, 1913

Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as Separate Compilation.

Home Department

Notifications

The 2nd May, 1913

No. 550 – Whereas the tribes known as the Mundas, Oraons, Santals, Hos, Bhumij, Kharias, Ghasis, Gonds, Kandhs, Korwas, Kurmis, Male Saurias and Pans, dwelling in the Province of Bihar and Orissa have customary rules of Succession and inheritance incompatible with the Provisions of the Indian Succession Act, 1865 (X of 1865) and it is inexpedient to apply certain the provisions of that Act to the members of those tribes.

In exercise of powers conferred by section 332 of the Indian succession Act. 1865 (X of 1865) the Governor General in Council is pleased to exempt all Mundas, Oraons, Santals, Hos, Bhumij, Kharias, Ghasis, Gonds, Kandhs, Korwas, Kurmis, Male Saurias and Pans, dwelling in the Province of Bihar and Orissa from the operation of Provisions of the Act retrospectively from the passing of the Act.

Provided that this notification shall not be held to affect any person in regard to whose rights a decision contrary to its effect has already given by a competent civil court.

W. S. Marris

Offg. Secretary to Government of India.

(सरल हिन्दी अनुवाद)

भारत सरकार गजट अधिसूचना

गृह विभाग ,न0- 18 शिमला दिनांक- 2 मई 1913

(प्राधिकार द्वारा प्रकाशित)

न0.550- "जबकि (सामान्य से भिन्न) वे जनजाति जो मुंडा, उराँव, संथाल, हो, भुमिज, खड़िया(Kharias), घासी, गोंड, कंध, कोरवा, कुड़मि(Kurmis), मालेसौरिया और पान के नाम से जाने जाते है व बिहार एवं उड़िसा प्रांत के मध्य निवासित है, इनके अपने प्रथागत उतराधिकार एवं विरासत के रूढ़िगत प्रथा कायम है जो कि भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1865 के प्रावधानों से सर्वथा असंगत है और इन जनजातियों के लोगों पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना व्यर्थ है।

भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1865 के भाग 332 में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए गर्वनर जनरल कौन्सिल में उक्त सभी जनजातियों जो मुंडा, उराँव, संथाल, हो, भुमिज, खड़िया(Kharias), घासी, गोंड, कंध, कोरवा, कुड़मि (Kurmis), मालेसौरिया और पान के नाम से जाने जाते है व बिहार एवं उड़िसा प्रांत के मध्य निवासित है, को इस अधिनियम के प्रावधानों की कार्रवाई से भूतलक्षी प्रभाव के साथ बाहर रखने की छूट देने में संतुष्ट है।

विदित हो कि इस अधिसूचना के प्रवृत होने के साथ ही किसी वैसे व्यक्ति के अधिकारों पर दिये गये विरोधाभासी निर्णय जिसे किसी सक्षम सिविल न्यायालय ने पहले से ही इस (अधिनियम) के प्रभाव के विपरीत बताया हो, उस पर प्रभावित नहीं ठहराया जा सकेगा।"

डबल्यु. एस. मौरिस

भारत सरकार के सचिव (गृह)

==

Appendix-2

The Bihar and Orissa Gazette

Published By Authority

No- 49, Patna,Wednesday, December 16, 1931.

Judicial Department

Notification, The 8th December 1931 No- 3563-J

– Whereas the tribes known as the Mundas, Oraons, Santals, Hos, Bhumij, Kharias, Ghasis, Gonds, Kandhs, Korwas, Kurmis, Male Saurias and Pans, dwelling in the Province of Bihar and Orissa have customary rules of Succession and inheritance incompatible with the Provisions of the Indian Succession Act, 1925 (XXXIX of 1925) and it is inexpedient to apply certain the provisions of that Act to the members of those tribes.

In exercise of powers conferred by section 3 of the Indian Succession Act. 1925 (XXXIX of 1925) and in supersession fo Notification no-550 dated the 2nd May 1913 of the Government of India in the Home Department, the Government of Bihar and Orissa are pleased to exempt all Mundas, Oraons, Santals, Hos, Bhumij, Kharias, Ghasis, Gonds, Kandhs, Korwas, Kurmis, Male Saurias and Pans, dwelling in the Province of Bihar and Orissa from the operation of the following Provisions of the said Act namely section 5 to 49, 53 to 191, 212, 213 and 215 to 369 retrospectively from the sixteenth day of March 1865.

. Provided that this notification shall not be held to affect any person in regard to whose rights a decision contrary to its effect has already given by a competent civil court.

By order of the Governor in Council.

J.A. SWEENEY

Secretary to Governor

==

Appendix-3

Government to India Order

S.R.O. 510 Dated 6th September 1950 and No. 2/38/50

Public dated the 5th October 1950.

Declared that only those who were in the list of Primitive Tribes in the 'Census Report of 1931' were to be included in the list of Scheduled Tribes.

The President's order in 1950 under section 342 of the constitution, however, left the matter vague and Dr. H.N. Kunjru and fifteen other members of Parliament wrote a letter to the Prime Minister on the 17 December 1950 seeking clarification on the issue. The reply of 15th February 1951 made it distinguished from caste, were to be included as scheduled tribes, unless the State Government concerned could that certify the omission of a particular tribe was incorrect and that the community was in fact not only a tribe but a primitive or backward tribe. Further it mentioned that community which was not regarded as classifiable as "Primitive Tribe" as long as 1931 and have never enjoyed any special political representation on that basis should not for the first time be given such representations of scheduled tribes."

======================================

Appendix-4

Govt. of Bihar has accepted the Kurmi community of Chhotanagpur Division of Bihar State as tribes with other scheduled tribes such as Mundas, Oraons, Hos, Kharias, Santhals Ghasis, Gonds, Kandhs, Korwas, Kurmis, MaleSourias and Pans vide Circular No. 2202 DLA Niti 8/84 Patna, dated the 25th May, 1984 - following the Notification No. 550 Shimla 3rd May 1913, Government of India. "प्रत्येक पंचावटी में पंचाटित राशि 10,000/– रूपये से अधिक हों ऐसे मामलों में मृतक के दावेदार कों सक्षम न्यायालय से उतराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही मुआवजा राशि का भुगतान होगा।परंतु भारत सरकार की गजट अधिसूचना संख्या–550 दिनांक 02.05.1913 की धारा 332 के अंतर्गत मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, घासी, कोरवा, कुड़मि, मालेसौरिया व पान जनजाति को मुआवजा भुगतान हेतु चाहे किसी भी रकम की हो, उतराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

ह0/– अनुप मुखर्जी

सरकार के अवर सचिव सह निदेशक

भू–अर्जन.

==

Appendix-5

1925 PATNA 733

DAWSON MILLER, C.J. AND MACPHERSON, J.

Krittibash Mahato and others: - Appelants
Vs
Budhan Mahatani and others: - Respondents

Second appeal No 821 of 1922, decided on 27th May 1925, against a decision of the D.J. Manbhum, Sambalpur, Dated/- 15th May 1922.

Per Macpherson, J – The term 'aboriginal' at least in Chotanagpur, denotes race only. It implies nothing as to religion which may be even within the same tribe. Animism is a slight veneer of Hinduism, various intermediate stages of Hinduism, or Christianity. On the other hand, the term 'Hindu' has in Chotanagpur reference only to religion. The Kurmi Mahatos of the Manbhum district are racially an aboriginal tribe (page 735, CI.).

It is far from settled law that the Dayabhaga system is lex loci in the district of Manbhum, particularly the---- and the western half or indeed in any part of the district; like the rest of Chotanagpur and the Jungle Mahals the district of Manbhum was until comparatively recent times outside the Hindu pole ... (P, 736, C 1&2).

There was an admission by the learned vakil who appeared on behalf of the defendents that if the parties were Hindus it was unnecessary to go into the question whether the Dayabhaga or the Mitakshara school of Hindu law applied because, in that case he conceded that they could not succeed to this property. ... (Page – 734)

... When I had concluded these obserbations Mr. A.B. Mukherjee, appearing for the respondent, drew my attention to Trevelyan's Hindu Laws, which speaks of the Bengal or Dayabhaga School as prevailing. 'Where the Bengali language is spoken by the inhabitant of the country', and in a footnote gives a list of the five Commissioner's Divisions of Bengal, Manbhum in Bihar and Orissa and certain districts in Assam as Bengali speaking areas. There are two comments to make. In the first place, in 1913 shortly after the work was published and just after I had been jude of the district for the first time, I discussed the point with the learned author and I understood him to accept the view which I have let out above and to admit that even if Manbhum is conceded to be a Bengali speaking area, the implication was not justifiable that the Dayabhaga prevails there particularly among non-Bengali castes or tribes, such as Kurmi Mahatos, Santals, Bhumijs and their congeners. The statements in the work referred to as the Dhayabhaga School is in fact only a rough generalisation. The Dayabhaga School actually prevails among persons who are Bengalis rather than among persons who speaks Bengali. In the second place as has already been indicated, language is not the criterion, least of all in a border tract where the persons concerned are converted aboriginal tribes. And indeed it is an unsolved problem what the language of Manbhum is. No doubt the late census shows Bengali as the language of two thirds of the inhabitants, but this result was obtained by including many persons who speak Kurmali. Officially the language is Hindi or Bengali in the Dhanbad sub-division were Hindi has a numerical preponderance over Bengali and Bengali in the Sadar sub-division. Then Kurmali, the tribal language of the aboriginal Kurmis, is recognized in the linguistic survey as a form of the Bihari (Hindi) language, and is classified as Hindi in the census report.

It was returned as the language of 2,11,000 persons in 1911, while the Kurmis (tribe and immigrant caste combined) in the district numbered 2,91,000. But as it is generally written in the Bengali character and to quote the linguistic survey, 'it is looked at through Bengali spectacles' in Manbhum the language was in 1921, probably under a misconception, often entered by enumerators as Bengali through it was really Hindi. My conserdered view is that the Dayabhaga system is not a lex loci in Manbhum in the matter of inheritence and that certainly neither that system nor any other system of Hindu Law can be applied to the indigenous aboriginal tribes of the Manbhum district or members of those tribes, except on proof that they have adoped it.

==

Appendix - 6

The Chota Nagpur Tenancy (West Bengal Amendment) Act 1961

The following Act of the West Bengal Legislature having been assented to by the Governor was published in the Calcutta Gazette Extra ordinary, dated October 27, 1961.

West Bengal Act XXI of 1961

(Passed by the West Bengal Legislative)

"46A. Restriction on alienation of land by the Kurmi(Mahato) community, Scheduled Tribes and Scheduled Castes (1). except in the following cases, transfer of his holding by a raiyat belonging to the Kurmi(Mahato) community a Scheduled Tribe or a Scheduled Caste shall be void."

(Extracted from *Totemic Kudmi jatir janjati parichiti*-
Kesav Ch. Tiduar)

==

Appendix - 7

ENEL 05

Part Extract

Government of West Bengal

Section A-I G.E Branch

No. 248G.E. Dated Cal- The 11th Jan, 1980.

To,

The Additional Deputy Commissioner (LR)

Purulia

Sub:- Problem of alienation of Tribal Lands.

Ref:- His D.O. No. 143-AC Dated 13.7.1970.

The problem of alienation of land belonging to tribals has been exammined and in depth by the Board of Revenue. The Legal position is explained below:-

i) Though in view of section 3 and chapter IIA of the W.B.L.R. Act, the Chotanagpur Tenancy Act 1908 as adopted for West Bengal and as modified by the Amendment Act of 1961 stands implied repealed with effect from the date when the W.B.L.R. Act came in the ceded areas of West Bengal, the force of Chotanagpur Tenancy Act continues till the W.B.L.B. Act came into force in these area in view of section 8 and 8A of the Bengal General Clanes Act. Therefore, provisions of illegal transfer of lands belonging to tribals and communities protected by that Act.

ii) Under section 46A(2) (a) of the C.N.T. Act such illegal transfer of lands of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or of Kurmi community shall stand forfeited the state Govt. where it is the land loard. From the date of application of the W.B.E.A. Act to those areas. All intermedlary interests vented in the State and the State Govt. became the land loard of each and every raiyat. Therefore, from that date onwards any such illegal transfer should result in forfeiture of the land to the State Govt.

(Extracted from *Totemic Kudmi jatir janjati parichiti-* Kesav Ch. Tiduar)

Appendix - 8

Indian Confederation of Indigenous and Tribal

Second General Assembly, November 15 to 21, 1993

. IV. Constitutional and Administrative Measures **People:**

"The country does not have a uniform policy for the tribals all over the country. For example, the constitutional safeguards are not respected. Tribes that are in the scheduled list in one **Resolutions** state are excluded from it in another. That, for example, in the case with the Santhals who are not included in the schedule in Assam. Many others who have all the characteristics of tribals are not included to it that would be the case of the "Siddhis" in Karnataka and "Kudmi" in in Jharkhand.

New Delhi **Ram Dayal Munda**

29th November 1993 Chief President

==================================

Annexure- 9

No. 12016-23/2000-SCF (RL Cell)
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Shastri Bhawan New Delhi

Dated- 15-02-2001

To,
The Secretary,
Government of Jharkhand, Ranchi.

Subject: Revision of Scheduled Castes/Scheduled Tribes list of Jharkhand.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry letter of even number dated 05.11.2000, 15.12. 2000 and 15.01.2001 on the subject mentioned above Comments views of the State Government have not recieved till date. Rajya Sabha Secretariat is pressing hard for a decision for finalisation of matter regarding inclusion of Kurmi Caste in Jharkhand within Scheduled Tribe category.

It is, therefore, requested that the comments of your Government may kindly be furnished to this Ministry urgently as the Rajya Sabha Secretariat asking for information on the proposal. Thanking You.

Yours Faithfully
Sd/- (T.C. Joshi)
Assistant Director

===

Annexure- 10

झारखंड सरकार द्वारा की गई अनुशंसा :–

ज्ञापांक– 3396 दिनांक– 24.11.2004

मंगलवार दिनांक 23 नवंबर 2004 को अपराह्न 4.15 बजे हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री– पथ निर्माण/ग्रामीण विकास/ग्राम्य अभियंत्रण संगठन/पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल)/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की उपस्थिति में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

1. छोटानागपुर की कुरमी/कुड़मी (महतो) तथा उत्तरी छोटानागपुर तथा संथालपरगना की घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में।...

...यह निर्णय लिया गया कि :–

(1) छोटानागपुर की कुरमी/कुड़मी (महतो) तथा उत्तरी छोटानागपुर तथा संथालपरगना की घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतू भारत सरकार को इस परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा की जाय कि उक्त जातियाँ क्रमशः 1913 एवं 1938 में अनुसूचित जनजाति की सूची में थी किन्तु क्रमशः 1950 एवं 1952 की सूची में शामिल नहीं किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं है। उक्त जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिये उठती माँगों के आधार पर भारत सरकार इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु पुनर्विचार करें।

(2) साथ ही 'नमःशुद्र' को अनुसूचित जाति में, 'बियार' एवं 'कोल्ह'(तेली) को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजी जाय।

(3) उक्त के अतिरिक्त 'ततवा' करमाली (कमार), लोहरा/लोहार, बेदिया, लक्ष्मीनारायण भोला, माल, दंडक्षत्र–माझी जातियों के संबंध में भी टी.आर.आइ. राँची से प्रतिवेदन शीघ्र मंगाया जाय।

ह0/– लक्ष्मी सिंह
मुख्य सचिव, झारखंड

प्रतिलिपि– संबंधित विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

ह0/ आदित्य स्वरूप
सरकार के सचिव

==

Appendix - 11

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176(1) के तहत द्वितीय झारखंड विधानसभा के प्रथम अधिवेशन में झारखंड के महामहिम राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी का अभिभाषण

राँची दिनांक 24 मार्च 2005

68. "हमारी सरकार से पुरान/तांति, कादर, नोतिया, नमःशुद्र, चंद्रवंशी (कहार), मल्ल(मल्लक्षत्रीय) जाति को अनुसूचित जाति में तथा खंगार, बियार, कोल्ह (तेली), खतौरी, कुरमी/कुड़मि (महतो) घटवाल एवं रौतिया जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गयी है।"

==

Appendix - 12

No. 12016/11/2001- TA (RL) / C&LM-1
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
(C&LM Division Shastri Bhawan, New Delhi 01

Dated: 13th September, 2013

To
The Secretary,
Personnel & Administrative Reforms and
Official Language Department
Government of Jharkhand,
Ranchi.

Subject: Inclusion of Various communities including "Kurmi" / "Kudmi" (Mahato) in the list of Scheduled Tribes in Jharkhand.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even No. dated 15.4.2005 and 09.10.2006 on the on the above subject and to say that the ethnographic details / justification in respect of "Kurmi" / "Kudmi" (Mahato) communities are awaited from the State Government of Jharkhand. In this regard, a copy of representation, received from Shri Sudhir Kumar Mahato, President Kudmi Vikas Morcha, Dhanbad is enclosed.

It is requested that the ethnographic details / justification in respect of above communities may kindly be furnished to this Ministry at the earliest so as to enable it to take further action in the matter.

Yours Faithfully
Sd/- Purnima Tudu
Under Secretary to GOI
Tel. 23074408

Enclosure: As stated above.

==

Appendix - 13

F. No. - 15019/01/2014- C&LM-1
Govt. of India
Ministry of Tribal Affairs
(C&LM Division)
Shastri Bhawan New Delhi-01

To,
The Secretary Dated 8th
July 2014.

Personal and Administration Reforms and
Official Languages Department.
Government of Jharkhand, Ranchi.

Subject:- Inclusion of Kurmi/Kudmi community of in STs list of Jharkhand.

I am directed to enclose a copy of grievance petition bearing registration no. PRSEC/E/2013/18854 dated 7.11.2013 of Shri Sunil Kumar Mahato, President of Adibasi Kurmi Advocate Association, Jamshedpur, Jharkhand on the subject cited above.

The scheduled Tribes are specified in accordance with the provisions of Article 342 of the Constitution. The first list of Scheduled Tribes in relation to a state/UT is by a notified order of the President, after consultation with the state Government/UT Administration concerned. Any subsequent modification can only be effected through an Act of Parliament after recommendation of the state Government/UT Administration concerned and following the prescribed procedure. The list of Scheduled Tribe is state/UT Administration specified and a community notified in a State as ST, need not be so in another state/UT.

The Government of India on 15-6-1999 (further amended on 25-6-2002) has laid down the modalities of determining the claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the orders specifying lists for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. According to these modalities, only those proposals which have bee recommended and justified by the concerned state Government and concurred in by the Registrar General of India (RGI) and the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) are to be considered for amendment of legislation.

The proposal for inclusion of Kurmi/Kudmi (Mahato) community in list of ST was received from the Government of Jharkhand. This was referred to Government of Jharkhand for furnishing the ethnographic details/Justification in support of the proposal vide this Ministry's letter No. 12016/11/2001-TA(RL)/C&LM-1 dated 15.5.2005 and followed by reminder's dated 4.10.2006 & 13.9.2013. The ethnographic detail from the Government of Jharkhand is awaited.

The Government of Jharkhand is requested to furnish the comments along with ethnographic details, if any, in support for inclusion of Kurmi/Kudmi (Mahato) community in the list STs of state.

Yours Faithfully

Sd/ (Dhiraj Chandra Ray)
Research Officer
Tel: 011-23383461

=====================================

Annexure- 14

MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE RAISED BY MEMBERS DURING ZERO HOUR IN LOKSABHA

By **RABINDRA KUMAR JENA,** BJD, MP of Balasore (ODISHA)

Date :- 25th February 2015.
Time :- 12:48-12:50

Speaker : Sri Rabindra Kumar Jena

Sri Rabindra kumar Jena :

"Thank you so much Speaker Madam, for giving me an opportunity for tribal population of our country, who have been suffering endlessly right after Independence.

I am bringing this issue because no justice has been made to them for last 60-70 years.

Speaker Madam, in my constituency, there is a large population of 'Kudmi' community and the Constitution of India categorized them as a backward class whereas they have been demanding the status of Tribal Class.

The Census Record very clearly demonstrate and show that in 1931 they were classified as *Primitive Tribe* and in 1941, they were classified as Tribal Hindus.

Speaker Madam, when the Advisory Committee on Fundamental Rights, minority, tribal and excluded areas, they were formed in 1946, they excluded this 'kudmi' community, while submitting the report which resulted in

the non-inclusion of Kudmi community when the Constitution finalized the Constitution Scheduled Tribe order in 1950.

Speaker Madam, Why they were excluded I'll just put one line which will make things abundantly clear to this August House.

The Advisory Committee's scope was limited to India excluding the Princely States, as they existed in 1946 when this committee was formed.

However, over the years many of the states integrated into the neighbouring provinces and they should have been included in the Scheduled Tribe population.

Speaker Madam, the Odisha Princely State is a classic example of such inclusion and such integration into the neighbouring provinces.

In Odisha alone, there are 25 lakh Primitive Tribes of the Kudmi communities who are there.

In my constituency alone, there are 75 thousand to 76 thousand Kudmis are living.

Speaker Madam, though they belong to the Scheduled Tribe community, but they have long been deprived of this facility and this August House has debated this in 1949 that ***"yes, there is a demand to include them."***

So, I would sincerely urge upon the Government of India to take cognizance of this serious problem of Kudmi Tribe and include them as Scheduled Tribe so that ***the long pending and long suffering of this Tribe can be taken care of."***

Thank You.

==

Appendix – 15

No.8/1/2017-SS (West Bengal)
Government of India, Ministry of Home Affairs
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
Social Studies Division
North Wing, First Floor, Sewa Bhawan, New Delhi-110066
Dated: 14 November, 2017

To,
Director (C&LM),
Ministry of Tribal Affairss,
Room No. F.279
August Kranti Bhawan
Near Bhikhaji Kama Place
New Delhi- 110001.

...Comments of the ORGI:

7. Based on the Study report and the information available in the published literatures it can be said that Kurmis have castes like features and they have been intermingling with the high ranked castes such as **Brahmans** since a long time. **Brahmans** officiate in most of their ceremonies. They havve been employed in government services as *coolies* and *Khalasis* since the beginning of the 20th century. Kurmis were also employed in personal and domestic services and were treated as clean caste. Hence, based on the above facts it can be said that Kurmi community does not fulfil the criteria viz. primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact, laid down by the 'Advisory Committee on the

Revision of the List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes 1965' for identification of a community as Scheduled Tribe. The state Government's Report itself has stated that "the questions of geographical isolation and **shyness of contact** are not prevalent among Kurmi people" (Page: 20/Report). Moreover, they are already enjoying the status of Other Backward Class in the State of West Bengal.

8. In view thereof, the ORGI does not support the proposal for inclusion of Kurmi Community in the Scheduled Tribe list of West Bengal.

Yours Faithfully
Sd/- (Pratibha Kumari)
Deputy Registrar General (SS)

==

17. कुड़मि जनजाति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की विवरणी:–

कहा गया है कि जो कौम/प्रजाति अपना इतिहास नहीं जानती वह कभी इतिहास बना नहीं सकती। अतः अपने जनजाति कुड़मि समुदाय के सभी सुधीजनों से आग्रह है कि कृपया यहाँ दिये जा रहे निम्नांकित महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयात्मक दस्तावेजों का संग्रह कर कम से कम तीन बार अवश्य पढ़ने की कोशिश करें और अपने सभी परिजनों तथा विशेष कर अपनी भावी पीढ़ी को भी जरूर पढ़ने दें और यह समझने की काशिश करें कि 1950 से लेकर अभी तक हमारे समुदाय को किस हद तक नुकसान करने की साजिश रची गई और हम अभी तक इसे नियति मान कर निर्वाक बने रहे।

सूची निम्नवत हैं :–

1. 'Descriptive Ethnology of Bengal'
- by **E.T. Dalton 1872**

2. 'On The Kurmis of Bihar, Chutianagpur and Orissa'
- by **G.A. Grierson** CIE,ICS, 1910

3. 'The Tribes and Castes of Bengal'
- by **Sir H.H. Risley** ICS 1891
OFFICER D'ACADEMIC FRANCAISE

4. 'Bihar and Orissa District Gazetteer Hazaribag'
-by **E. Lister** , CIE 1912

5. Gazette of India
Published by Authority
Home Department Notification

Simla, No-550

Saturday, 2nd May 1913.

6. **'Bihar and Orissa Gazette**

Published by Authority

No- 49, Patna, Wednesday, December 16, 1931.

7. **'Ethnographic Notes by Various Authors'**

Edited by **J.H.Hutton**

8. **Census of Mayurbhanj State 1931**

Vol-II

Published under the authority of Mayurbhanj State

-by- **Md. Leaquiddin,** Census Officer

9. **'Racial Affinities of the People of India'**

-by **B.S. Guha** Ph.D. Anthropology

10. **'Hindu Law'**

-by **D.P. MULLA** *Eminant Jurist*

11. **A. I. R. 1941 Patna , Page-625**

Harakhnath Ohdar vs Ganpat Rai & Others

Judgement by **Harries C.J.** and **Manoharlal J. on 9 Jan, 1940**

"The family of Kurmi Ohdars belong to an aboriginal, governed by the rules & customs appertain to that tribe and not Hindu law."

11. **A.I.R. 1925, Patna p-733**

Kirtibas Mahato –*vs*- Budhan Mahatani

Judgement by **Macpherson J**

"Kurmi Mahato are racially an Aboriginal Tribe."

12. A.I.R. 1936 Patna Page-305

Ganes Mahato –vs- Shib Charan Mahato

Judgement by **Jwala Prasad J.** *and* **Kulawant Sahai J.**

"They are aboriginal Tribes."

13. A.I.R. 1963 Patna Page- 466

Mohari Mahato –vs- Mokaram Mahato

Judgement by K.Ahamad J. on 12 April 1963

" A member of Aboriginal Tribe of non-Aryan decent."

14. 'Report by committee on Jharkhand Matters'

Govt. of India May, 1990

"Kurmi Mahato are non govt. Tribe."

15. Compendeum of Revenue Cerculars

Govt. of Bihar Page – 326

16. Annals of Rural Bengal

- By W.W. Hunter

17. 'The Kurmis of Manbhum'

-by P.C. Roychoudhary

18.संसद में कुड़मि के हक की माँग

(क) आभा महतो, (बि.जे.पी.) लोकसभा में, दिनांक– 14.12.1999

(ख) शुभेन्दु अधिकारी, (टी.एम.सी.), लोकसभा में दिनांक–06.03.2013

(ग) रवीन्द्र कु. जेना, (बी.ज.द.). लोकसभा में दिनांक– 21.02.2015

(घ) विवेक गुप्ता, (टी.एम.सी.), राज्यसभा में दिनांक– 04.01.2018

(ङ) राम टहल चौधरी, (बि.जे.पी.) लोकसभा में, दिनांक– 02.08.2018

(च) विद्युत वरण महतो, (बि.जे.पी.) लोकसभा में दिनांक– 31.12.2018

(छ) अधीर रंजन चौधरी (काँग्रेस) लोकसभा में दिनांक– 23.11.2019

19. एक नेहर

आज भले ही कुड़मि समुदाय का 1 से 2 प्रतिशत हिस्सा आधुनिकता का लबादा ओढ़ खुद को संपन्न समझने लगा हो परंतु माटि की सच्चाई यही है कि आज भी 90 प्रतिशत कुड़मि समुदाय अपने आदिम स्वरूप में अपने पुरखों द्वारा बनाये गये खेतों तथा अपने पालित गाय, बैल, बकरी, भेड़, मुर्गी, बतख आदि के साथ सह अस्तित्व में रहते हुए प्रकृति की गोद में बसे झाड़ जँगलों के बीच अपने गाँव के आखड़ाओं में गित–झुमर गाकर और अपने पुरखों के लगाए महुआवृक्ष तले महुआ चुनते और पुरखों के बांध–तालाबों में घोंघी काढ़ते हुए अपनी जिंदगी बसर करते है। अभी तक 80 प्रतिशत कुड़मि गाँवों का नैसर्गिक विकास नहीं हो सका है। 95 प्रतिशत से अधिक कुड़मि जनजाति अभी भी मानसिक उन्नति के आरंभिक दौर में है। अपने भाषा से दूर हो बाहरी भाषा के माध्यम से शिक्षित होने की मजबूरी ने सिर्फ कुड़मि ही नहीं बल्कि बाकी सभी देशज जनजातियों को बौद्धिक गुलामी का ही पाठ पढ़ाया।

पिछले करीब पचास वर्षों से कुड़मि समुदाय के कई स्वनामधन्य अगुआ जनों ने कुड़मि की अस्मिता की लड़ाई लड़ी और विशेषकर अपने ST स्टेटस तथा कुड़मि समुदाय की अपनी कबिलावाची जनजातीय भाषा 'कुड़मालि' के संबंध में उल्लेखनीय योगदान दिये। कुड़मालि के भाषा–आंदोलन में अनेक बुद्धिजीवी विद्वानों का सहयोग भी मिला जिनमें से डा. वीर भारत तलवार, डा. अनुज कुमार धान, डा. रामदयाल मुडा, डा निर्मल मिंज, डा. एलेक्स एक्का, डा. करम चंद्र भगत तथा डा. कुमार सुरेश सिंह जैसे महानुभावों का अप्रतिम योगदान रहा। इस तरह 19 नवंबर 1981 से झाड़खंड के राँची विश्वविद्यालय (तत्कालीन दक्षिण बिहार के एक मात्र विश्वविद्यालय) में सात झाड़खंडी भाषाओं (कुड़मालि, संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया और नागपुरी) का पठन पाठन आरंभ हुआ था। इस बहुप्रतिक्षित महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापुर्वक पूरा करने का श्रेय कुड़मालि के हमारे भाषा मर्मज्ञ जनों, विशेषकर बसंत कुमार बंसरिआर, लखिकांत मुतरूआर, शशि भूषण काडुआर, अंगद महतो, विष्णु चरण महतो आदि को जाता है।

परंतु कुड़मालि के संबंध में अभी भी एक बहुत बड़ी भूल का बने रहना बड़ी टीस पैदा करता है। वह ये कि हमारे ही कुछ कथित विद्वानों द्वारा कुड़मालि को जनजातीय भाषा नहीं बोल कर उसे अपने निहित स्वार्थ के चलते आर्य परिवार की भाषा मानकर विश्वविद्यालय की पढ़ाई में जनजातीय भाषा के बदले क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाना। यह कोई छोटी भूल नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ी एक महा दाग है जिसको धोकर अपनी माञभाखि 'कुड़मालि' का दामन स्वच्छ करना अब हम सबों की जिम्मेवारी बन गई है। कुड़मालि के नाम में भी अभी तक कुछ क्षुद्र स्वार्थी लोगों के सनकीपन के चलते सुधार नहीं हो सका हैं। अतः प्रशासनिक स्तर पर 'कुड़मालि' नाम को स्थापित करने के साथ साथ इसे जनजातीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना अब एक बड़े संघर्ष के बदौलत ही संभव होगा। ज्ञात रहे कि झाड़खंड में सिर्फ कोल्हान विश्वविद्यालय में कुड़मालि शब्द अपने शुद्ध रूप में स्थापित हो सका है।

सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक सामान्य कुड़मि को ठीक से यही पता नहीं कि वह है क्या? अनेक लोग, अनेक जानकारियाँ, अनेक कार्यक्रम, अनेक बातें, अनेक विमर्श, अनेक बहस, अनेक सभा, अनेक प्रदर्शन, अनगिनत स्मार पत्र व ज्ञापन और परिणाम– वही ढाक के तीन पात। यही है हमारी वर्तमान व्यथा–कथा। कारण– पिछले तीन पीढ़ी से चला कुड़मियों के साथ धोखा, विश्वासघात और षड़यंत्र का एक लंबा सिलसिला और इस षड़यंत्र (कन्सपिरेसी) में बेवकूफ और दंभी बने कुड़मियों की जयचंदी भूमिका। अपने विशिष्ट स्वत्व से अनजान और नादान कुड़मि न जाने किस क्षत्रिय रूपी मरीचिका के फेर में पड़ा अंतहीन दौड़ में खो गया। एक सामान्य शिक्षित एवं साधारण जागरूक कुड़मि, (महिला या पुरूष), के मन में ये सारे प्रश्न उठना स्वाभाविक है और जरूर उठना चाहिए कि –

- क्या कुड़मि समुदाय का कोई अपना इतिहास है?
- कुड़मि वास्तव में किस प्रजाति का है?
- क्या वह एक बाहर से आया हुआ आर्य है?
- क्या कुड़मि यहीं का आदिम वासिंदा है?
- क्या कुड़मि एक नीच जाति है?

- क्या कुड़मि एक उच्च जाति का है?
- क्या वह एक क्षत्रिय है?
- क्या वह एक जनजाति है?
- जनजाति क्या है और जाति क्या है?
- क्या कुड़मि एक इंडिजीनस है?
- क्या कुड़मि एक आदिवासी है?
- आदिवासी किसे कहते है?
- क्या आदिवासी का अर्थ नीच होता है?
- क्या कुड़मि को आदिवासी बनाने की बात है?
- क्या कुड़मि वैदिक(हिन्दू) धर्म के लोग है?
- कुड़मालि भाखिचारि–नेगाचारि आंदोलन क्या है?
- कुड़मि की अपनी संस्कृति क्या है?
- कुड़मि की मातृभाषा का नाम क्या है?
- क्या क्षेत्र के अनुसार कहीं खोरठा, कहीं नागपुरी, कहीं पंचपरगनिया को कुड़मि की मातृभाषा कही जाएगी?
- क्या बंगाल में बंगला, उड़िसा में उड़िया और आसाम में असमिया को वहाँ बसे कुड़मि की मातृभाषा कहा जाना चाहिए?
- कुड़मि की वास्तविक पहचान क्या है? कुड़मि के लिये सामाजिक आंदोलनों का सरोकार क्या है?
- क्या विभिन्न राज्यों की सरकार हमारे इतिहास को छिपाकर कुड़मि जनों के साथ छल कर रही है?

ऐसे अनेक सरल प्रतीत होने वाले गूढ़ प्रश्न स्वाभाविक रूप से प्रायः सभी कुड़मि जनों के मन में उठते रहते है पर इनका सटीक उत्तर कोई जानता नहीं है, अगर कोई जानता है तो बताता नहीं है, बताने पर कोई समझता नहीं, समझने पर मानता नहीं और दंभ या कुंठा से ग्रस्त होकर कुतर्क करना ही वह अपनी जीत और दूसरों की हार मानता रहता है। कई लोग दंभ करते है– 'कुड़मि किसी में पीछे नहीं है।' पर उनसे जरा कुड़मि के आगे होने के बारे में कोई एक प्रामाणिक डाटा मांगिये तो बगलें झाँकने लगते है। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जा सका तो उसके पीछे के संघर्ष, मेहनत और तैयारी की लंबी दास्तान रही

है। संथाली को अनुसूचित करते समय संथाली भाषा में 40 से अधिक पत्रिकाएं व न्यूज–मेगज़ीन R.N.I. से रजिस्टर्ड हो चुकी थी तथा उनकी लिपि 'ओलचिकि' भी स्थापित कर ली गई थी। इस दिशा में 'कुड़मालि' ने अभी दौड़ शुरू भी नहीं की है। वर्तमान में कुड़मालि में दर्जन भर पत्रिकाएं तो प्रकाशित हो रही है परंतु मात्र एक पत्रिका रजिस्टर्ड दिखती है। इस तकनीकी कमी पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि भाषा के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने में ये एक अति आवश्यक पहलू है।

वर्तमान समय में कुड़मि जन समुदाय विचित्र ऊहापोह के भँवर में फँसा एक बेचारा प्रजाति बन चुका है जिसके आगे कुँआ और पीछे खाई है और किसी विशेष की भक्ति करने से उसके लिये अगर किंचित व्यक्तिगत उन्नति भले हो भी जाए पर उनका समष्टिगत(सामुदायिक) उन्नति कदापि संभव न होगा। अतः मेरे विचार से कुड़मि जन समुदाय को चिरनिद्रा से जागने का समय आ गया है। कुड़मि जनों को कम से कम भाषा की लड़ाई जीतने का यह बेहतरीन अवसर है कि वो चाहे जहाँ जिस अवस्था में रहें, अपनी मातृभाषा 'कुड़मालि' को लेकर एकजुटता प्रदर्शित जरूर करें। जनगणना 2021 में यही एक काम कुड़मि के महान एकजुटता का ऐतिहासिक प्रमाण साबित होने वाला है। इस दिशा में नवशिक्षित युवाओं तथा समर्थ जनों को खुल कर आना चाहिए।

कुड़मि के सारे जनजातिय तत्व और पुरखेनी परंपरायें आज भी हमारे घर घर में अपने "भाखि–चारि" व "नेगाचारि" के रूप में विद्यमान है। भले ही कुछ सनकी कुड़मियों की मति भिन्नता से हमारे समुदाय में भ्रम की स्थिति पैदा करने की नापाक कोशिश की जाती रहती है। पर नियम से अपवाद कतई बड़ा नहीं हो सकता। अपने आंगन के भूतपिंढ़ा में विराजमान हमारे पुरखे हमें निहार रहे है। बस जरूरत है केवल जागने की, जाग कर काम करने की, और जाग कर एकजुट हो तब तक आंदोलनरत रहने की जब तक कि हम अपनी आनेवाली पीढ़ियों को उनका अपना नैसर्गिक तथा सांवैधानिक हक यानि भारत की आदिम जनजाति के रूप में अधिसूचित होने की आधिकारिक की मान्यता प्राप्त न कर लें।

संदर्भ ग्रंथों की सूची-

1. 'कुड़मालि चारि' –बसंत कुमार मेहता बंसरिआर
2. 'The People of India' – Sir H.H. Risley
3. 'The Tribes and Castes of Bengal' – Sir H.H. Risley
4. 'कुड़मियों की कहानी जनगणना की जुबानी' – बसंत कुमार मेहता बंसरिआर
5. 'Understanding Society' - NCERT Class-XI
6. 'राँची एक्सप्रेस' –दिनांक 17 अगस्त 2000.
7. 'अखड़ा' पत्रिका –वंदना टेटे.
8. 'झारखंड की समरगाथा' –शैलेन्द्र महतो
9. 'Sanskritization Vs Nirbakization' –Dr P.P Mahato
10. कुड़मालि' पत्रिका
11. *Totemic Kudmi Jatir Janjati Parichiti*- Kesav Ch. Tiduar
12. 'Annals of Rural Bengal' – W.W. Hunter
13. 'बनफूल' पत्रिका
14. 'आखड़ा' पत्रिका
15. 'माड़अइर' पत्रिका

कुड़मालि भाखि-चारि आखड़ा से प्रकाशित पुस्तकें :-

1. करम परब सेंउरन बिधि
2. जितिआ परब सेंउरन बिधि
3. कुड़मालि नेगाचारि
4. 'माड़अइर' पत्रिका (3 अंक)
5. पुरखेनि करम गित
6. पुरखेनि सहरइ गित
7. महुआ-मधु
8. धरम पुजा (सुरजाहि)

लेखक-परिचय



नाम	: महादेब डुंगरिआर
माता	: शकुंतला माहतो 'मीना'
पिता	: गोबिंद माहतो डुंगरिआर,
आदि बासिंदा	: तालगड़िआ, थाना- चंदनकिआरी, जिला- बोकारो (मानभूम), झाड़खंड।
जन्मवर्ष	: 1976
शिक्षा	: स्नातक (अँग्रेजी प्रतिष्ठा), परास्नातक (इतिहास)।
मुलकर्म	: खेती,
पेशा	: 1999 से शिक्षण कार्य
कृति	: 'माड़अइर' पत्रिका का संपादन, 'करम परब सेंउरन बिधि', 'पुरखेनि करम गित', 'जितिआ परब सेंउरन बिधि', 'पुरखेनि सहरइ गित', 'कुड़मालि नेगाचारि', तथा धरम पुजा (सुरजाहि)' आदि का संपादन व प्रकाशन। 'आवाज', 'प्रभात खबर', 'हिन्दुस्तान' तथा 'दैनिक भास्कर' में प्रकाशित कई लेख पुरस्कृत। झाड़खंड कुड़मालि भाषा विकास परिषद द्वारा सम्मानित। 'कुड़मालि भाखि चारि आखड़ा' के संस्थापक समन्वयक।
संबद्ध	: आदिवासी कुड़मि समाज। कुड़मालि भाषा-संस्कृति व जनजीवन के चिंतक एवं शोधार्थी। वर्ष 2012 से निरंतर सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत कुड़मालि भाखिचारि जागरन के समन्वयक। कुड़मालि भाषा-संस्कृति आधारित विभिन्न सेमिनार एवं प्रशिक्षण के प्रबंध-व्यवस्थापक एवं मार्गदर्शक।
सामाजिक कार्यक्षेत्र	: झाड़खंड, बंगाल, उड़िसा, आसाम। कुड़मालि भाषा-संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को उद्‌भेदन करने का एकनिष्ठ सचेतक।

-तरनि बानुहड़
संस्थापक अध्यक्ष,
कुड़मालि भाखि चारि आखड़ा